खण्ड-369, अंक-3
सोमवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1906
(18 मार्च, 1985 ई0)

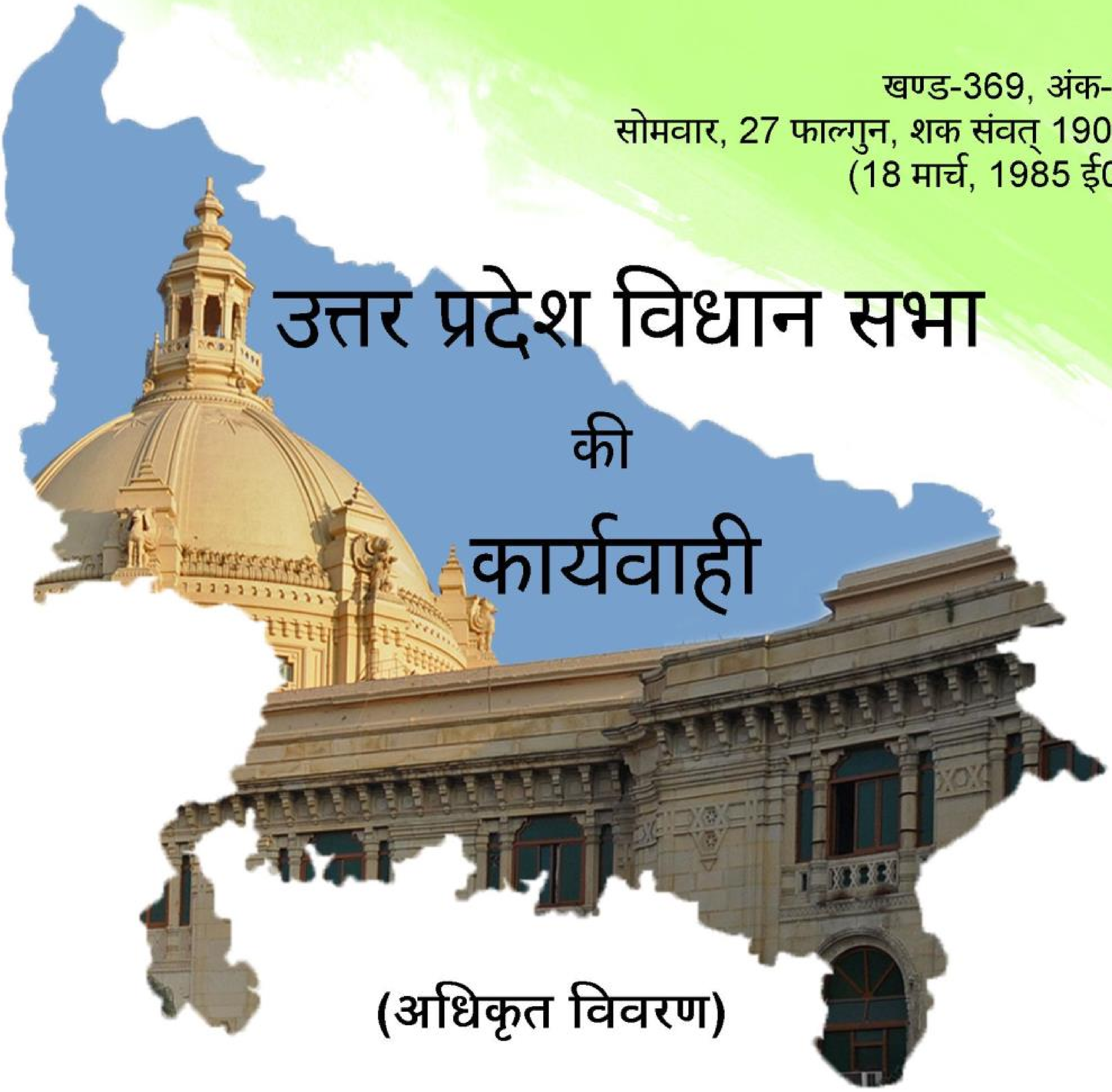

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 369 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
जनपद आगरा की कतिपय नहरों के बन्द होने से फसल को हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	3
गोकुल जिला मथुरा में मांट ब्रांच गंगा नहर में पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	3–4
बेरोजगारों को स्वतः रोजगार देने की योजना में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	4
श्री शंकर दत्त शुक्ला, थानाध्यक्ष, गौरी बाजार, देवरिया से विधायक, श्री रणजीत को जान के खतरे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	4
मेडिकल कालेज, लखनऊ के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	4–5
प्रदेश में आलू की सरकारी खरीद तथा लागत मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	5
रासुका में बन्द विधायकों की निरुद्धि समाप्त किये जाने के सम्बन्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	5–6
आज की कार्य-सूची में सम्मिलित अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में आपत्ति	6–13
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	13
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	13
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन एवं वैधीकरण) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	13
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	13
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	13
उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	13–14

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश मोटर-गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	14
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन), (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
संविधान (तिरपनवां संशोधन) विधेयक, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	15
उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	15-16
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	16
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधि मान्यता) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	16

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	16
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	16
उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	16-17
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	17
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	17
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	17
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	17-31
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति	32-33
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	33-77
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	78
नत्थी	79-119

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बिहार मदरसा सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 1985

(विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अकबर हुसैन बावर, श्री (फैजाबाद)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अमरनाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इम्तियाज मोहम्मद खाँ, श्री (बुलन्दशहर)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (झांसी)
कनक सिंह, श्री (गाजियाबाद)
कुशल पाल सिंह, श्री (मथुरा)
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डा0 (आगरा)
कोकब हमीद, श्री (मेरठ)
जफर अली नकवी, श्री (लखनऊ)
जयराम वर्मा, श्री (फैजाबाद)
दुर्गा प्रसाद, श्री (आजमगढ़)
देव कुमार यादव, श्री (बांदा)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
नरेन्द्र सिंह, चौधरी (कानपुर)
नानक चन्द्र, श्री (मेरठ)
पुष्पा देवी, श्रीमती (बदायूं)
प्रवीण कुमार शर्मा श्री (बुलन्दशहर)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बसन्त सिंह, श्री (बिजनौर)
ब्रजेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
महावीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मोहम्मद अकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां) (मुरादाबाद)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजीव कुमार सिंह, श्री (बाराबंकी)
रामलखन, श्री (गोरखपुर)
लोकेन्द्र दत्त, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
विजय सिंह राणा, श्री (आगरा)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री (उन्नाव)
सत्य प्रकाश विकल, श्री (आगरा)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद आगरा की कतिपय नहरों के बन्द होने से फसल को हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के सिलसिले में मुझे 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। आमतौर पर 7 मंजूर की जाती हैं। मैंने अपनी तरफ से 8 सूचनाओं को स्वीकृति दी है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में तरीका यह था कि पहले और आखिरी दिन जितनी सूचनायें आती थीं तो सब सूचनायें मान ली जाती थीं। आप भी सब सूचनायें मान लें।

श्री कमाल यूसुफ मलिक--

मान्यवर, पहले और आखिरी दिन सब सूचनायें मान ली जाती हैं।

श्री अध्यक्ष--

बहुत सी सूचनायें आपने दी हैं। आपको अवसर रहेगा, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के सिलसिले में आप बोल सकेंगे।

जिनकी सूचनाओं को मैंने स्वीकृति दी है वे हैं माननीय बदन सिंह जी, माननीय सरदार सिंह जी, माननीय जनार्दन ओझा जी, माननीय रणजीत जी, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी, माननीय हरिश्चन्द्र जी, माननीय मित्रसेन जी और माननीय हर्षवर्धन जी।

माननीय बदन सिंह जी, अपनी सूचना पढ़ें।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, जनपद आगरा के तहसील किरावली, खैरागढ़ और आगरा में आगरा टरमिनल, आगरा राजबाह, सिकन्दरा राजबाह, फतेहपुर सीकरी राजबाह, गोपऊ व बाजऊ साख तथा उनकी सभी अल्पिका नहरों में लगातार दो माह से पानी न चलने के कारण वहां के किसानों की गेहूं व जौ की खेती सूख चुकी है और वह नष्ट होने को है किसानों को लाखों-लाखों रुपये की और राष्ट्र की करोड़ों-करोड़ों रुपये की होने वाली इस अपूर्णनीय क्षति से किसानों में हाय-हाय और त्राहि-त्राहि मची हुई है। फसल सूखने से राष्ट्र की आर्थिक दशा पर बड़ा भारी कुप्रभाव पड़ने वाला है।

अस्तु इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग है कि उक्त सभी नहरें चलवा दी जायें और इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले नहर विभाग के अधिकारियों को दंडित किया जाय।

गोकुल, जिला मथुरा में मांट ब्रांच गंगा नहर में पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोकुल, जिला मथुरा में इस बार मांट ब्रांच गंगा नहर में उसकी निर्धारित मात्रा के अनुसार रबी की फसल के लिए पानी नहीं आया है, इस कारण पूरे क्षेत्र की फसल तबाह हो गई है। गेहूं की फसल को विशेष रूप से अधिक हानि हुई है। किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। यदि अविलंब नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो गेहूं की फसल बिल्कुल चौपट हो जायेगी।

अतः आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि नहर में अविलंब पानी छोड़ा जाय। किसानों की क्षतिपूर्ति

की जावे और सिंचाई कर (आबपासी) की वसूली माफ की जावे ।

बेरोजगारों को स्वतः रोजगार देने की योजना में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अत्यन्त लोकमहत्व के सुनिश्चित विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

बेरोजगारों को स्वत: रोजगार देने की योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन में राजनैतिक दबाव और रिश्वत के आधार पर चयन हुआ है । इस के कारण चयनित सूची में सत्तापक्ष के राजनीतिज्ञों के इशारे पर चुनाव किया गया है तथा एक निश्चित धनराशि देने के बाद ही उनका चयन किया गया है । मेरी निश्चित जानकारी है कि सरकारी नीतियों की घोर उपेक्षा की गई है तथा ऐसे लोगों को ऋण स्वीकृत किया गया है जो उसके पात्र नहीं हैं । इससे पूरे जिले के बेरोजगार लोगों में क्षोभ और रोष व्याप्त है ।

अत: इस अविलंबनीय लोकमहत्व के सुनिश्चित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं मांग करता हूं कि तथाकथित चयनित सूची को निरस्त किया जाय और नये सिरे से चयन समिति का गठन कर चयन करवाया जाय तथा उच्चस्तरीय जांच करवाकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शंकर दत्त शुक्ला, थानाध्यक्ष गौरी बाजार, देवरिया से विधायक श्री रणजीत को जान के खतरे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणजीत--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से निम्न तथ्य आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं--

वर्तमान थानाध्यक्ष, गौरी बाजार (देवरिया) जब से इस थाने में आये हैं, गोलबन्दी का सहारा लेकर मुझे जान से मारने की योजना में लगे हुए हैं क्योंकि मैंने इनके भ्रष्टाचार की आवाज उठायी थी । मैंने अनेक आवेदन-पत्र सक्षम अधिकारियों को दिया था परन्तु उनका कोई परिणाम नहीं हुआ ।

गत चुनाव में मेरे विरुद्ध उन्होंने खुल कर चुनाव प्रचार किया, मेरे समर्थकों, सहयोगियों और पार्टी के लोगों की बड़े पैमाने पर पिटाई की और फर्जी चालान किया और मेरे ऊपर भी फर्जी मुकदमे चलाये हैं । इसकी रिपोर्ट मैंने दर्ज कराया मेरा स्वयं जीवन आज भी असुरक्षित है । थानाध्यक्ष के इशारे पर शातिर बदमाश मेरे पीछे पड़े हैं, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है ।

अत: अति अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय की ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि थानाध्यक्ष श्री शंकर दत्त शुक्ला को तत्काल गोरखपुर परिक्षेत्र से बाहर करके इनके विरुद्ध आरोपों की उच्चस्तरीय जांच करवायी जाय ।

मेडिकल कालेज, लखनऊ के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संज्ञान में स्थानीय मेडिकल कलेज में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कामबन्द आन्दोलन से उत्पन्न विस्फोटक स्थिति की ओर लाना चाहता हूं। आज सातवां दिन है। कार्यालय, आपरेशन थियेटर तथा प्रयोगशालाओं पर ताले लटक रहे हैं। रोगी बाहर भाग रहे हैं। लाशों का पोस्मार्टम न होने से दुर्गन्ध फैल रही है। रोगियों को भारी परेशानी है।

उनकी मांगें हैं कि राजकीय कर्मचारियों की सुविधायें दी जायें, दूसरे, वेतन आयोग की सिफारिशें मानी जायें। पुनरीक्षित वेतनमान 30 जून, 1979 को आधार मान कर नया वेतनमान जुलाई, 1979 से दिया जाय। सेवानिवृत एवं भूतपूर्व कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, पेंशन न देना, 3 वर्ष से अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी न करना, समयबद्ध वेतनमान तथा राजकीय अवकाश न देना भी असंतोष का कारण है। अब असन्तोष इतना गहन है कि यदि 48 घंटों में मांगें न स्वीकार हुईं तो बिजली तथा पानी विभाग के कर्मचारी भी काम ठप्प कर देंगे।

अतएव मेरी मांग है कि सरकार अविलम्ब मामले में हस्तक्षेप कर स्थिति को सामान्य कराने का प्रयास करें, क्योंकि कालेज के अधिकारी हर समस्या का समाधान सरकार पर टाल रहे हैं।

प्रदेश में आलू की सरकारी खरीद तथा लागत मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के आलू उत्पादक कृषकों को लागत मूल्य 50 रु0 प्रति कुन्टल दिलाने की घोषणा की है और आलू क्रय केन्द्र खोलकर लागत मूल्य दिलाने का आश्वासन दिया था, किन्तु अभी तक पूरे प्रदेश में कहीं भी आलू क्रय केन्द्र संचालित नहीं किये गये और न ही आलू उत्पादक को बाजार की लूट से बचाया ही जा सका है। एक तरफ शीतगृहों में आलू रखने की जगह नहीं है, तो दूसरी तरफ उत्पादन वृद्धि से किसान खुली बाजार में लुट रहा है, इससे प्रदेश के आलू उत्पादक कृषकों में गहरा असंतोष, क्षोभ एवं निराशा व्याप्त है।

आपके माध्यम से सरकार एवं कृषि मन्त्री से मैं मांग करता हूं कि प्रदेश के आलू उत्पादक कृषकों के आलू की सरकारी खरीद करा कर उन्हें लागत मूल्य दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

रासुका में बन्द विधायकों की निरुद्धि समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हर्षवर्द्धन--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से निम्न विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा--

इस सदन के चार माननीय सदस्यगण रासुका के अन्तर्गत निरुद्ध हैं। मतदाताओं ने उन्हें विजयी बना कर इस जन आकांक्षा को बल दिया है कि इस सदन की कार्यवाही में सदस्यगण भी हिस्सा ले सकें। विधायकगणों को रासुका में निरुद्ध रखना जनभावना का निरादर करना तथा मतदाताओं की इच्छा पर अंकुश लगाना है। विधायकगणों की निरुद्धि के चलते भविष्य में मतदातागण किसी निरुद्ध व्यक्ति को मत देने के औचित्य पर संदेह करेंगे, परिणामस्वरूप उनका मत प्रभावित होगा। मन की पवित्रता एवं स्वतन्त्रता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाये रखने के लिए विधायकगणों की निरुद्धि समाप्त करना आवश्यक है। अतएव विधायकगणों की निरुद्धि को तत्काल समाप्त कर उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर प्रदान कर शासन जन भावना एवं उनकी इच्छा का समादत करे। सम्बन्धित विधायकगणों की निरुद्धि से उन क्षेत्रों की जनता के मन में क्षोभ एवं निराशा व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित विषय को आदरणीय सदन में प्रस्तुत करता हूं तथा माननीय मुख्य मन्त्री जी से मांग करता हूं कि इस विषय पर तत्काल कार्यवाही करें।

आज की कार्य-सूची में सम्मिलित अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में आपत्ति

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

कार्यसूची के मद एक से लेकर 17 तक के बारे में मेरी आपत्ति है। मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गयी है। उसके अन्तर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकेंगे, लेकिन उनको जो यह अधिकार दिया गया है, उसकी कुछ सीमा है। एक चीज में साफ कर दूं कि मैं यहां राज्यपाल के कृत्य की आलोचना नहीं करने जा रहा हूं। मैं उस मन्त्रिपरिषद् की, जिसके द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश निर्गत करने की सलाह दी गयी है, उसकी भर्त्सना करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं संविधान के उस अनुच्छेद को पढ़ रहा हूं "उस समय को छोड़ कर जब किसी राज्य की विधान सभा सत्र में है या विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मण्डल के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों"। जो अपरिहार्य परिस्थिति हो, जिसको टाला न जा सके उस समय अध्यादेश जारी किये जायेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत दिनों से विधायिका का अपमान करके अध्यादेश राज्यपाल द्वारा अनावश्यक रूप से जारी किये जाते रहे हैं। जबकि कोई अपरिहार्य परिस्थिति नहीं थी। इस सम्बन्ध में 4 आपत्ति में करना चाहूंगा।

1--सरकार द्वारा एक ही विषय से सम्बन्धित अध्यादेश को तीसरी बार प्रख्यापित करने की सलाह राज्यपाल महोदय को दी गयी जबकि परिस्थितियों में कोई सन्तोषजनक बदल नहीं हुआ था।

2--यह राज्यपाल महोदय द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग है।

3--कराधान के सम्बन्ध में अध्यादेश नहीं जारी किए जाने चाहिए जबकि यह भी व्यवस्था है कि विधेयक के पुरःस्थापन से ही टैक्स लागू हो जायेगा।

4--चुनाव टालने सम्बन्धी अध्यादेश जारी कर जनतन्त्र एवं संसदीय लोकतन्त्र की अवहेलना की गयी है।

विधान सभा चुनाव के समय सरकार ने घोषणा की कि लोकलबाडीज के चुनाव करायेंगे और उससे वोट प्राप्त किया। अब अध्यादेश जारी करके एक वर्ष के लिए टाल दिया गया है। मैंने चार आपत्तियां की। एक विषय से सम्बन्धित मामले में बार-बार अध्यादेश जारी नहीं किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं लम्बी बहस नहीं करना चाहता हूं वैसे हमारे पास बहुत सी रूलिंग्स हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन जो लेटेस्ट है। सन्दर्भ याचिका संख्या 285 वर्ष 1984 माननीय उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ का निर्णय दिनांक 6 अप्रैल, 1984 का उल्लेख करना चाहता हूं। न्यायमूर्ति श्री कैलाश नाथ गोयल और श्री कैलाश नाथ मिश्र ने कहा है कि पहले वाले अध्यादेश के स्थान पर दूसरा अध्यादेश लाकर सरकार ने अपनी संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा है कि यदि अध्यादेशों के बल पर सरकार राज करना चाहती है तो इसे संविधान के साथ धोखाधड़ी कहा जायेगा।

निर्णय में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 123(1) और 213(1) के प्राविधानों का सख्ती के साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने से पूर्व पालन करना चाहिए नहीं तो अध्यादेश असंवैधानिक होगा। निर्णय में यह भी कहा गया है कि चूंकि सदन में इस सम्बन्ध में विधेयक पेश किया जा चुका है अतः इस विषय पर अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी।

मान्यवर, इसमें एक शंका पैदा हो गयी है। माननीय राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किए, नियमावली के तहत उनको अधिकार है कि जो भी अध्यादेश जारी करेंगे, उनको सदन के पटल पर विधान मन्डल के प्रथम दिन रख लिया जायेगा। मान्यवर, आइटम-1 पर यह दिया गया है। छः हफ्ते की अवधि इसकी होती है। लेकिन मान्यवर, छः हफ्ते की अवधि बीत गयी इसके बाद ऐसा भी समय आया है जब अध्यादेश की फोर्स खत्म हो गया और यह चलता रहा। उन्होंने कह दिया कि इस बीच भी यह माना जायेगा और यह चल रहा है। मान्यवर, यह संसदीय परम्पराओं के साथ मजाक है। माननीय नेता सदन के प्रति मेरी धारणा बहुत अच्छी है। संसदीय मामलों में यह बारंगत हैं। इसमें लिखा है कि यह अध्यादेश तीसरी बार लाया गया है। लेकिन मान्यवर, यह अध्यादेश चौथी बार लाया गया है। मान्यवर, इसमें आपको शंका पैदा हो रही होगी लेकिन यह सही है। मान्यवर, यह मामला पहली बार नहीं उठाया गया है इस तरह के मामले पहले भी उठाये जा चुके हैं। लेकिन जब भी इस तरह के मामले उठाये जायेंगे मैं उन पर इसी तरह प्रहार करूंगा।

श्रीमन् सबसे पहले यह मामला हिन्दुस्तान आजाद होते-होते आया। इस समस्या को लोगों ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के सामने रखा, उन्होंने खुद इस मामले को देखा 1935 में आर्डिनेन्स की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जब कांग्रेस सरकार बनी उसने आर्डिनेन्स का विरोध किया। आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की जो सरकार रही, उसमें एक भी आर्डिनेन्स जारी नहीं किया गया। मान्यवर, जब यह मामला जवाहर लाल जी के सामने आया तो प्रीसाइडिंग आफिसर्स की कांफ्रेन्स हुई। उसमें...

"इन हिज ओपिनियन वान्ट आफ टाइम शुड बी नो इक्सक्यूज फार एडाप्टिंग दिस एक्सट्रा आर्डिनरी प्रोसीजर आफ लेजिसलेशन, ऐज इट वाज डाइरेक्ट इन क्रोचमेन्ट आन दी कान्वेन्शन्स एण्ड प्रीविलेजेज आफ दी लेजिस्लेचर"

वेस्ट बंगाल ने यह कहा।

इसके साथ-साथ मान्यवर, आगे भी आप देखें जो उस समय असेम्बली के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा है--

"इट वाज अवियसली ए रांग कान्वेन्सन फार दी इक्जीक्यूटिव गवर्नमेन्ट टू प्रोमुलगेट आर्डिनेन्स मेयरली बिकाज आफ शार्टेज आफ टाइम दैट पावर वाज टू बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन देअर वाज एन इमरजेन्सी एन्ड दी लेजिस्लेचर कुड नाट मीट"।

उन्होंने यह भी कहा कि समय की कोई बात का क्लेम नहीं किया जायेगा जब तक कोई असमान्य परिस्थिति न पैदा हो--

आगे कहा है---

"इट वाज नाट डिजायरेबुल प्रेसीडेंट टू प्रोमुलगेट आर्डिनेन्स फार वान्ट आफ टाइम ऐज इन्कावीनेन्ट लेजिसलेशन माइट आलसो बी प्रोमुलगेटेड इन दैट मैनर ।

दैंड दी स्पीकर शड यूज देयर इन्फ्लुएन्स विद दी गवर्नमेन्ट आफ दी डे ऐन्ड दी लेजिस्लेचर वेयर दे फेल्ट दैट दी एक्सट्रा आर्डिनरी पावर आफ लेजिसलेसन हैंड नाट बीन प्रापरली इक्सरसाइज्ड बाई दी गवर्नमेन्ट" ।

इसमें यह बात कही गया है मान्यवर, कि अध्यक्षों को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस सम्बन्ध में बहुत व्यवस्था है उत्तर प्रदेश विधान सभा में एक कमेटी बनाई गयी थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी कि सरकार द्वारा राज्यपाल से उसके अधिकारों का दुरुपयोग कराया जा रहा है । मान्यवर, इन कानूनों के होते हुये भी संसदीय परम्पराओं की रक्षा का उपहास हो रहा है । आज जनतन्त्र की रक्षा के लिए यह आवश्यक है, इसमें कोई बहस नहीं है । संसदीय परम्पराओं की रक्षा का सवाल है इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को कड़ी चेतावनी दें । जो अध्यादेश तीसरी बार या चौथी बार सदन के पटल पर रखे गये हैं उनको वापस करवा दें और जो करावान सम्बन्धी अध्यादेश पुरः स्थापित किया गया है, मान्यवर, इन सब चीजों को पटल पर रखने की अनुमति न दें ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय सदस्य सीतापुर ने जो बातें रखी हैं मैं उनको दोहराऊंगा नहीं लेकिन मैं माननीय नेता सदन को, जो कि मुख्य, मंत्री मैं आपके जरिये इनसे कहना चाहता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में अच्छा वही होता है जो कम से कम अध्यादेश लाता है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले एक साल के अन्दर करीब दो दर्जन से ज्यादा अध्यादेश आये हैं । एक माह में दो अध्यादेश और इस समय मौजूदा सदन में मान्यवर, करीब 17 अध्यादेश सरकार द्वारा इस पटल पर रखे जायेंगे। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि माननीय नेता सदन केवल नियमों के जरिये संविधान लागू करने से संसदीय लोकतंत्र नहीं रहेगा । इस समय जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है । यह सरकार संसदीय लोकतंत्र की जनता नहीं रहेगी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि संशोधन अध्यादेश सैनिकों एवं उनकी विधवाओं से सम्बन्धित है यह 5 बार जारी किया गया 1973 में 18 मई को लागू किया गया पहली बार, उसके बाद 15 मार्च, 1984 को यह अध्यादेश लागू किया गया और मान्यवर, 15 मई, 1984 को लाने के बाद 6 महीने की अवधि जैसे ही समाप्त हुई उसको दुबारा जारी किया गया । इस तरह से अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 24 दिसम्बर और 27 दिसम्बर को पूरी लोक सभा के चुनाव हुए थे और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पहली दिसम्बर, 1984 को 50 करोड़ रुपये संचित निधि से आकस्मिक निधि में डाला गया । 28-12-84 को 150 करोड़ रुपया संचित निधि से ले करके आकस्मिक निधि में डाला गया । मान्यवर, बड़े अफसोस की बात है कि अध्यादेश के जरिये से 200 करोड़ रुपया संचित निधि से आकस्मिक निधि में डाला गया । आकस्मिक निधि दैवी आपदा हो जाय या प्राकृतिक विपदा हो जाय, उसके लिये है । लेकिन लोक सभा चुनाव को ध्यान में रख कर दो सौ करोड़ रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, लोक सभा चनाव को ध्यान में रखकर दो सौ करोड़ रुपया आकस्मिक निधि में डाल दिया गया । उसका कोई हिसाब नहीं है ।

अध्यादेश का दुरुपयोग केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दलों के हित में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया जायगा तो संसदीय लोकतंत्र जिंदा नहीं रह पायेगा। इसलिए, नेता सदन, आप कम से कम अध्यादेश जारी कीजिये। अगर अध्यादेशों को जारी करने की प्रक्रिया अपनायेंगे तो नौकरशाही का मन बढ़ जायगा और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का गिर जायेगा। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ही लोकतंत्र का आधार होते हैं। इनमें यदि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही विधायिका का स्तर कम करेंगे तो विधायिका का महत्व बढ़ाने के लिये और कोई नहीं आयेगा। मैं माननीय नेता सदन से अनुरोध करूंगा कि जो अध्यादेश ये 4-4 बार, 3-3 बार लाए हैं, तो क्या जरूरत थी इनको 4-4 बार जारी करने की, क्या जरूरत थी किसी अध्यादेश को पांच बार जारी करने की, जब विधान सभा का उपवेशन चल रहा हो और आपको 266 का प्रचंड बहुमत मिला हो। आपकी नियमावली में यह प्रक्रिया लिखी गयी है कि कम से कम एक साल में 90 दिनों के लिये विधान सभा का उपवेशन चलना चाहिये। जब 90 दिनों के लिये विधान सभा चलती हो, उस समय अध्यादेश लाने से लोकतंत्र मिट जायगा, इसका मतलब लोकतांत्रिक मान्यताओं की हत्या करना है। मैं आपके जरिये से आग्रह करूंगा कि ये अध्यादेश वापस ले लें, जो सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं। इनको नियमों कानूनों के जरिये से जन-प्रतिनिधियों को ध्यान में रखते हुए पेश करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजेन्द्र गुप्त ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, उस पर बल देने के लिए मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मान्यवर, ऐसा लगता है कि इस प्रदेश से जनतांत्रिक परम्पराओं का योजनाबद्ध तरीके से इरेडीकेशन होता जा रहा है। उन्मूलन के स्थान पर इरेडीकेशन शब्द का प्रयोग मैं जानबूझकर कर रहा हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी से कि इस प्रदेश के 11 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला राज्यपाल के निवास में होगा या इस आदरणीय सदन में होगा। इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि अध्यादेशों की परम्परा द्वारा यहां के लोगों की किस्मत का फैसला रनिवास में होने जा रहा है, राज्यपाल के निवास में होने जा रहा है या कहां हो रहा है? यह प्रदेश कहां जा रहा है? जनतांत्रिक मूल्यों का कितना उपहास हो रहा है, यह सोचने की बात है। एक माननीय मुख्य मंत्री जी, जो स्पीकर भी रहे हैं, उन्होंने कहा था कि कम से कम 90 दिन विधान सभा चलनी चाहिये, वे मुख्य मंत्री हुए तो 65 दिन तक विधान सभा चला ले गये, लेकिन अब एक तरफ मान्यवर, इस आदरणीय सदन के जो अधिकार हैं, उनको काटा जा रहा है, कम किया जा रहा है। यह सरकार पहले भी सत्तापक्ष में थी, रावणी बहुमत में थी, लेकिन इसकी इस सदन में क्षमता समाप्त होती जा रही है। अब इस आदरणीय सदन को देखना है कि वे सारे मसले, जिनका फैसला यहां पर होना चाहिये, जिनका निस्तारण यहां पर होना चाहिये, हमको अपनी बात कहने का मौका होना चाहिये। जनता ने आपको कारगर ढंग से अपनी नीतियों को लागू करने के लिये जनादेश दिया है, हम जानते हैं, फिर आपको अपनी नीतियों को लागू करने में राज्यपाल के निवास पर जाने की क्या आवश्यकता हुई मैं जानना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय कि यहां पर जनतांत्रिक परम्पराएं चलेंगी या उनका उन्मूलन होगा?

माननीय गुप्त जी ने जिक्र किया है, अध्यादेश जनतंत्र के लिए एक अभिशाप है। यह केवल अपरिहार्य स्थिति में ही लाया जा सकता है। जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदरणीय सदन यहां पर बैठा हो, पार्लियामेंट के चुनाव हुए हों, संचित कोष से 200 करोड़ दे दिया, यह उनके लिये अपरिहार्य है। मान्यवर, चुनाव कोई अपरिहार्य परिस्थिति में नहीं हुआ करता है। मान्यवर, इसमें सदन की गरिमा और उसके सम्मान की बात अन्तर्ग्रस्त है। आप मान्यवर, इस समय किसी पक्ष के नहीं हैं। आप हमारे कस्टोडियन हैं। सदन के सम्मान के संरक्षक के रूप में यहां पर बैठे हुए हैं। मान्यवर, सदन के सम्मान का दायित्व जितना हमारे ऊपर निर्भर है और जितना उधर बैठने वालों पर निर्भर है, उससे ज्यादा आपके ऊपर निर्भर है। इसके सम्मान की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि शासन को निर्देश दें कि ऐसे अध्यादेशों को वापस ले। जो इनके नीतिगत विषय हैं, जो इनको जनादेश प्राप्त हुआ है, जो इनका इलेक्शन मेनिफेस्टो है, उस पर बहस करायें। फिर उसके बाद इस तरह की चीजों को पास करायें। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय गुप्त जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, उस पर बल देता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी---

मान्यवर, मैंने भी सूचना दी थी। उसके सम्बन्ध में माननीय राजेन्द्र गुप्त, जिन्होंने अपना तर्क प्रस्तुत किया, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ कहना चाहता हूं। माननीय नेता सदन जो हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री भी हैं, मैं समझता हूं वित्त के सम्बन्ध में काफी विज्ञ और अनुभवी हैं। आज हमारे सम्मुख जो अध्यादेश प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके ऊपर ही हम लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के संविधान में जो विधिक शक्तियां दी गयी है, उनमें एक विशेष प्रक्रिया है, वह यह कि यदि अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न हो, तभी उस स्थिति में राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन, सामान्य प्रक्रिया यह है कि संविधान के द्वारा हमारी विधिक शक्तियां विधान सभा के दोनों सदनों को दी गयी हैं। इन परिस्थितियों में, यदि सामान्य प्रक्रिया के रहते हुए भी, संविधान की भावनाओं का आदर न करते हुए, अध्यादेशों पर ही राज्य का शासन चलाया जाय, तो मान्यवर, उससे विधान सभा का अपमान होता है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है और उससे यह महसूस होता है कि सम्मानित सदस्य, जो जनता का जन देश लेकर आये हैं, चुनकर आये हैं, उनकी यहां कोई आवाज नहीं है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ही अभी 1984 में एक शासनादेश जारी किया गया है, उसका हवाला देना चाहूंगा। इस समय तक नगरपालिका के चुनाव नहीं हुए, नगरमहापालिकायें निर्वाचित नहीं हैं। वहां पर जो आफिसर इंचार्ज हैं, उनके द्वारा कार्य संचालन हो रहा है। उनको नये कर लगाने का अधिकार है या नहीं---यह विषय अभी यहां के विधि मंत्रालय में पहुंचा। उस सम्बन्ध में एक शासनादेश 1984 में ही जारी हुआ। उसमें कहा गया कि नये कर लगाने का, नगरपालिकायें और महापालिकायें जब तक सुपरसीड हैं, तब तक उन्हें कोई अधिकार नहीं है। और, नये कराधान का कोई कर जब नगरपालिकायें या महापालिकाओं के सदस्य निर्वाचित होकर आयें, तो वे ही लगा सकते हैं। तो, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस प्रकार का शासनादेश जारी किया जाता है और दूसरी तरफ वही सरकार 200 करोड़ रु0 का प्राविधान अध्यादेशों द्वारा कर रही है।

मान्यवर, इस तरह से शासन जो प्रक्रिया अपना रहा है, उसमें विरोधाभास है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं भारत के संविधान के आर्टिकल 207 का भी उल्लेख करना चाहूंगा। जहां तक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य नियम है, सामान्य ऐक्ट है, उसके सम्बन्ध में दूसरी प्रक्रिया है। लेकिन, जो स्पेशल प्रक्रिया आर्टिकल 207 में दी गयी है, उसके अनुसार

राज्यपाल महोदय की अनुमति से ही वित्त विषयक बात हो सकती है, वित्तीय विधेयक आ सकता है। उसमें वित्तीय विधेयक आता है, विधान सभा में आता है, विधान परिषद् को अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ता है जहां पर विशिष्ट प्रक्रिया है और कराधान की प्रक्रिया है वहां पर ऐसे अनुभवी मुख्य मन्त्री के होते हुए आर्डिनेन्सेस द्वारा सरकार को चलाने का कुचक्र किया जा रहा है मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा उपहास हो रहा है, लोकतंत्र की परम्पराओं का। और संसदीय परम्पराओं का। माननीय मुख्य मन्त्री जी संसदीय परम्पराओं के विज्ञ हैं और आप इस आदरणीय सदन में हम लोगों के संरक्षक हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो लगातार अध्यादेश की प्रक्रिया द्वारा सरकार को चलाने का प्रयास किया जा रहा है और प्रदेश की जनता के साथ जो धोखाधड़ी की जा रही है, उससे आप हमारी रक्षा करें और माननीय श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने जो कहा है उस पर आप स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। जो माननीय सदस्य खड़े हैं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जायं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, सरकार बोल नहीं रही है, इसका मतलब है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री राजेन्द्र गुप्त जी इस सम्मानित सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्होंने बड़े विस्तार से अपने भावों की अभिव्यक्ति की। उन्होंने जिस प्रकार से सदन को चलाने की दुहाई दी, मैं भी उन पर विचार कर रहा था। मान्यवर, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं और यहां पर आज जो बिन्दु उठाये गये हैं संविधान तथा नियमों का उल्लेख किया गया है गतवर्ष भी या इससे पूर्व भी लगभग ये सारे बिन्दु माननीय गुप्त जी ने उठाये और उन सभी पर इसी अध्यक्ष पीठ से निर्णय हो चुका है।

मैं सोचता हूं कि क्या परम्परा यही है कि किसी एक चीज पर निर्णय होने के बाद उस बिन्दु को पुनः उठाया जाय और उस पर पुनः निर्णय हो। माननीय गुप्त जी ने कुछ शब्दों को हेर-फेर की और विस्तार से अपनी बात पुनः कह दी, जब कि उन बिन्दुओं को उठाने का कोई मौका ही नहीं था।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 213 का हवाला दिया और उसे पढ़ा। जिसमें राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वहीं पर सरकार को भी दायित्व दिये गये हैं जिसका उल्लेख अनुच्छेद 213(2) में दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि सरकार अध्यादेश जारी होने के बाद विधान सभा का सत्र आरम्भ होने के पहले दिन उसे सदन के पटल पर रखेगी। उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सरकार अध्यादेशों को यहां पर रख रही है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है जैसा कि अभी कहा गया कि सदन के पटल पर रखा जा रहा है। तो वहीं पर यह भी तो है कि 6 हफ्ते के अन्दर उसे पास करा लिया जाय।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आज तो पहला दिन है। यदि 6 हफ्ते के अन्दर पास नहीं हुआ तो वह अपने आप लैप्स हो जायेगा। जो संविधान की भावना दी गयी है यदि उन भावनाओं का पालन नहीं होगा तो हम दोषी सिद्ध होंगे। यदि 6 हफ्ते के अन्दर पास नहीं होता है तो वे स्वतः निष्प्रभावी हो जायेंगे।

हमारे एक माननीय सदस्य बनारस ने आचरण की बात कह दी। चुनाव के समय की बात भी कही गयी। आपको तो आभार व्यक्त करना चाहिए कि आप चुनाव की वजह से तो यहां पर आये हैं और हम भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। यदि आप न आते तो हम भी आपके ज्ञान से वंचित रह जाते।....

(हंसी एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शान्त रहें, यह उचित नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--

अभी इसके बाद पटल पर रखने के पश्चात् आपको अपने प्रस्ताव को लाने का अधिकार होगा और उसमें आप दिखा सकते हैं कि क्या आपकी भावनाओं के साथ कुठाराघात किया गया है। आज तो केवल औपचारिकता मात्र है। अगर जनहित में अध्यादेश जारी करेंगे तो हम जनहित का कार्य क्या नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो हमको यहां बैठने का अधिकार नहीं होगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के पटल पर इसे रखने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस विषय की ग्राह्यता पर चर्चा करने की अनुमति इसलिए दी थी कि सरकार विरोध पक्ष की भावनाओं से अवगत हो जाय। खासतौर से बार-बार एक ही अध्यादेश को लाना या चुनाव को बार-बार टालना, इस किस्म की जो बातें उठायी हैं, उनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।....

(तालियां)

इस मामले में सवाल यह है कि सरकार की ओर से जो अध्यादेश सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं उनकी इजाजत दी जाय या नहीं। यदि संविधान के आर्टिकिल 213 को देखें तो साफ हो जायगा कि श्री राज्यपाल द्वारा किये गये अध्यादेश को सदन के पटल पर रखना जरूरी है। इसी तरह से इस माननीय सदन की जो प्रक्रिया नियमावली है उसके नियम 120 के अनुसार जरूरी है कि जो अध्यादेश जारी किये जायें उन्हें पहले दिन सदन के पटल पर रखा जाये। मैंने जो बातें सुनी, राजेन्द्र गुप्त जी की और अन्य विरोधी दल के नेताओं की, जो उन्होंने बातें उठायी हैं, मैं उन्हें अस्वीकार करता हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

सरकार ने अपने अप्रजातांत्रिक कदम पर भी खेद प्रकट नहीं किया और इसका आश्वासन भी नहीं दिया कि ऐसी गलती नहीं की जायगी, इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राजेन्द्र गुप्त अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री शतरुद्र प्रकाश भी सदन त्याग कर चले गये)

(श्री रेवती रमण सिंह भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री राम चन्द्र बक्श सिंह भी, अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री कौशिक रमा शंकर भी अपने समुदाय के साथ सदन त्याग कर चले गये)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 1 पुकारे जाने पर)

(नेता विरोधी दल भी विरोध पक्ष के सभी सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और बंधीकरण) अध्यादेश, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और बंधीकरण) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन और

†छापा नहीं गया ।

†छापा नहीं गया ।

संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह--)

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1984†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1984 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश 1985†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1985†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1985†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1985†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह--)

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

संविधान (तिरपनवां संशोधन) विधेयक, 1984†

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से म, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (तिरपनवां संशोधन) विधेयक, 1984 द्वारा भारत के संविधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों को जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थित करने के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय से प्राप्त संचार पत्र को उक्त विधेयक एवं तद्विषयक संसद की कार्यवाहियों सहित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 182(1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 सितम्बर, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 सितम्बर, 1984 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं, घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 सितम्बर, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 सितम्बर, 1984 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 1984 को प्राप्त

†छापा नहीं गया ।

हो गयी और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 सितम्बर, 1984 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 सितम्बर, 1984 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1984 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधि-मान्यता) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 सितम्बर, 1984 को बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 सितम्बर, 1984 के उपवेशन में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1984 का उत्तर प्रदेश का अठारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 सितम्बर, 1984 को बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 सितम्बर, 1984 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 सितम्बर, 1984 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 सितम्बर, 1984 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1984 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धि

और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 सितम्बर, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 17 सितम्बर, 1984 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1984 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1984 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 सितम्बर, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 17 सितम्बर, 1984 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1984 का उत्तर प्रदेश का बाईसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 सितम्बर, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 17 सितम्बर, 1984 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 1 अक्तूबर, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का तेईसवां अधिनियम बन गया ।

[समय 11 बजकर 22 मिनट]

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश नवम विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 मार्च, 1985 की बैठक में यह सिफारिश की है कि विधान सभा का दिनांक 18 मार्च, 1985 से 21 मार्च, 1985 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय:--

18 मार्च, 1985 सोमवार 19 मार्च, 1985 मंगलवार 20 मार्च, 1985 बुधवार 21 मार्च, 1985 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मेरा एक नियम 56 के अन्तर्गत प्रस्ताव है फैजाबाद जिले के

सम्बन्ध में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई घरों में आग लगायी गयी है, एक दरोगा की हत्या की जा चुकी है, माननीय मित्रसेन जी की जान खतरे में है।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, ये बिना आपके नाम पुकारे ही कैसे बोलेंगे। नियम 56 के अन्तर्गत मैंने भी सूचना दी है और उसमें मेरा नाम पहले है।

श्री अध्यक्ष--

श्री कौशिक जी, आप क्या कह रहे थे ? आप बोलिये।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, पहले मुझे बोलने की अनुमति मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष --

नियम 56 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं मेरे पास आयी हैं। ग्राह्यता के सम्बन्ध में उनमें से मैंने तीन सूचनाओं के विषय पर विचार व्यक्त करने हेतु स्वीकार किया है और बाकी को नहीं यह सूचनायें श्री सरदार सिंह, श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की हैं।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, इस प्रदेश की पुलिस सरकार के कब्जे में नहीं है अभी तक तो जनसाधारण को इनके रोष का शिकार होना पड़ता था किन्तु अब वह विधायकों को भी नहीं छोड़ रही है। मान्यवर, जब चुनाव हो रहे थे तो हमारे पुराने विधायक श्री मित्रसेन जी कि चुनाव अपने क्षेत्र से लड़ रहे थे तो ईटगांव में झगड़ा हुआ। वहां एक दरोगा जी गये और उन्होंने कांग्रेस के आदमियों के साथ उन्हें ईंट मारी और इससे वे बेहोश हो गये। घटना की जांच के लिये पुलिस के एडीशनल एस0 एस0 पी0 अपना पुलिस फोर्स के साथ आये और उन्होंने मित्रसेन के बारे में पूछा। मित्रसेन जी वहां नहीं थे, अपने क्षेत्र गये हुए थे। उनका इरादा उनकी हत्या करने का था। जब वे नहीं मिले तो उन्होंने उनके पीछे आदेश दिया कि उनके घर को फूंक दो, सारा सामान फूंक दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को उन लोगों ने तबाह कर दिया। अभी तक पुलिस साधारण आदमियों को सताती थी, पुलिस जो सुरक्षा के लिये होती है लेकिन जब हमारे घर फूंके जायेंगे, विधायकों के घर जलाये जायेंगे तो यहां पर कैसे बहस हो सकती है, लोकतन्त्र कैसे चल सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि चूंकि यह एक माननीय सदस्य का मामला है, उनका घर फूंका गया है वे पुराने सदस्य हैं इसलिये आज चर्चा इस विषय पर करा ली जाय और दूसरे कामों को रोक दिया जाय। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। लोकतन्त्र खतरे में है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आज सदन की आगे की कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा करा ली जाय और सब लोगों को इस पर बोलने का मौका दिया जाय।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, इस पर दो शब्द मुझे बोलने की अनुमति दे दें, हमारे दल के विधायक का मामला है।

श्री अध्यक्ष --

एक प्रस्ताव पर एक ही व्यक्ति बोल सकता है।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मित्रसेन जी हमारे दल के सदस्य हैं। यह एक गम्भीर मामला है 5 तारीख को जब पोलिंग खत्म हुई तो उसी दिन 11 बजे रात को माननीय मित्रसेन जी के घर को पुलिस लाइन के सिपाहियों ने फूंक दिया। वहां के एडीशिनल एस0 एस0 पी0 और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 5 तारीख

को जब पोलिंग समाप्त हुई तो मिल्कीपुर क्षेत्र के ईटगांव मतदान केन्द्र पर थानाध्यक्ष आये। यह कहा गया कि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने पथराव किया और उनको घायल कर दिया। बाद में मेडिकल कालेज में उनकी मृत्यु हो गयी। उसके बाद यह अफवाह फैलायी गयी कि कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मित्रसेन यादव के कहने से यह हत्या करायी है। मान्यवर, यह कौन लोग हो सकते हैं। वहां पर जो सिपाही आये थे वे नेकर बनियान पहने हुए थे। उसके बाद पुलिस ने मित्रसेन जी के घर को फूंक दिया और सारा उनका सामान जला दिया। मान्यवर, एक योजनाबद्ध तरीके से एक विधायक के घर को फूंका जाना एक गम्भीर मामला है। यह प्रशासन यदि विधायक की रक्षा नहीं कर सकता है तो सोचना पड़ेगा कि हम जनता की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आज उस गांव में पी0 ए0 सी0 तैनात की गयी है। लोगों को मार-मार उनको घरों से निकाला जा रहा है सारे जानवर चारे के लिये परेशान हैं। कौन सा औचित्य है कि वहां पर पी0 ए0 सी0 तैनात कर दी गयी है और गांव को खाली कराया जा रहा है। इसी तरह से 2 अप्रैल, 1984 को कम्युनिस्ट पार्टी के एक शान्तिपूर्ण जुलूस पर पुलिस पार्टी ने लाठी चार्ज किया था जो आज भी एक गम्भीर मामला बना हुआ है और वहां के थानाध्यक्ष बघेल साहब का तबादला हो जाने के बावजूद आज भी वह वहीं पर बरकरार हैं। उस मामले में जुडिशियल इन्क्वायरी भी हुई थी किन्तु न मालूम किन कारणों से थानाध्यक्ष का ट्रांसफर नहीं किया गया है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी बरसेस पुलिस का झगड़ा चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज फैजाबाद जिले में सारे कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढूंढ-ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है और उन्हें पीटा जा रहा है। यह मामला बहुत गम्भीर है। मित्रसेन जी की जान खतरे में है। पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। मैं आश्वसन चाहता हूं कि इस चीज को रोका जाय। पुलिस वहां पर स्वयं एक पार्टी के रूप में कार्य कर रही है। अतः मेरी मांग है कि सी0 बी0 आई0 से इस मामले की जांच करायी जाय और जिन लोगों के घर फूंके गये हैं उसकी छानबीन करायी जाय। साथ ही उस थानाध्यक्ष का तत्काल ट्रांसफर कर दिया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह चाहूंगा कि वे आज सदन में इसके बारे में स्पष्ट घोषणा करें। जब आप एक माननीय सदस्य की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो और क्या कर सकेंगे? इस पर आपको क्या कहना है?

श्री अध्यक्ष--

(श्री राम सरन के खड़े होने पर) क्या आपको भी इस पर कुछ कहना है?

श्री राम सरन--

हां, मान्यवर, मेरा भी प्रस्ताव इस सम्बन्ध में था

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हों तो बाकी माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री राम सरन--

इसी सम्बन्ध में कहूंगा कोई दूसरी बात नहीं कहूंगा। मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है और यह मामला कोई इस चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है पहले भी ऐसा हो चुका है। 2 अप्रैल, 1984 को श्री मित्रसेन जी के ऊपर इस तरह का मामला हुआ और इसी सदन में यह मामला उठ चुका है। चुनाव के मौके पर ईंट गांव, मिलकीपुर क्षेत्र में पुलिस की साजिश से एक हवा फैलाई गई कि वहां बूथ कैपचरिंग हो रही है और महिलाओं की बेईज्जती की जा रही है। पहले जब वहां पुलिस गयी तो

पुलिस वालों ने लोगों को तितर-बितर कर दिया और पुलिस वहां से चली आयी। फिर दरोगा गये तो इन्हीं के लोगों में से किसी ने ईंटा मार कर इनको घायल कर दिया और घायल होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया लेकिन पुलिस के लोगों ने ही अफवाह फैला दी कि मित्रसेन द्वारा दरोगा को घायल कर दिया गया है। मित्रसेन जी का घर थाने के पास ही है और वहीं पर पास में ही निषाद साहब का भी मकान है जो मंत्री थे। पुलिस वालों ने मित्रसेन जी के घर में आग लगा दी और इनके सारे सामान को फूंक दिया।

मित्रसेन जी के मकान में ही पार्टी का दफ्तर भी है इसलिए वहां बहुत से लोग और कार्यकर्ता बैठे थे। वे किसी तरह से छत से भागे। आज वहां बड़ी भयानक स्थिति है और मित्रसेन जी किसी तरह से लखनऊ में पड़े हुए हैं हम लोगों के पास पड़े हैं यह वहां जा नहीं रहे हैं। इस मामले में पहले भी जुडिशियल इन्क्वायरी हुई थी और उस वक्त की जो सरकार थी उसने भी इस मामले में कुछ नहीं किया और पुलिस अधिकारी का वहां से ट्रांसफर नहीं किया। अतः मित्रसेन जी की वहीं किसी वक्त भी हत्या हो सकती है, इनकी जान सुरक्षित नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि इसमें आप कुछ न कुछ निर्देश करें। एक विधायक की जान को खतरा है। तो इससे ज्यादा महत्व का प्रश्न और क्या हो सकता है। आम आदमी की क्या स्थिति होगी यह आप समझ सकते हैं। इसलिए आज सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय। यह बहुत जरूरी मामला है। कल को यह स्थिति सभी विधायकों के साथ हो सकती है। आज मित्रसेन जी के साथ हुई कल को आप पर भी हमला होगा।

(व्यवधान)

प्रधान मंत्री की बात मैं नहीं करता हूं वह तो इन्हीं के घर पर बैठे लोगों द्वारा हुआ। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि आज आपका बहुमत बहुत कम रह गया है और यही रफ्तार चली तो बहुत जल्दी आप यहां आकर जहां पर मुलायम सिंह जी बैठे हैं, बैठेंगे। अगर आप इन अधिकारियों के साथ सख्ती नहीं करेंगे, इन निकम्मे अधिकारियों को ठीक नहीं करेंगे तो प्रदेश का प्रशासन बिगड़ जायेगा। अतः इस मामले की गम्भीरता को महसूस कर सदन का काम रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में मैं भी कुछ कहूंगा। आज माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और मित्रसेन जी के साथ यह दूसरी घटना है। मैं चाहूंगा कि जब हिंसा इतनी भड़क चुकी है और आपकी पुलिस निरंकुश हो गई है तो इस पर आप तत्काल ध्यान दें। इस मामले में पुलिस एक पार्टी है तो पुलिस के द्वारा जांच कराना कहां तक न्यायोचित है। अतः माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर घोषणा करें कि इसकी जांच सी0 आई0 डी0 या सी0 बी0 आई0 के द्वारा करायी जायेगी या किसी और एजेन्सी से, पुलिस के अलावा, करायी जायेगी। और इस मामले में सख्ती से कार्यवाही की जाय क्योंकि आपकी पुलिस निरंकुश होती जा रही है आज एक विधायक के साथ यह घटना हुई तो कल को औरों के साथ भी हो सकता है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री इसी सदन में इस बात की घोषणा भी कर दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है और श्री मित्रसेन के जीवन को खतरा लगातार एक साल से चला आ रहा है, जिसमें पुलिस की गहरी साजिश है। इस सवाल को पिछले सत्र में यहां और विधान परिषद् में भी उठाया गया था। आज भी वही पुलिस अधिकारी हैं, जो पिछला हमला हुआ था उन पर, जो

गिरफ्तारी उनकी हुई थी, तो जो पुलिस अधिकारी उस समय थे वही अधिकारी आज भी हैं और फिर भी वही जांच कर रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है कि तुरन्त जैसा कि माननीय सदस्यों ने मांग की है कि वहां की पुलिस से जांच न करायी जाय और इसकी जांच सी0 आई0 डी0 या सी0 बी0 आई0 से करायें और इसकी घोषणा इसी सदन में करें।

दूसरी मेरी मांग है कि इससे गंभीर मामला क्या हो सकता है कि जब विधायक के साथ यह स्थिति है और इस तरह से पूरे प्रदेश में जो सरकार और पुलिस की खिलाफत करते हैं उनके साथ पुलिस ऐसा ही जुल्म करती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुरन्त सदन की कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह गंभीर मामला है, इसलिए इस सिलसिले में एक प्रस्ताव मेरा है कि इस सदन की एक कमेटी बना दी जाय जो मौके का मुआयना करने के बाद अपनी रिपोर्ट दे और उस पर सख्त एक्शन लिया जाये ताकि सदस्यों के साथ जो अन्याय हो रहा है और उनकी जानें खतरे में हैं, उनकी हिफाजत हो सके।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, श्री मित्रसेन के साथ जो घटना घटी है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कि पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ और पुलिस के अधिकारी के साथ घटना घटी। दूसरी घटना है मित्रसेन जी के घर में पुलिस ने बर्बरतापूर्वक आग लगाकर लूट लिया। इन दोनों मामलों में पुलिस के ही लोग जांच कर तो उनकी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है, यह मान्यता है। चूंकि दोनों जगह पुलिस एजेन्सी इन्वाल्ड है और पुलिस के ही लोग जांच करें तो यह न्याय के हित में अच्छा दृष्टिकोण नहीं होगा। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से जनहित और न्याय के हित में, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा होगा कि सी0 बी0 आई0 से जांच करायें जिससे सही माने में विधायक के जीवन की रक्षा हो सके और पुलिस की बर्बरता पर अंकुश लग सके और इस प्रकार की घटनायें प्रदेश में पुनः न घटें। इसलिए सदन में मुख्य मंत्री जी घोषणा करें कि जांच सी0 बी0 आई0 से करायेंगे।

श्री मित्रसेन—

श्रीमन, मैं मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 से चुनकर आ रहा हूं। वर्ष 1977 में श्री एन0 डी0 तिवारी जो इधर बैठते थे और नेता विरोधी दल थे और आज वह नेता सदन हैं। मैं समझता हूं कि वह अपने राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठकर इस पर सोचेंगे चूंकि वह सक्षम मुख्य मंत्री हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 अप्रैल, 1984 को पुलिस जुल्म के खिलाफ हमारी पार्टी और हम लोगों ने इनायत नगर थाने पर प्रदर्शन किया और इस पर वहां की लोकल पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज किया और गोलियों की बर्षा की। हमारे स्वतंत्रता-संग्राम सेनानी श्री राजबली यादव की मूंछे उखाड़ी गयीं, उनको पेशाब पिलाया गया और दर्जनों लोगों को गोलियों से घायल किया गया। सैकड़ों साइकिलें चोरी करके पुलिस उठा ले गयी, हमारी मोटर साइकिल तोड़ी गयी। तब से लेकर हमने लगातार शासन से मांग की कि यह पुलिस एक-पक्षीय हो गई है और हमारी पार्टी के विरुद्ध यह दमनात्मक कार्यवाही कर रही है और हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमें में फंसाने का उसका क्रम हो गया है। परन्तु उसको एक साल हो गया है, तब से आर0 बी0 सिंह बघेल जो गोली काण्ड के सबसे बड़े अभियुक्त थे उनको हटाया नहीं गया है। पार्लियामेंट के चुनाव में भी नहीं हटाया

गया और विधान सभा चुनाव के एक महीना पहले उनको तीन महीने की एक ट्रेनिंग में भेजा गया, परन्तु बिना उनकी ट्रेनिंग पूरी किये, अधूरी ट्रेनिंग से ही उनको बीच में लाकर, क्षेत्र के दूसरे थाना कुमारगंज में तैनात कर दिया गया। बाकी स्टाफ सिल्कीपुर और इनायतनगर में ही बना हुआ है।

हमारे यहां के थाना पर एक दरोगा राममोहन राय थाना इंचार्ज तैनात हुए और उनसे हमारा किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा झगड़ा नहीं था और न हमसे उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत थी। विधान सभा चुनाव के तत्काल बाद एकाएक 5 तारीख को ईटगांव पोलिंग स्टेशन पर हमारी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के बीच कुछ वाद-विवाद हो गया जैसा कि प्रायः ऐसे मौकों पर होना स्वाभाविक सा है। उसमें कुछ ऐसे अराजक तत्व थे, जिन्होंने हमारे कार्यकर्त्ताओं के घरों पर ढेला प्रहार किया और उनके द्वारा हमारे कार्यकर्त्ताओं के घरों पर आग लगाई गई और कार्यकर्त्ताओं और उनके घरों पर हथगोले तक फेंके गये। इस घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष वहां पर पहुंचते हैं जांच करने के लिए, लेकिन इनके ही कार्यकर्त्ताओं द्वारा जो उनके साथ चल रहे थे, पीछे से उनके सर पर ईंटों से प्रहार किया गया, जो उनके सिर के पीछे लगी, वह गम्भीर रूप से घायल हो गये। घायल अवस्था में उनको अस्पताल में दाखिल किया गया, परन्तु वह अच्छे न हो सके और इसके तीसरे दिन मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गयी।

इसका दोष हमारे कार्यकर्त्ताओं और हमारे ऊपर लगाकर पूरे क्षेत्र में झूठी अफवाह इनके लोगों द्वारा फैलाई गयी, जिससे उत्तेजित होकर पुलिस लाइन के सिपाहियों ने जो पुलिस लाइन हमारे घर के पास है और भूतपूर्व मंत्री सन्तराम निषाद के आवास के सामने मेरा घर स्थित है, उस पुलिस बल द्वारा जो अनुशासित बल है और जो बिना आदेश के कोई ऐक्शन नहीं करता है हमारे घर पर, जहां हमारे लोग रहते हैं और पार्टी कार्यालय भी है जोरदार आक्रमण किया किया। वे लोग डंडे और गोली लिए मुझे ढूंढ़ रहे थे और उनका पक्का इरादा मुझे मार डालने का था, लेकिन जब मैं उन्हें नहीं मिला तो हमारे दर्जनों कार्यकर्त्ताओं के हाथ पैर तोड़ डाले गये, कइयों को छत पर से नीचे फेंक दिया गया, और जब इससे भी उन्हें संतोष नहीं हुआ तो मकान में आग लगा कर हमारी चार मोटर साइकिलों, हमारे रजाई-कम्बल आदि सारे सामान को जलाकर नष्ट कर डाला गया। हमारे मकान के बगल में पुलिस लाइन थी, जहां फायर ब्रिगेड दस्ता रहता है, उसने उसके बुझाने का प्रयास नहीं किया और उनके एडीशनल एस0 पी0 सक्सेना के इशारे पर यह सब काण्ड किया गया। पहले काण्ड की जो जूडिशियल इंक्वायरी हो रही है, उसमें वह भी एक पक्ष हैं, उनके ही इशारे पर यह सब किया गया।

हमारी पार्टी को और हमें उस विधान सभा क्षेत्र से हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए यह सब किया गया है। इसके विरुद्ध जब हमने डी0 आई0 जी0 और कमिश्नर को मांग-पत्र दिया और पूर्ण सुरक्षा की मांग के साथ क्षेत्र में जाने की बात कही और वहां पर शान्ति और व्यवस्था कायम करने की बात कही, तो पी0 ए0 सी0 लगाकर वहां के लोगों को उजाड़ दिया गया है और जानवरों और बच्चों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को गांव में जाने नहीं दिया गया, इस पर डी0 एम0 ने हमें लिखकर दिया है कि आप क्षेत्र में जायेंगे तो आपके जाने से शान्ति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। हमें विधान सभा क्षेत्र में जाने से रोक दिया गया है, मैं यह पत्र आपको दिखा दूंगा। तो हमारा कहना यह है कि इस घटना में पुलिस एक पक्ष बन गयी है और श्री सक्सेना जो एडिशनल एस0 पी0 हैं, उनकी वजह से यह सब

हो रहा है, इसलिए इस मामले में हमें न्याय और सही निर्णय किसी भी तरह पुलिस से नहीं मिल सकता है। अतः मान्यवर, आप हमारी और हमारे अधिकारों की रक्षा करें, हमारी दुर्गति पर आप अपने स्तर पर विचार करें। यह जरूरी हो गया है कि इसकी चर्चा सदन में की जाए और माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच किसी थर्ड एजेंसी को देने की घोषणा करें। पुलिस कार्यवाही पर वहां पर रोक लगा देनी चाहिये, क्योंकि पुलिस पूरी बर्बरता के साथ हम लोगों केसाथ कार्यवाही कर रही है और हमारे लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम करने की कोशिश कर रही है।

मान्यवर, मेरे ऊपर 120 का मुकदमा कायम किया गया है और मुझे उस रिपोर्ट में नामजद किया गया है। मेरे लड़के को और मेरे ब्लाक प्रमुख कमलासन पांडेय को शामिल किया गया है और तमाम प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को शामिल किया गया है। पुलिस इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि जो दरोगा की हत्या हुई है उसके अभियुक्तों को बन्द किया जाय, उनको दंडित किया जाय बल्कि पुलिस इस पर इंटरेस्टेड है कि किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का दमन किया जाय और उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाय। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कांड की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से करायी जाय और पुलिस कार्यवाही को रोक दें। वहां पर पी0 ए0 सी0 लगी है, जिसने गांव को उजाड़ दिया है, उसको वहां से हटा दिया जाय। जो एक पक्षीय, स्थानीय लोकल पुलिस है उसके लोगों को हटाया जाय तब उस क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था कायम हो सकती है। मैंने मुख्य मंत्री जी से बात की, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपके खिलाफ बार-बार पुलिस क्यों होती है। मैं यह कहता हूं कि वहां वही पुलिस बराबर कायम है, उसको प्रताड़ना जारी है और उसको वहां क्यों बनाये रखे हैं। एक भी पुलिस कर्मी क्यों हटाया नहीं गया है, मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करें। मैं चाहूंगा कि मेरी जान की सुरक्षा करें। मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगा तो पुलिस हमला करेगी। वहां की लोकल पुलिस जो जुडिशियल इंक्वायरी में इन्वाल्व है वह मेरी हत्या करा सकती है इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन, कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हों तो बोल लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बोलें।

*श्री नारायन दत्त—

सर्व प्रथम मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि जो विवाद है, इसे पूर्व दृष्टान्त न माना जाय चूंकि जब कभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो वह नेता विरोधी दल का दिन होता है। आम तौर पर चूंकि नेता विरोधी दल प्रदेश की सारी समस्याओं पर, इस अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करते हैं इसलिए उनका समय लिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इसे पूर्व दृष्टान्त न माना जाय। बिना पूर्व दृष्टान्त मानते हुए जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है उस पर अपने विचार व्यक्त करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। श्रीमन, जो घटना घटित हुई वह अवश्य बड़ी चिंतनीय है। परसों कम्युनिस्ट पार्टी का एक शिष्ट मंडल, ऐसे नेताओं का, मुझसे मिला जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं। श्री सरजू पांडे जी, श्री रमेश सिन्हा साहब और माननीय राम चन्द्र बख्श सिंह जी और हमारे मित्रसेन जी स्वयं आये थे। उन्होंने चर्चा की। मैंने फौरन उस पर गृह सचिव को बुलाकर जानकारी प्राप्त की। जो जानकारी आयी, चूंकि कल मैं बाहर था, तो जानकारी आयी है मैं उसके विस्तार में जाना उचित नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझता, चूंकि इसमें दोनों पक्ष होते हैं, मैं दोनों पक्षों की बात कह कर कोई कटुता नहीं बढ़ाना चाहता। यह सदन ऐसा फोरम नहीं है जहां आक्षेप-प्रत्याक्षेप किये जायं और मैं इसको पढ़ूं और वह स्पष्टीकरण दें। लेकिन मैं अवश्य इस बात की सराहना करना चाहता हूं कि नेता कम्युनिस्ट पार्टी माननीय रामचन्द्र बख्श सिंह जी ने एक दरोगा मोहन राय की जो हत्या हुई है उस पर दुख प्रकट किया। मैं इसकी सराहना करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल भी कुछ शब्द दरोगा, जो मारा गया है उसके बारे में कह देंगे।

यहां पर मैंने देखा, सदन में पहले भी हुआ है, पुलिस फोर्स में जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने में मारे जाते हैं उनके लिए संवेदना के दो शब्द कहे जाते हैं। नेता कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा इसलिए मैं उनकी सराहना करता हूं। चूंकि दरोगा की हत्या हुयी है, यह ऐसा विषय था, और यह बात आती भी कि पुलिस फोर्स का नैतिक बल बना रहे यह बात न हो कि हमारा कोई संगठन नहीं है इसलिए हमारी बात कोई नहीं सुनता, हमारी कठिनाइयों को कोई नहीं सुनता इसलिए उनका मनोबल बनाये रखना आवश्यक है। लेकिन जहां यह बात है वहां यह भी है कि हमारी जो राजनैतिक गतिविधियां हैं, स्वच्छंद रूप से दलीय आधार पर अपने दल का प्रचार उसको संगठित करने, शांन्तिपूर्ण ढंग से संविधान के अनुसार, आन्दोलन करने का पूरा अधिकार है। तो मैं समझता हूं कि जो बातें अभी यहां कही गयीं हैं, माननीय नेता विरोधी दल और विरोधी दल के अन्य माननीय नेताओं ने कही हैं तो किसी का काम कम उत्तरदायित्व-पूर्ण नहीं है। मैं इनकी सलाह को मानता हूं। मैं सी0 आई0 डी0 इंक्वायरी को सारे मसले को भेज दूंगा।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जाइये। मैंने माननीय मैनेजर सिंह को बुलाया है।

माननीय मैनेजर सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, माननीय मित्रसेन जी की पहली और मुख्य मांग यह है कि सबसे पहले पुलिस कार्यवाही रोक दी जाय। तो मान्यवर, सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री पुलिस कार्यवाही रोकने की घोषणा मान्यवर, कर दें।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की घोषणा की है, उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी कोई मान नहीं रखती है। सी0 आई0 डी0 में कौन लोग हैं? वही पुलिस के लोग हैं। वही मारेंगे, वही जांच करेंगे।

(व्यवधान)

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की घोषणा तो कर दी गई है।

श्री मैनेजर सिंह--

आपने तो पुलिस विभाग को ज्यादा बिगाड़ा है, जब आप पुलिस मंत्री थीं। तभी से बिगड़ा है। आप खामोश रहिये।

मान्यवर, दरोगा जी मारे गये, यह दुखद घटना है किन्तु माननीय मित्रसेन जी का घर जलाया गया, वही माननीय सीताराम निषाद जी विधायक का घर पास में ही है, निषाद जी के घर के

लोग खड़े होकर देख रहे थे कि किस प्रकार से पुलिस के लोग माननीय मित्रसेन का घर जला रहे थे। आप उनसे (निषाद जी) पूंछिये कि कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर माननीय मित्रसेन का घर पुलिस वालों ने फूंका कि नहीं फूंका ?

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके आप लोग बैठिये।

श्री मैनेजर सिंह--

सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी कोई माने नहीं रखती है। सी0 बी0 आई0 से जांच कराइये या माननीय मुख्य मंत्री स्वयं वहां पर जायें। देखें, जांच करें और इनका जो विवेक कहे वही कार्य-वाही करें। पुलिस की इन्क्वायरी का कोई अर्थ नहीं है। इस घोषणा को आप वापस लें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, बहस की बात नहीं है, अफसोस यह है कि माननीय मुख्य मंत्री ने अल्फाज का खेल कर के अपनी बात समाप्त कर दी। पी0 ए0 सी0 आतंक मचाये हुए हैं। नाजायज मुकदमें कायम किये जा रहे हैं। माननीय सदस्य की जान को खतरा है। इस सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, बल्कि दो-एक खूबसूरत जुमले कह कर बात खत्म कर दी। आप सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी कराने जा रहे हैं। आप स्वयं जानते हैं कि सी0 आई0 डी0 में पुलिस के ही लोग होते हैं। मान्यवर, सी0 आई0 डी0 कोई निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। मान्यवर, माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जिन्दा वापस जायंगे कि नहीं जायंगे, यह पता नहीं है। जिस तरह से वहां पर लोग मारे गये हैं, और मारे जा रहे हैं, इसको कैसे आप रोकेंगे ? सरकार का हाल यह है कि माननीय सदस्य जो हमारे बराबर बैठे हुए हैं, इनके घर पर हमला हुआ और पुलिस ने इन पर 302 का मुकदमा कायम किया। मान्यवर, अगर वहां पर रहने वाले लोगों की और माननीय विधायक की जान-माल की हिफाजत नहीं होती है तो मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सदन आइंदा ठीक प्रकार से चल सकेगा। मान्यवर, मुझे अफसोस है नेता विरोधी दल पर एक मजाक उड़ाने वाला जुमला कह कर बात को दूसरा रुख दिया गया यह सेहतमन्द तरीका नहीं है ऐसे यह सदन ठीक प्रकार से नहीं चल पायेगा।

श्री नारायन दत्त--

हमारे युवा सदस्य माननीय रामपुर को अगर किसी प्रकार से यह धारणा हो गई है कि हमने मजाक की भावना से कहा है, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि नेता विरोधी दल ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि संवेदना के शब्द जोड़ते इसमें सन्देह नहीं है। यह मजाक का समय नहीं है। जहां तक सुरक्षा की बात है मैंने परसों ही आदेश कर दिया है। जो शिष्टमण्डल कम्युनिस्ट दल का मिला था उसकी जानकारी में है। उनसे जो सारी बातें हुई उनको मैं यहां नहीं लाना चाहता हूं। जो बात वह चाहते हैं वह एक दल के नेता हैं मैं उनसे फिर से बातचीत कर लूंगा। जहां तक सुरक्षा की बात है मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन के प्रत्येक सदस्य का चाहें वह किसी दल के हों, किसी पक्ष के हों, सुरक्षा की मांग करेंगे तो सुरक्षा का प्रबन्ध अवश्य किया जायगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

नेता सदन ने जो कहा है उस राय दरोगा के निधन की चिन्ता हमको ही नहीं सारे सदन को है। नेता सदन विद्वान हैं, अनुभवी हैं। मित्रसेन जी के जीवन को खतरा है। मैं मुख्य मंत्री से यह चाहता हूं कि माननीय मित्रसेन की सुरक्षा का और जो वहां

आतंक हो रहा है, जो हालात है उसके बारे में क्या आदेश दिया है, वह बतला दें।

श्री नारायन दत्त--

सुरक्षा के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

वहां जो आतंक है उस पर क्या किया।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मैं वहां से आया हूं, . . .

श्री अध्यक्ष--

जिनका मामला है उनको कहने दीजिये।

श्री मित्रसेन--

यह सही है कि जो घटना वहां घटी दरोगा के मरने की जैसा नेता विरोधी दल ने कहा हम सभी को दुख है। जो मरने की बात कही गई, जानबूझ कर उसको मारा नहीं गया बल्कि भीड़ में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और वह दरोगा घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई।

(व्यवधान)

माननीय नेता सदन श्रेष्ठ सदस्य हैं, जो बात उन्होंने कही और जो आश्वासन हम चाहते थे, उससे हमको संरक्षण नहीं मिल रहा है। जो पुलिस की कार्यवाही है वह रोकी जाय, जो स्टाफ उसमें इंवाल्व है उसको ट्रान्सफर किया जाय, तभी वहां शान्ति व्यवस्था कायम हो सकती है। जब तक उनको नहीं हटाया जायेगा और पुलिस कार्यवाही नहीं रोकी जायेगी तब तक शान्ति रिस्टोर नहीं हो सकती है। वहां की पुलिस एकतरफा कार्यवाही कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है, हम लोगों को प्रताड़ित कर रही है। मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में जो आदेश करना चाहते हों उसकी घोषणा सदन में करें। गांव में शान्ति व्यवस्था कायम करने हेतु पी० ए० सी० को हटाया जाय। यह जो पुलिस कार्यवाही है तुरन्त रोक दी जाय। दूसरी बात, जिन पुलिस कर्मचारियों पर जुडीशियल इन्क्वायरी है उनका स्थानान्तरण कर दिया जाय। तीसरी बात पी० ए० सी० उस गांव से हटा दी जाय। यह हमारी मांगें माननीय मंत्री जी से हैं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके आप लोग शान्त रहें। मैंने सदन की भावनाओं को सुना, मैं माननीय नेता सदन से और माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर अगर मेरे कक्ष में आने की तकलीफ करें तो जो बातें हैं उनको सुलझाया जा सकेगा।

(मेजें थपथपायी गयीं)

और शान्तिपूर्वक हल किया जा सकेगा।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर शोर)

आप सब बैठें।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में एक विषम परिस्थिति बन गई है। सौभाग्य से मुख्य मंत्री जी भी मौजूद हैं। आज जब देहातों में रबी की फसल करीब-करीब तैयार है, केवल पानी की आवश्यकता है लेकिन बिजली की ऐसी स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दो घंटे, तीन घंटे से ज्यादा बिजली नहीं जा पा रही है। जब गांवों में बिजली नहीं जा पा रही है तो न कहीं नलकूप चल पा रहे हैं न लिफ्ट कैनाल चल पा रही हैं न निजी नलकूप चल पा

रहे हैं: ऐसी स्थिति हो गई है कि गेहूं की फसल सूखने जा रही है। मैं कल इलाहाबाद गया था, अपने क्षेत्र करछना भी कल मैं गया था। वहां नहर में पानी नहीं है, किसान कहते हैं कि बिजली नहीं आ रही है। सरकार की जो बिजली की स्थिति है उसमें यह 117 करोड़ रुपये की बिजली बाहर से खरीद रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रदेश में घोषित जो कटौती है उसके अलावा भी इनकी कटौती लागू है। तीन घंटे यह शहरों में बिजली काटते हैं। मान्यवर, इलाहाबाद में जब केन्द्रीय वित्त मन्त्री बजट पेश कर रहे थे तो न रेडियो में बिजली थी और न टेलीविजन पर बिजली थी। मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी घोषणा करें, सिंचाई मन्त्री भी हैं कि तत्काल शहरों की बिजली, 15-20 दिन के लिए बन्द करके, गांवों के लिए 18-20 घंटे बिजली कर दें, जिससे गेहूं की सिंचाई हो सके। अगर एक-दो दिन में यह व्यवस्था नहीं हुई तो गेहूं की फसल सूख जाएगी। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री यहां घोषणा करें कि नहर में कल से तत्काल पानी आ जाए। श्रीमन् वहां जो...

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष--

आपकी भी बात सुनी जाएगी। कृपया आप सब बैठें।

श्री रेवती रमण सिंह--

आज स्थिति ऐसी है कि पूरे प्रदेश में अशान्ति का वातावरण फैल गया है। किसानों में बेचैनी है। मैं चाहूंगा कि कार्यस्थगन का प्रस्ताव स्वीकार करके इस पर चर्चा करा दें या सरकार से वक्तव्य दिला दें।

(व्यवधान)

*श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, आज तक प्रदेश के अन्दर किसान बिजली और पानी के अभाव में त्राहि-त्राहि कर रहा है। आज बिजली और पानी की कमी की वजह से प्रदेश के अन्दर एक सोचनीय स्थिति पैदा हो गयी है और इस एयर कंडीशन भवन के अन्दर बैठकर मान्यवर, बिजली के बड़े-बड़े इंजीनियर किसान के दुख दर्द का अनुभव नहीं कर सकते। आपस की बात है हमारी जनता का दर्द सत्ता पक्ष के लोग भी जानते हैं। यह समस्या मेरी दृष्टि में बहुत आवश्यक है और इस पर चर्चा कराया जाना भी आवश्यक है। यदि मैं नहीं पूछूंगा तो मैं किसानों के प्रति अत्याचार करूंगा। मान्यवर खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश गेहूं की बहुत पैदावार करता है और बुलन्दशहर जिससे मैं आता हूं वहां से 1/7 हिस्सा गेहूं का सप्लाई होता है। मान्यवर, गेहूं की बाली आ रही है और उसमें पानी देना बहुत आवश्यक है। पिछले दिनों 5 तारीख तक बिजली की सप्लाई के आदेश थे लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 5 तारीख के बाद गांवों को पानी बिजली की कटौती के आदेश कर दिये हैं। किस आधार पर इस कटौती को किया गया है?

उद्योग की बिजली कटौती करने की बात दिखाई पड़ रही है। नोएडा के अन्दर बिजली की कटौती लागू की गयी लेकिन वहां के उद्योग धन्धों से दर लगाकर बहाल कर दिया गया है लेकिन और जगह कटौती लागू है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकार की तरफ से बिजली की सप्लाई कम से कम एक माह तक 15 घंटे प्रतिदिन दे दी जाय। आप मन्त्री पद पर आये हैं आप ही देखें कि किसान बिजली के अभाव में परेशान है। आज विधायक जहां भी जाता है उससे सिर्फ एक सवाल किया जाता है कुछ इन्तजाम कीजिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेशन चल रहा है यह सबसे आवश्यक काम है। किसानों को बिजली देने की व्यवस्था की जाय और उनको बचाने के लिए एक माह तक कम से कम बिजली की सप्लाई गावों को बढ़ाई जाय इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री शतरूद्र प्रकाश--

यह जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है यह जो मैटर है इसमें मुझे भी बोलने का मौका दिया जाय।

मान्यवर, मैंने प्रदेश के विद्युत संकट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन आपके समक्ष पेश किया था। इस समय, मैं समझता हूं कि प्रदेश में जो हालत है उसका बयान शब्दों के जरिये से नहीं हो सकता। पूरे सूबे में इस समय बिजली नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। श्रीमन्, इस समय 24 घंटे में केवल 2-3 घंटे ही बिजली मिल रही है। गेहूं की पूरी फसल सूख रही है। उद्योगों में भी कटौती हो रही है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन ठप हो गया है। केवल 2400 मेगावाट के आस-पास...

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी है। आप मान्यवर, नियम 58 (6) देखें जिसके अनुसार जिन विषयों पर इस सत्र में चर्चा होनी है उन पर कार्य स्थगन के समय विचार नहीं किया जाता। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा ही...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह निर्णय तो मैं करूंगा कि कौन बोलेगा। जब मैंने इजाजत दे दी है बोलने की तो आप यह प्रश्न क्यों उठा रहे हैं?

श्री शतरूद्र प्रकाश--

मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में 2400 मेगावाट के आस-पास तापीय विद्युत उत्पादन की क्षमता है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ एक हजार मेगावाट का ही उत्पादन हो पा रहा है। इसके अलावा मान्यवर, जल विद्युत का उत्पादन भी लगभग 529 मेगावाट हो रहा है और रिहन्द जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा जलाशय है उसका पानी का स्तर 841.5 फिट ही रह गया है। इसमें 10 फिट और कम हो जायगा तो पूरे प्रदेश में अंधकूप हो जायगा। पूरा प्रदेश अंधकूप में डूब जायगा। मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यहां पर विद्युत राज्य मन्त्री जी शायद मौजूद हैं, उनके इटावा की यह हालत है कि वहां 7 दिन से बिजली नहीं है इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मान्यवर कि पूरे सूबे को बिजली नहीं मिल रही है लेकिन रायबरेली, अमेठी, काशीपुर और लखनऊ ऐसे जो प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र हैं, बड़े क्षेत्र हैं, वहां पर 24 घंटे बिजली दी जा रही है। क्या कारण है कि पूरे सूबे में बिजली के अभाव में भी माननीय सदस्य, काशीपुर के निर्वाचन क्षेत्र में, रायबरेली और अमेठी में 24 घंटे बिजली दी जाती है? इस बिजली के इतने गम्भीर सवाल पर भी यदि कोई निर्देश नहीं दिये गये तो 15 दिन के अन्दर ही पूरा सूबा औद्योगिक संकट से ग्रस्त हो जायगा और हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि सरकार तत्काल कोई ऐसा कदम उठाए जिससे बिजली संकट दूर हो सके वरना खेत सूख जायेंगे। राज्यपाल ने कहा कि फसल के मामले में हम आत्म निर्भर हो गये हैं, लेकिन यदि सिंचाई ही नहीं होगी तो फसल कैसे होगी। इसके लिये कोई कदम उठाएं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये हैं, यह एक गम्भीर मसला है। मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से 21 तारीख को इस पर कोई वक्तव्य आ जाय।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, आपने वक्तव्य के लिये तो निर्देश दे दिया मान्यवर, उसमें अभी 4 दिन का समय है। लेकिन मान्यवर, किसानों की हालत अत्यन्त दयनीय है। मुख्य मंत्री यह आश्वासन दे दें कि विद्युत् आपूर्ति के घंटे बढ़ाने के सम्बन्ध में आदेश अभी जारी कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री नारायन दत्त--

मान्यवर, आपकी व्यवस्था इस बारे में हो चुकी है। 21 तारीख को सरकार की ओर से इस पर वक्तव्य आ जायेगा। लेकिन, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य काशी विद्यापीठ ने जो बात कही है, वह बिल्कुल सत्य और संदर्भ से परे है।

श्री राम सरन--

मान्यवर, हमारे यहां नहरें सूख रही हैं, नहरों में पानी आना बंन्द हो गया है। माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं उनसे भी कोई आश्वासन दिलवा दें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में बहरी सरकार के कान में प्रदेश के किसानों की पीड़ा को पहुंचाना चाहता हूं। मान्यवर, खलिहान में गेहूं आ रहा है। पिछले साल किसानों की जो दुर्गत हुई है, गेहूं के बेचने के संबंध में, उसकी जानकारी उधर बैठने वालों को और इधर बैठने वालों को है। पिछले साल गेहूं का रेट 152 रु0 प्रति क्विंटल था। मान्यवर, आज भी गोरखपुर के बाजार में माननीय सिंचाई मंत्री के जनपद में 100 रु0 क्विंटल के भाव से गेहूं लिया जा रहा है, चाहे पनेरा में ही खरीद लें। यह तो इनकी जानकारी में भी होगा। मान्यवर, जो फसल है, वह खलिहान में आ रहा है। गेहूं का न्यूनतम मूल्य, सपोर्ट प्राइस कृषि मूल्य आयोग तय करता है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में सरकार यह कहेगी कि यह काम तो कृषि मूल्य आयोग का है। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार ने कौन से रेट की बाबत संस्तुति कृषि मूल्य आयोग को की है। मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि पंजाब की संस्तुति पहुंच गई है, हरियाणा ने अपनी संस्तुति भेज दी है, दूसरे प्रान्तों ने भेज दी है कि गेहूं का न्यूनतम मूल्य कितना होना चाहिये। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकार की कोई संस्तुति अभी तक कृषि मूल्य आयोग को नहीं की है और यह इस बात का प्रतीक है कि सरकार किसानों के हित को सोचने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय को गंभीरता से लें।

मान्यवर, पिछले साल भी सदन में सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था कि बोरों की खरीद के लिये आदेश दिये जायेंगे, आपूर्ति मंत्री भी यहां मौजूद हैं बाद में यह भी कहा गया था कि कलकत्ता आर्डर जा चुका है। लेकिन वे बोरे नहीं आये। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। मान्यवर, ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी फसल, अपना अन्न, अपना गेहूं, सस्ते मूल्य पर बिचौलियों के हाथ में बेचना पड़ रहा है। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से फिर जानना चाहता हूं कि उन्होंने कृषि मूल्य आयोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को किसी प्रकार की कोई संस्तुति की है यदि की है तो वे सदन में बतायें। मान्यवर, यह कोई गोपनीय बात नहीं है। संस्तुति क्या है, प्रदेश का किसान इसे जानना चाहता है। मान्यवर, 22 तारीख को जब हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जायेंगे, आप भी जायेंगे, तो हर किसान आपसे यही पूछेगा कि आखिर सरकार ने गेहूं का दाम क्या निर्धारित करने के लिये संस्तुति की है। मान्यवर, केन्द्रीय बजट जो आया हुआ है, उससे महंगाई की भार अलग किसानों पर बढ़ रहा है। किसानों को परेशानी है। इसलिये सारे कामों को छोड़कर आप इस आदरणीय सदन में बतायें कि सरकार ने अगर कोई संस्तुति की है तो वह क्या है और उस संस्तुति के आधार क्या हैं?

मान्यवर, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले साल सरकार ने क्रय केन्द्रों की स्थापना की थी। परन्तु आज भी आप रिकार्ड मंगवा लीजिए और उसे देख लीजिए कि उन्होंने कितना गेहूं खरीदा और अपना काम कब से करना शुरू किया। मान्यवर, जब किसान का आधा गेहूं खराब हो गया तो उसे मजबूर होकर अपना आधा गेहूं सस्ते दामों पर बनियों को बेचना पड़ा। यह सब जो किया जा रहा है किसानों के प्रति सब गलत हो रहा है इसलिए हम चाहते हैं और आपसे आश्वासन भी चाहते हैं कि अपने विचारों से इस सदन को अवगत करायें। कृषि मूल्य आयोग को कौन सी सिफारिश दी गई है और उसका आधार क्या है। यहां पर उस पर बहस होनी चाहिए। सिर्फ फाइल पर सिफारिश कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। जब घोषणा हो जाती है तो इस आदरणीय सदन में आपका यह कहना बहुत सरल हो जाता है कि इस चीज की घोषणा तो कृषि मूल्य आयोग ने पहले ही कर दी थी अब हम इसपर कुछ नहीं कर सकते हैं।

आपने जो क्रय केन्द्र खोले थे, उनकी क्या लिस्ट है और वे कहां-कहां हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इस सरकार के प्रतीक हैं, इसलिए आज वह सारे कामों को छोड़कर इस आदरणीय सदन में इस पूरे प्रकरण पर अपने विचारों से माननीय सदस्यों को अवगत करायें।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, यह आदरणीय सदन मुझे इस रूप में देख रहा है शायद यह इन लोगों का सौभाग्य है या फिर मेरा सौभाग्य है।

मान्यवर, आप जानते होंगे कि मेरा चुनाव 5 तारीख को हुआ और 6 तारीख को काउन्टिंग शुरू हुई। दूसरे दिन होली को गुझिया लोग खा रहे थे। जब होली के पर्व पर मेरा होली का जुलूस निकला तो चुनारथाना पुलिस ने मेरे लोगों को पीटा और सैकड़ों लोगों को पीटा गया। गंगा राम यादव को पीटा गया। वहां के जो दरोगा हैं श्री राकेश कुमार शुक्ला और श्री लक्ष्मी नारायण त्रिवेदी ये दोनों लोग नारे लगा रहे थे और ये दोनों लोकपति त्रिपाठी जी के रिश्तेदार अपने को बता रहे हैं। लोकपति त्रिपाठी जी जिन्दाबाद भी ये लोग कह रहे थे और यह भी कह रहे थे कि हम लोग लोकपति त्रिपाठी जी के पास जायेंगे।

मान्यवर, मुझे 30 हजार 593 वोट मिले और कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार को लगभग 10 हजार वोट से हराया। मुझे ब्राह्मणों से लेकर अहीर व कुर्मियों हरिजन बेचारों के वोट मिले। मैं यह कहूंगा कि मुझे ब्राह्मणों के वोट ज्यादा मिले। ये इंस्पेक्टर और पुलिस वाले मेरे ऊपर ढेले और पत्थर फेंकते रहे। मेरे लोगों ने मुझे कृष्ण राम सिंह जी के मकान में बन्द कर दिया। इन पुलिस वालों ने मेरे ऊपर हवाई फायर भी किया। सी0 ओ0 विजय शंकर सिंह व एस0 डी0 एम0 बी0 बी0 वर्मा जी ने मेरी जान बचायी।

अमेठी विधान सभा क्षेत्र से श्री संजय सिंह का 1 लाख 22 हजार वोटों से जीतना क्या वह बेईमानी की नजीर नहीं है। चुनार विधान सभा क्षेत्र में 90 हजार वोट पड़ते हैं जो कि उत्तर प्रदेश का सब से ज्यादा शिक्षित क्षेत्र है। बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी की तो बाद में स्थापना की गयी है। उसके पहले ही 1916 म मेरे गांव में बी0 एस0 सी0 हो चुके थे लेकिन अमेठी जैसे पिछड़े स्थान में 1 लाख 22 हजार, बेइमानी का रिकार्ड है। जैसा मित्र सेन जी पर, अन्य विधायकों पर हमले बोले गये यह शर्म की बात है। शतरुद्र जी गये, डी0 आई0 जी0 को टेलीफोन किया, मैं चाहता हूं अगर पुलिस पर अंकुश करने का काम नहीं करेंगे तो गलत होगा। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में मिर्जापुर, जौनपुर, के बैलेट पेपर पाये गये, यह कितनी शर्म की बात है। चाहे तिवारी जी लाइये, चाहे उपाध्याय जी लाइये, मैं जात बिरादरी की बात नहीं करता लेकिन लक्ष्मी नारायन त्रिवेदी एवं राकेश शुक्ला को जरूर हटाइये।

श्री नारायन दत्त--

मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा और आग्रह करना अपना कर्तव्य समझता हूं कि ये सब बातें राज्यपाल के अभिभाषण में भी हो सकती हैं। वैसे बोलने का अधिकार है, सारा दिन बोल सकते हैं। नेता विरोधी दल की बातों को सुनना मेरा कर्तव्य है। जो बातें बिजली की, पानी की, गेहूं की कही जा रही हैं ये सब अभिभाषण की चर्चा में आ सकती हैं। मैं वरिष्ठ सदस्यों से आग्रह करूंगा विचार आपके हैं, माने या न माने..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी बातों को सुना अब नेता सदन को सुनें।

श्री नारायन दत्त--

दूसरी बात मैं आग्रह करूंगा कि प्रदेश में सभी सदस्य, चाहे किसी दल के हों, किसी वर्ग के हों, सभी दलों के मेनीफेस्टो में यह बात कही गई कि...

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

गौरी शंकर जी, व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती।

श्री यदुनाथ सिंह--

(व्यवधान के मध्य) चाहे राकेश शुक्ला हों चाहे लक्ष्मी नारायण त्रिवेदी, जानलेवा हमला किया, अदलपुरा गांव में तीन घन्टे बन्द न किये होते तो मेरी जान न बचती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं खड़ा हूं। आप सब बैठ जायं।

श्री यदुनाथ सिंह--

दरोगा के बारे में कोई बोल ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यों की भावनाओं को मैंने सुना और मैं चाहूंगा कि सरकार भी, जो बातें उठायी गयी हैं उन पर ध्यान देगी। जहां तक कार्य-स्थगन प्रस्ताव का मामला है, मैं निर्णय दे चुका हूं। कार्य-स्थगन के रूप में सभा को मैं खारिज करता हूं।

(मद संख्या 25 पुकारे जाने एवं श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा कुछ कहने पर।)

ओझा जी, आप मुझसे मिल लीजियेगा।

(समय 1 बजे)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली के नियम 110 के अन्तर्गत इसको स्थगित करने के लिये आपकी अनुमति चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

जो मसला हो, आप मुझ से मिल लें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

नहीं मान्यवर, मद संख्या 25 को स्थगित करने के लिये नियम 110 (6) के अन्तर्गत आपकी अनुमति चाहता हूं ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिये जाने पर ।)

मैं आपका ध्यान भारतीय संविधान की धारा 163 (i) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके सन्दर्भ में माननीय सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने 16 तारीख को मामला उठाया था । इसमें लिखा हुआ है कि--

"देयर शैल बी ए कौन्सिल आफ मिनिस्टर्स विद दी चीफ मिनिस्टर एट दी हेड टू एड एण्ड एडवाइस दी गवर्नर इन दी इक्सरसाइज आफ हिज फंक्शन्स ।"

इसके सम्बन्ध में जो उत्तर उधर से हुआ, उसमें यह बताया गया कि तमिलनाडु में जो चीफ मिनिस्टर हुए हैं, उन्होंने अकेले शपथ ली । वर्ष 1984 में यहीं पर तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने अकेले शपथ ली इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि--"इगनोरेन्स आफ ला इज नो इक्सक्यूज" । अगर कोई गलती, कोई अनियमितता हुई है, अगर संविधान के विपरीत कोई मामला हो गया हो, तो वह हमारे लिये "प्रिसीडेन्स" नहीं बन सकता, वह अनुकरणीय नहीं हो सकता । जिससे यह शासन चल रहा है, वह संविधान है, वह सर्वोपरि है, उसकी धाराओं में शब्द "देयर शैल बी" है । आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी ने मुख्य मंत्री पद की शपथ अकेले ली । "काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स" का अर्थ है कि एक से अधिक होने चाहिए । चूंकि शपथ अकेले ली है, इसलिये कैबीनेट जो कान्स्टीट्यूट की है, वह "इल्लीगली कान्स्टीट्यूटेड" है, असंवैधानिक रूप से गठित है और इस असंवैधानिक रूप से गठित मंत्रि-परिषद् ने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण तैयार किया । जब मंत्रि-परिषद् ही असंवैधानिक है, उसका वैधानिक आधार नहीं है, तो उसने जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण तैयार किया है, वह अभिभाषण "काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स" का अभिभाषण नहीं हो सकता । अगर इसके बाद भी यह आदरणीय सदन चलेगा तो किसी काम्पीटेंट कोर्ट में कोई भी चला जायगा तो प्रदेश के शासन का सारा कार्यभार असंवैधानिक हो जायगा । इसलिए विनम्र अनुरोध करूंगा कि संविधान की धाराओं को देखते हुए, उसकी मूल भावनाओं को देखते हुए, जिसके सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा है, यह जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव आ रहा है, उसको स्थगित किया जाय । यह कहने से काम नहीं चलेगा कि अमुक समय में केवल मुख्य मंत्री ने शपथ ली है, यह कोई "प्रिसीडेन्स" नहीं हो सकता । कृपया इसको स्थगित करने के लिये आदेश दें ।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

इस सिलसिले में आप उस दिन बोल चुके हैं और मेरा निर्णय हो चुका है । किसी माननीय सदस्य को मेरे निर्णय के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाद उसी विषय पर कुछ और कहना या उसके खिलाफ बोलना मुनासिब नहीं है। मैं इसको मन्जूर नहीं कर रहा हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

*श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं--

"यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 16 मार्च, 1985 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का आदरपूर्वक और ध्यान से अध्ययन किया। महामहिम राज्यपाल का भाषण सारगर्भित, उत्साह-वर्द्धक तथा प्रेरणादायक है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

आप चाहे जो कहें, मंत्री तो बनाये नहीं गये।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मुझे ऐसा मालूम होता है कि विरोधी पक्ष काफी मोटा होता चला जा रहा है और काफी मोटा होता जायेगा। आप शान्ति से सुनें और सुनने की प्रक्रिया को अपनायें। बीच में व्यवधान डालने से आप भी डिस्टर्ब होते हैं और हमें भी डिस्टर्ब करते हैं।

माननीय राज्यपाल महोदय ने सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का अपने भाषण में उल्लेख किया है। माननीय राज्यपाल महोदय ने हमारे प्रदेश की समस्याओं को गम्भीरता से रखा है और इसके सम्बन्ध में हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हमारे कार्यक्रम क्या हैं, उसका भी संकेत माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया है। मैं इन सारी बातों को आपके सामने रखूंगा। हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हमारे कार्यक्रम क्या हैं और किस तरह से सफलतापूर्वक हमने कार्यक्रमों को पूरा किया है।

श्री अध्यक्ष--

जो बहस जारी है या चल रही है, वह सुचारु रूप से हो सके, इस विचार से मैं समय निर्धारित किये देता हूं। नेता सदन के लिये कोई टाइम लिमिट नहीं है, नेता विरोधी दल के लिय भी कोई टाइम की लिमिट नहीं है। विरोधी दलों के नेताओं के लिये 20-20 मिनट का और माननीय सदस्यों के लिये 10-10 मिनट का समय निर्धारित करता हूं। मैं समझता हूं कि इससे आप सब लोग सहमत होंगे?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

ठीक है, आपने पुरानी परिपाटी जारी रखी है।

श्री अध्यक्ष--

प्रस्तावक के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। लाल प्रताप सिंह जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में दिवंगत नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। मैं उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने अपने व्यक्तित्व से सारे देश को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को प्रभावित किया। उन्होंने लेटिन अमेरिका, ईस्ट साउथ ब्लाक, साउथ ईस्ट एशिया तथा अफ्रीका इन सारे ही देशों को प्रभावित किया। इन्होंने इन सारे देशों के लिये बहुत महत्वपूर्ण काम किये, उन्होंने इस सम्बन्ध में जो भी काम किये, जितने भी काम किये, साथ ही हमारे देश के लिये भी जो उन्होंने काम किये उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये उनकी जितनी भी सराहना की जाय, वह कम है।

अभी यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष, डा० किसिंजर ने उनके बारे में कहा है :—

'शी वाज ए वंडरफुल क्रिएचर।'

श्रीमती इन्दिरा गांधी के अद्भुत व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए डा० किसिंजर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि—

"माई टन इयर्स इन ह्वाइट हाउस सी वाज ए स्ट्रांग पर्सनालिटी रिलेन्ट-लेसली परसुयिंग इण्डियाज नेशनल इन्टरेस्ट विद सिंगिल माइन्डेडनेस, आई रिसपेक्टेड हर इवेन हर पालिसीज वेअर हर्टफुल टू आवर नेशनल इन्टरेस्ट"

उन्होंने लिखा है कि वे बहुत ही स्ट्रांग विल की महिला थीं। इसके बावजूद जो कुछ भी उनकी पालिसीज थीं, उनमें भिन्नता थी। यद्यपि देश में विभिन्नता है इसलिये राष्ट्रीय हितों में भी विभिन्नता थी, फिर भी उन्होंने देश के लिये, देश के हितों के लिये, देश की रक्षा के लिये, प्रदेश के हित की रक्षा के लिये कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जिससे देश की अखण्डता को खतरा हो। यह उनके कहने का मतलब था। उन्होंने यह भी कहा कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। उनके निधन के बाद भी उन्होंने इस बात को दूसरे शब्दों में दुहराया भी है कि किस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की है और किस तरह से सुपर पावर के ऊपर संतुलन कायम किया। जिस तरह का संतुलन इंदिरा जी ने कायम किया उस तरह से कोई नहीं कर सकता है। एशिया में कोई ऐसा नेता नहीं है। चाहे आर्यभट्ट का भारतवर्ष हो या एण्टार्कटिका एक्सपेडिशन का भारतवर्ष हो, उसकी बुनियाद इंदिरा जी ने डाली थी। इस तरह से हमारे देश ने तरक्की की है। इंदिरा जी ने भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विज्ञान और दूसरे मामलों में ऊंचा उठाने की कोशिश की है और इस देश को महान बनाया है। हम इस समय नतमस्तक हैं ऐसे नेता के प्रति और आशा करते हैं कि उनकी नीतियों पर चलकर हम और हमारा देश आगे बढ़ेगा।

इसके साथ ही मैं कुछ अपनी आवश्यक उपलब्धियों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप उसे गौर से सुनें। हमारे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। हर क्षेत्र में हमारे प्रदेश का विकास हुआ है। हमारे प्रदेश ने चार वर्षों में ही रिमार्केबुल अचीवमेंट किया है। हर क्षेत्र में चाहे वह इंडस्ट्री का हो, उद्योग का हो, कृषि का हो और चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, हमें उपलब्धियां मिली हैं। सन् 1948-49 में यह कहा जाता था कि खाद्यान्न का यहां पर एक अजीब संकट है दाने-दाने के लिये लोग मोहताज हो रहे थे। दुनिया यह कहती थी कि अगर भारतवर्ष अपनी खाद्यान्न की समस्या हल कर ले तो वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा भी कर सकता है। इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है। छठी पंचवर्षीय योजना में 110 लाख टन उत्पादन चार वर्षों के अन्दर ही पूरा करके हमने दिखा दिया। 292 लाख टन खाद्यान्न की पैदावार हुई, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आगे का जो लक्ष्य है 300 लाख टन उत्पादन का वह भी पूरा हो जायेगा और इस तरह से खाद्यान्न की समस्या हल हो जायेगी। हम आत्मनिर्भर तो हो ही जायेंगे, हम सरप्लस भी हो जायेंगे। हमारी पैदावार बढ़ती चली जा रही है।

दूसरी तरफ कृषि के क्षेत्र में भी हमने काफी तरक्की है। किसानों को जो सुविधायें दी गई हैं, उनकी तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हर तरह से किसानों को सुविधायें दी गई हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि बिक्री-कर से एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स को छूट दे दी गई। जो छोटे किसान हैं उनको आगे बढ़ाने के सिलसिले में यह

छूट दी गई । 3 हजार रुपये का अनुदान भी उनको दिया गया । किसानों की जो कठिनाइयां थीं उनको दूर करने के लिये पूरा प्रयास किया गया और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं । उनके लिये मिनी किट का वितरण किया गया और यह सारे काम ब्लाक लेबिल से डिस्ट्रिक्ट लेबिल तक किया गया । किसानों की दिक्कतें दूर की गयी । सरकार की नीतियों से हमारा उत्पादन बढ़ा है और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया एक दूसरे से बात न करें । आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

तो यह सब किसकी देन है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1977 से 1979 तक कोई उपलब्धि नहीं हुई, इसको सभी लोग जानते हैं । उपलब्धियों के कारण हम ही हैं, हमारी पार्टी की पालिसियां हैं । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की है कि एक प्रोफेशनल कैडर बनाया जायेगा जिससे किसानों को सुविधा प्रदान की जायेगी और एक विजिटिंग सिस्टम होगा जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है ताकि किसानों को पूरी-पूरी सुविधा दी जा सके । यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है जिससे किसानों को राहत मिली है । एक और बात खाद्यान्नों के सम्बन्ध में भी पूरी की पूरी खरीददारी किसानों के उत्पादन की सरकार ने की है । इसके अन्तर्गत 23 लाख टन धान और 21 लाख टन गेहूं की खरीददारी हमारी सरकार ने की । यह एक मुकम्मल प्रस्ताव सरकार द्वारा किया गया है जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । इसमें हमारे प्रदेश का स्थान देश में दूसरा रहा है जिसने इतनी खरीददारी की ।

सिंचन क्षमता का लक्ष्य भी सातवीं योजना में लगभग 56 लाख हेक्टेयर भूमि को उपलब्ध कराने का है । इस प्रकार हम आगे कदम उठाते जा रहे हैं । इस तरह सरकार की मंशा किसानों को आगे बढ़ाने की है जिसमें हमने कामयाबी की है । हर खेत तक पानी पहुंचाना और हर खेत तक नाली बनाना यह हमारा ध्येय है इससे हमारी सिंचन क्षमता बढ़ी है ।

इसी तरह से रासायनिक खाद के लिए भी किसानों को प्रोत्साहन दिया गया है जिससे इसका उपयोग काफी बढ़ा है । इस तरह से छोटे, मध्यम और दूसरे सभी किसानों को सहायता पहुंचाने की बात है । सिंचाई के साधनों में उनको राहत पहुंचायी गयी है जिससे उनका उत्पादन बढ़ रहा है । इन सब बातों की सराहना होनी चाहिये और हो रही है ।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे देश और प्रदेश में हुआ है । हर एक क्षेत्र में चाहे वह सिंचाई हो, लघु उद्योग हो या कल कारखाने हों या फारेस्ट्री हो । हमारी बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई हैं जो आप सबके सामने हैं । इसके अलावा उद्योगों के क्षेत्र में भी थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा जिससे हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से शीघ्र ही प्रथम स्थान प्राप्त करेगा । एक सेंट्रल प्रोजेक्ट से लगभग 3 हजार करोड़ रुपया यहां खर्च होगा जिसके लिए इंटरप्रेन्योर हमारे

सामने आ रहे हैं, आकर कल कारखाने लगा रहे हैं। तो इस सेंट्रल प्रोजेक्ट से 3 हजार करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च होना है। इसके अलावा राज्य सरकार 6 सौ करोड़ रुपया खर्च करेगी जिसके लिए इंटरप्राइज स्थापित हो रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। छोटे-छोटे उद्योग भी 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लगे हैं वह भी करीब 89 हजार यूनिट हैं। इस तरह से हर जिले में इकाइयां लगी हुई हैं। जिसे इस मामले में जीरो डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जहां पर कोई उद्योग नहीं है वहां के लिए भी सरकार का प्रयास है कि एक बड़ा उद्योग वहां लगाया जाय इसके लिए कदम बढ़ाये जा रहे हैं। हमारे प्रतापगढ़ में जैसे ट्रैक्टर का कारखाना है, दीगर जिलों में भी एक मेजर इंडस्ट्री स्थापित होगी।

(इस समय 1 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहा है कि बिना कृषि और उद्योग में सामंजस्य के प्रगति नहीं हो सकती। कृषि उत्पादन भी बढ़े और इंडस्ट्रिलाइजेशन भी हो। क्योंकि हमें प्रदेश को आगे बढ़ाना है, उसका मार्डनाइजेशन करना है। बिना औद्योगीकरण के हम कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि वह चीजें हम भी प्राप्त करना चाहते हैं जो पाश्चात्य देशों ने हासिल किया है। उद्योग के तरीके उसी तरह करें जैसे कि पाश्चात्य देशों ने किया है। छठी पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट था वह लगभग पूरा हुआ है। सातवीं पंच वर्षीय योजना में एक महत्वाकांक्षी योजना बनी है जिसके माध्यम से औद्योगीकरण कर सकते हैं। तो एक तरफ छोटी और लघु उद्योग और बड़े उद्योग भी लगाये जा रहे हैं। हमारी तरफ से और केन्द्र सरकार से भी मदद मांगी जा रही है जैसा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है उसका प्रस्ताव भी रखा गया है 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा का। इन सब सुविधाओं के अलावा और पूंजी देकर तथा सुविधायें देकर इस प्रदेश को एक आधुनिक एवं माडर्न प्रदेश बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं और इसमें कामयाबी हासिल हो रही है। छोटे उद्योग तेजी से आ रहे हैं। जो छूट और सुविधायें दी गयी हैं वह सब सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वह अपनी जगह है। इन सबका प्रभाव हो रहा है कि लोग उत्साहित हो रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाकर रोजगार प्राप्त करें। प्रत्येक जिले में, जो जीरो जिले हैं उनमें भी अब इंडस्ट्री लगायी जायगी। हर ब्लाक में इंडस्ट्री लगाने का कार्यक्रम रखा गया है और वहां छोटी-छोटी यूनिटों में इंडस्ट्री लगाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार मदद दे रही है। इसलिए कोई संदेह नहीं है कि इस तरह औद्योगीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, होने से और कृषि में उत्पादन बढ़ने से हमारा प्रदेश सारे भारतवर्ष में प्रथम स्थान कृषि के उत्पादन और औद्योगीकरण में प्राप्त करेगा।

मान्यवर, यही नहीं, बड़े-बड़े उद्योग जैसे टेक्सटाइल्स और सीमेंट उद्योग में उत्पादन बढ़ा है और इनको माडर्नाइज किया जा रहा है। इसी तरह दूसरे उद्योग जैसे लेदर का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से मान्यवर, हमारे प्रदेश का आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है।

मान्यवर, यही नहीं, इस सम्बन्ध में मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग के सिलसिले में जो पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं उनको सरकार 25 हजार रुपये की मदद दे रही है। इससे बेरोजगारी दूर की जा रही है और लोगों को नये रोजगार के साधन उद्योग लगाकर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसमें बहुत कुछ उपलब्धियां हमको हुई हैं और जो लक्ष्य था 36 हजार व्यक्तियों को इस तरह से ऋण देकर रोजगार की सुविधा प्रदान की जाय और दौलत बढ़ायी जाये। तो इस तरीके से बेरोजगार

लोगों को रोजगार मिले हैं और वह दौलत पैदा करते हैं । इससे उनको और प्रदेश एवं देश को लाभ हो रहा है और 36 हजार व्यक्तियों ने छोटे-छोटे उद्योग लगाये हैं । इससे हमारी सम्पत्ति क्रियेट हो रही है, यह हमारे प्रदेश की शानदार उपलब्धि है ।

मान्यवर, आपके सामने और बहुत सी उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहता हूं । मान्यवर, जहां तक गन्ना किसानों का सवाल है और श्री जनार्दन प्रसाद ओझा इस सम्बन्ध में सवाल उठाया करते हैं, आज नहीं तो आगे उठायेंगे, गन्ने की पैदावार पहले से बढ़ी है । नई मिलें लगायी गयी हैं। पेराई शुरू हुई है और नई मिलें लगाने का प्रस्ताव भी है । यही नहीं, जो मने आंकड़े देखे, उनसे यह मालूम पड़ा कि पहले सालों से 34 फीसदी ज्यादा उत्पादन गन्ने का हुआ है । मुख्य मंत्री जी जब यहां आए, उन्होंने मुख्य मंत्री पद का कार्यभार संभाला तो उन्होंने पहली बात यह कही कि जो आउटस्टैंडिंग एरियर है, जो बकाया है, वह पूरे का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा । इस पर ओझा जी ने भी कहा था कि पूरे का पूरा भुगतान की घोषणा हो गयी है । यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

लेकिन क्या कोई ऐसी एजेंसी है जो फायदे में चल रही हो ?

श्री लाल प्रताप सिंह--

वह दूसरा सवाल है, लेकिन यह सच है कि इसका उत्पादन बढ़ा है, बकाये का भुगतान कर दिया गया है और सहकारी क्षेत्र में नई मिलें लगायी गयी हैं । फायदे की बात कहना, यह दूसरी बात है, पर आंकड़े यह बताते हैं कि फायदा हुआ है, केन ग्रोवर्स प्रसन्न हैं, नई मिलें लगी हैं और लगायी जा रही हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

आप वास्तविकता बताइये, आप आंकड़ पर ही क्यों बल दे रहे हैं, वह तो दिखावटी है ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

अभी जो आपके सामने आंकड़े उपलब्ध हैं उन्हें ही आप देखें । पेय जल की सप्लाई में हमने बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त की है और 35 हजार गांव, जो प्राब्लम विलेजेज हैं, उनमें पानी पहुंचाने का हमारा कार्यक्रम था और हमने लगभग 35 हजार गांवों में पीने के पानी की सप्लाई की है । यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही नहीं सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा विचार है कि ज्यादा से ज्यादा, शायद ही कोई गांव ऐसा बचे जिसमें पानी न पहुंचे, ऐसा हमारा विचार है ।

श्री बदन सिंह--

आगरा व मथुरा आदि में खारी पानी के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री अधिष्ठाता--

जो बदन सिंह जी ने बात कही है उस पर आप कुछ न कहें, आप अपनी बात जारी रखें । उसका जवाब अलग से आएगा ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

तो मैं पेय जल की व्यवस्था के बारे में कह रहा था कि 35 हजार गांवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गयी है, जैसा लक्ष्य था और उससे अधिक ही । हर गांवों में पानी पहुंचाने की हमारी व्यवस्था है । एक लाख से कहीं अधिक गांव हमारे प्रदेश में हैं और हर जगह पानी पहुंचाने का विचार रखा गया है । इसके अलावा हमारे जो दूसरे कार्यक्रम हैं, उनके बारे में भी मैं उपलब्धियां बताना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं । हमारी सरकार और कांग्रेस सरकार का हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि गरीब, निर्बल वर्ग, कमजोर और हरिजन वर्ग

को ऊपर उठाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को दुरुस्त किया जाए, जिससे वह आत्म सम्मान के साथ समाज में रह सकें और वह स्वावलम्बी बन सकें। इस उद्देश्य से जो कार्य हुआ है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय है और वह सब आपको विदित है।

20 से 21 फीसदी हमारे यहां शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राईब्स के लोगों की जनसंख्या है और यह पूरे देश की जनसंख्या का 25 प्रतिशत है। हमारी जो आई0 आर0 डी0 स्कीम है, उसमें 50 प्रतिशत ऐसे लोगों को चुनना है जो इस वर्ग से आते हैं। ऐसा क्लास है जो हर स्तर पर अभी भी पिछड़ा हुआ है, इसको उठाने का सरकार ने बराबर प्रयास किया है और कर रही है। इसमें लगभग 46 लाख परिवार आते हैं, जिसमें 30 लाख परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे के हैं। यह 30 लाख परिवार जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं इनका तेजी से विकास होगा और आगे चलकर इसमें से 15 लाख परिवार गरीबी की रेखा के ऊपर आ जायेंगे। इस कार्यक्रम पर तेजी से काम हो रहा है। इन लोगों में लोन तकसीम किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोन तकसीम किए गये हैं। लोन तकसीम करके यह देखा जाता है कि वह इस लोन का इस्तेमाल करेंगे, उससे रोजगार पैदा करेंगे और अपनी जीविका उपार्जन करेंगे या नहीं। इसके लिए ब्लाक लेविल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेविल तक मानीटरिंग कमेटियां बनी हुयी हैं जो इस बात की देखभाल करती हैं। इसमें हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हुयी है। आगे आगे आने वाले दिनों में मैं विश्वास करता हूं कि इस समाज की तरक्की होगी और आगे आने वाले 5 वर्षों में कोई नहीं रह जायेगा जो गरीबी की रेखा के नीचे हो। उनका उत्थान होगा और वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठेंगे।

सरकार ने घोषणा किया है और बड़ी खुशी की बात है कि इनको वजीफा या छात्रवृत्ति दी जा रही है यह छात्रवृत्ति हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल की स्टेज तक के पढ़ने वालों को दी जायेगी। मैं इस बात के लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं और सराहना करता हूं कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को वजीफा देने का कार्यक्रम चलाया है। इन लोगों के लिए हमारे सामने और भी तमाम कार्यक्रम हैं उनसे भी इनको लाभ हो रहा है। जो समाज तरक्की नहीं कर सका अब वह इज्जत के साथ उठ रहा है और उसका आर्थिक उत्थान हो रहा है। यह गरीब भाई बहुत दिनों से पीड़ित, दुखी हैं, अब यह भाई समाज में शामिल हो कर सामने आ रहे हैं और भेदभाव बहुत कम रह गया है। जो कुछ रह भी गया है उसको हम सबको मिटाना है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगीकरण होता है तो जो भेदभाव समाज में होता है वह धीरे-धीरे दूर हो जाता है। आज किसी कारखाने में चले जायं किसी जाति का या वर्ग का भेदभाव नहीं कर सकते। हर व्यक्ति पेंट, सूट, कोट पहने है आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स का भेद नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से यह क्रान्ति हुयी है। सरकार के जो कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से और सामाजिक क्रान्ति के माध्यम से, विचारों की क्रान्ति के माध्यम से यह समाज आज बढ़ सका है। हमारी सरकार की नीति रही है, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने सिंगिल माइन्डेड भावना से इस वर्ग को ऊपर उठाने की कोशिश की है और इसमें हमको बहुत बड़ी उपलब्धि हुयी है जिसकी मैं सराहना करना चाहता हूं।

यही नहीं हमारे विरोध पक्ष को उन बातों की सराहना करनी चाहिये जिन बातों में हमारा सब्स-टेंशियल एचीवमेन्ट हुआ है। वह सराहना नहीं करते यह दुर्भाग्य की बात है। जो हमारी उपलब्धियां हुई हैं

उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी मैंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम का हवाला दिया था और मैं फिर कहना चाहता हूं कि "इट हेज वस्ट इमेजिनेशन आफ दि पीपुल" लोगों की भावना को 20 सूत्रीय कार्यक्रम ने पकड़ लिया है और इससे हमारे देश तथा प्रदेश में क्रान्ति हुई है और इस पर हमारे प्रदेश में बहुत तेजी से काम हो रहा है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का संशोधित रूप जनवरी, 1982 में आया और उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मानीटरिंग के लिये एक सेक्रेटरी लेबिल पर कमेटी बनायी थी कैपिटल स्तर पर इसके लिये एक कमेटी बनी है जो 20 सूत्री कार्यक्रम की मानीटरिंग करती है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर कमेटियां बनी हैं जिनमें हम सब विधान सभा के सदस्य उसके सदस्य हैं। वहां पर इसकी मानीटरिंग होती है और कड़ी निगाह रखी जा रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आई0 आर0 डी0 प्रोग्राम के अन्तर्गत बहुत ही तेजी से काम हुआ है। इसमें जैसा मैंने निवेदन किया कि 50 फीसदी लोग इस वर्ग से आते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वर्ग से आते हैं और दूसरे 50 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से जो नीचे होते हैं, वह आते हैं। इस योजना के माध्यम से इन लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। एन0 आर0 ई0 पी0 के माध्यम से भी रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं। यह वह प्रोग्राम है जो "फूड फार वर्क" के नाम से जनता सरकार द्वारा लाया गया था। अब उसके स्थान पर एन0 आर0 ई0 पी0 की व्यवस्था की गयी है। यह फूड फार वर्क तो बिलकुल नाकाम-याब रहा, उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। लेकिन एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत एक जिला भी बताइये, मैं पूछना चाहता हूं कि जहां सड़कों का जाल न बिछ गया हो।

सड़कें हमारी पी0 डब्लू0 डी0 भी बना रही है, जिला परिषद्, आर0 ई0 एस0 भी बना रही है और यह यातायात की सुविधा जो है, वह हमारे आर्थिक उत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और यह सारे उत्तर प्रदेश में हुआ है और मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं तो यह भी कह रहा हूं कि लखनऊ की सड़कों ने एक अपना नया रंग ले लिया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी खुद ही इसकी मानीटरिंग करते हैं। पी0 डब्लू0 डी0 विभाग भी इनके पास है। यह यातायात की उपलब्धि, यातायात का होना, सड़कों का होना, पक्की सड़कों का होना, कच्ची सड़कें, खंड़जे वाली सड़कें हमारे प्रदेश में तेजी से बन रही हैं। इसके आंकड़े आपके सामने आगे आयेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कई हजार किलोमीटर की सड़कें बनने का प्रस्ताव अभी पी0 डब्लू0 डी0 के द्वारा है और वह तेजी से बनाई जा रही हैं। गारंटी रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़कों का जाल बिछता जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन जो कभी हुआ था, वह दो-तीन साल के अन्दर हुआ है और कहीं कोई भी आदमी ऐसा नहीं कह सकता है, जिसको रास्ता न मिलता हो। सड़कों के बनने से हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है।

आगे चल कर आप देखेंगे कि हमारे सोशल फारेस्ट्री में जो इस तरह की सोशल सर्विसेज हैं, उसमें हमारी बड़ी उपलब्धि हुई है। जो हमारी सोशल सर्विसेज हैं, उसमें बहुत बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि हमारे फारेस्ट, कम होते जा रहे हैं, उसके लिए हमारी स्टेट सरकार ने एक योजना बनाई है कि किस तरह से फारेस्ट बढ़ाया जाय। चारों तरफ सड़क किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, यह जो पेड़-पौधे लगाये जा रहे हैं, यह कार्यक्रम बीस सूत्रीय कार्य-

क्रम के अन्तर्गत लिया गया है और उससे ईंधन और लकड़ी की जो कमी होती जा रही है, वह पूरी होगी और सातवीं योजना हमारी एम्बिसस योजना है और आशा है कि आशातीत उपलब्धि हमारी होगी। जो मैं सोशल फारेस्ट्री के सम्बन्ध में आपसे निवेदन कर रहा था वह मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्तर्गत हमारे प्रदेश के अन्तर्गत हुए हैं। इसके अन्दर 6 हजार किलो मीटर सड़कों का निर्माण हुआ है और पी0 डब्लू0 डी0 ने 1140 नई पक्की सड़कें और कच्ची, मिटटी और खड़ंजे की सड़कें बनाई हैं। हिल एरिया में ऐसी सड़कों का निर्माण किया गया है जिस पर घोड़े चलते हैं, वह हिल एरिया में बनाई जा रही हैं। तो यह हमारी उपलब्धि है। नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज जो हैं उनको बेहतर बनाया गया है। इसलिए हमारे कम्युनिकेशन के सिलसिले में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मैं आपसे बिजली के सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं। बिजली के सम्बन्ध में प्रश्न आज उठाया गया। यह थोड़ा कठिन है। हमारी जो बिजली की पैदावार पहले से थी उससे बिजली की पैदावार अधिक हुई है। लेकिन हमारा लोड बढ़ता जा रहा है। एक तरफ गांव की आज भूख विकास की है। हर व्यक्ति, गांव का किसान, गांव का मजदूर विकास चाहता है। बेहतर सुविधा चाहता है, अच्छी तरह से जीवन बिताना चाहता है। नयी युग की हर सुविधा चाहता है। गांव का हर किसान चाहता है कि उसके यहां नहर हो, पुल हो, सड़क होनी चाहिये, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। यह ठीक है कि विकास होना चाहिये। लेकिन इसके लिये हम सब को लेकर सहयोग देने की आवश्यकता है। सरकार निष्ठापूर्वक इसको पूरा करने जा रही है और कर रही है, इसको आप सब जानते हैं। इसमें सरकार को बहुत कुछ कामयाबी हासिल हुई है। हमारे यहां बिजली की समस्या है लेकिन इसके लिये सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़ा धन देने का प्रस्ताव किया है। एक तरफ गांव में बिजली की मांग हो रही है, तमाम गांवों का विद्युतीकरण हो रहा है बहुत से क्षेत्रों का, ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण हुआ है। जो गांव नहीं हुये हैं उन सब में करने का प्रस्ताव है। जो हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है, हरिजन बाहुल्य गांव है, शायद ही कोई गांव बचा हो, हमारे जिले में सभी गांव में बिजली पहुंच गई है, जहां हरिजन बाहुल्य गांव है, जहां नहीं पहुंची है, पहुंचाने का प्रस्ताव है, व्यवस्था की जा रही है। बिजली पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। हमारे जो स्टाल्ड कैपेसिटी है...

श्री किरनपाल सिंह...

बिजली जा भी रही है।

श्री अधिष्ठाता...

माननीय आपको समय मिलेगा तो बोलियेगा।

श्री लाल प्रताप सिंह...

हमारे यहां ही नहीं जो बहुत विकसित देश हैं अमेरिका में भी यह दिक्कत आती है। थोड़ा धैर्य रखें। आप देखें आज से 20, 25 और तीस वर्ष पहले क्या व्यवस्था थी और आज क्या है। बिजली के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था। बिजली के मामले में सरकार बहुत सतर्क है। बिजली की कमी अन्य देशों में भी है जो बहुत तरक्की आफता है। मशीन का युग है, इन चीजों की कमी समय-समय पर होना लाजिमी है। 25, 30 साल पहले क्या व्यवस्था थी और आज हम विकास के किस दौर से गुजर रहे हैं। हर आदमी आज बेहतर रहना चाहता है, बेहतर खाना-पीना चाहता है। समाज में अपने को शो करना चाहता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि

20, 25 साल पहले की व्यवस्था को देखें। हम लोग वकालत खपड़ैल में करते थे वहां बिजली नहीं होती थी आज हर जगह बिजली लगी हुई है। जितनी तरक्की के रास्ते को हम पार कर चुके हैं उतना बाकी है, तरक्की की कोई सीमा नहीं है। आज जितना किया है कल उतना करेंगे। जितना रास्ता आज तय किया है, जितना कल करेंगे, उतना बाकी रहेगा। जितनी मंजिल हमने तय करली है, उतनी ही मंजिल हमेशा बाकी रहेगी। तरक्की की कोई सीमा नहीं है। मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा था कि आप देखें कि सरकार किस तरह से निष्ठापूर्वक प्रगति कर रही है। किस प्रकार से निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए सरकार ने आपके प्रदेश को भारतवर्ष के नक्शे में पहला स्थान दिलाने में सफल रहीं। यह बहुत बड़ी बात है। इस तरफ देखने की आवश्यकता है।

मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी उपलब्धियों की सराहना केन्द्रीय सरकार ने भी की और वहां से जो सम्बन्धित लोग हैं उन्होंने भी की थी। पंचवर्षीय योजना को हमने सफलतापूर्वक पूरा किया, छठी पंचवर्षीय योजना को भी सफलता-पूर्वक पूरा किया। हमारे विकास की दर जो 7.2 थी अब इसके बढ़ने की आशा है। मान्यवर, इतनी उपलब्धियां चाहे वह कृषि की व्यवस्था में हों इन्डस्ट्री की व्यवस्था में हों, हुई हैं। कहीं कोई कमी नहीं पाई जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी में, मैंने देखा है और अनुभव भी किया है, उनकी विकास कार्य में रुचि है। दूसरी बात, विकास कार्यों के बारे में उन्हें बहुत जानकारी है। उन्होंने इतनी गति दी है विकास कार्यों को कि हम सब लोग विकास कार्यों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हर रास्ते में बढ़े हैं।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने यह भी घोषणा की थी कि एक लाख मकानात कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनेंगे। कमजोर वर्गों के लिए मकानों की बहुत बड़ी योजना बनी है। मकान सबके पास होना चाहिए। जिसका मकान नहीं है उसका आर्थिक स्तर ऊपर नहीं उठ सकता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी हमको काफी सफलता मिली है। इसमें लगभग सबको मकान मिल जाएंगे। गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए जो सीलिंग से जमीन मिली है उसका काफी हिस्सा उन लोगों में तकसीम किया गया है। काफी आर्थिक सहायता दी गई है। काफी जमीन मुकदमों में फंसी है सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी उनका फैसला हो। पट्टे पर जो जमीन दी गयी है उसमें सरकार सहायता दे रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में उनको काफी सहायता दी गयी है। अक्सर हमने देखा है जमीन जिसके पास नहीं है वह यह महसूस करता है कि हमारे पास वह दौलत नहीं है जो होनी चाहिए। इसलिए जमीन के बंटवारे का काम तेजी से किया जा रहा है।

विकास कार्य को कई क्षेत्र में बांटा गया है। पूर्वी क्षेत्र के लोग शिकायत करते थे कि हमारा उस तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। हमको सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं। उनके लिए एक योजना बनायी है, उसके अनुसार यह देखा जाएगा कि क्या-क्या कमियां हैं। मैं भी पूर्वी क्षेत्र से आता हूं और फख्र के साथ कह सकता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य हुए हैं और हम प्रगति के रास्ते पर हैं। हमारे दूसरे क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र आते हैं मैं खुद पहाड़ी क्षेत्र में गया था वहां लोग एक-एक किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। एक-एक किलोमीटर से आगे से पानी लाते थे। बिजली के पोल की व्यवस्था की गयी सड़कों के निर्माण की व्यवस्था की गयी और उनको फिर से बनवाया और काफी पैसा वहां खर्च किया जा रहा है वहां सड़कों के लिए उनको बेहतर बनाने के लिए। यही नहीं

वहां बहुत सी इंडस्ट्रीज लग रही हैं इलेक्ट्रानिक्स और दूसरी इंडस्ट्रीज भी हिल क्षेत्र में लग रही हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी सड़क वहां बनवा रहे हैं और इन्डस्ट्रीज बाहरी क्षेत्रों में लगवा रहे हैं। इसमें सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। इनसे हमारे देशों को लाभ मिलेगा।

दूसरे और तीसरे क्षेत्र जो हमारे आते हैं वह पश्चिमी क्षेत्र हैं उनमें भी पिन प्वाइंट पर क्या दिक्कतें हैं वह देखा जा रहा है? सेन्ट्रल एरिया जो हमारा आता है इसके अलावा जो 5 क्षेत्र हैं उनमें अलग-अलग यह देखा जा रहा है कि उनकी दिक्कतें, कमजोरियां क्या हैं। उनको दूर करने की पूरी व्यवस्था हो रही है और भेदभाव मिटता चला जा रहा है और सारा प्रदेश एक इकाई के रूप में सामने आ रहा है। पहले कहा जाता था कि यह क्षेत्र अलग कर दिया जाय वह क्षेत्र अलग कर दिया जाय खास तौर से विपक्ष के लोगों का प्रस्ताव यह आता था। अब यह भावना समाप्त होती जा रही है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि यह सारा का सारा प्रदेश एक इकाई के रूप में सामने आ गया है।

हमारी दूसरी उपलब्धि जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था 1972 में हाऊस एलाट करने का प्राविधान हुआ था एक योजना स्कीम भी की गयी है और इसमें एक लाख मकान बनाने का प्राविधान है। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया तो यह सारी उपलब्धि सारी चीजें जो हमारे प्रदेश को उठाने के लिए हो रही हैं उसके लिए मैं सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। महामहिम राज्यपाल जी ने यह भी कहा है कि 16,800 करोड़ रुपये की योजना 6 प्रतिशत विकास की दर पर योजना आयोग की स्वीकृति के लिए दिया गया है। इसके पहले जो मिलता था वह पर्याप्त नहीं था क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है जिसमें 12 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और उसके अधिकांश लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं।

अभी तक हमारी विकास दर ऊंची नहीं थी लेकिन अब जो 16,800 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। मुझे आशा है कि इससे हमारे प्रदेश का उत्थान होगा इसमें संदेह नहीं है कि इन सारी योजनाओं को उठाने का सराहनीय काम किया गया है। यह प्रयास किया जा रहा है कि इस वर्ष के अन्त तक इस धनराशि को बढ़ाकर 4 सौ करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगी इससे भी 1984-85 में इन योजनाओं में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। हमने इससे भी बहुत अधिक खर्च किया है। जैसा कि मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था उसमें शिक्षा का क्षेत्र है इसमें यूनिवर्सिटी पालीटेक्निक और इंजीनियरिंग कालेज हैं। अभी-अभी हमारे लखनऊ में एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हुई। महिलाओं के लिए भी एक पालीटेक्निक स्कूल खोला गया है ताकि महिलाएं और पुरुष कन्धे से कन्धा मिलाकर काम कर सकें। अन्य बहुत से इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र, टी० वी० के क्षेत्र हैं, जिनमें महिलाओं को पूरी सुविधा दी जा रही है तालीम हासिल करने की तथा बेरोजगारी दूर करने की। बहुत से स्कूल और कालेजेज की भी डिमाण्ड है जिसे पूरा किया जा रहा है और अच्छे लड़कों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहां प्राइमरी स्कूल, जिन्हें जूनियर स्कूल कहते हैं, मिडिल स्कूल जिन्हें सीनियर स्कूल कहते हैं, उनकी भी डिमाण्ड है, जिसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य केन्द्र की जो योजनायें हैं, उनको भी सातवें प्लान में बहुत महत्व दिया जा रहा है। यही नहीं छोटे-छोटे अस्पतालों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनके सम्बन्ध में विचार है कि इतने केन्द्र स्थापित किये जायं कि एक किलोमीटर से लेकर दो किलोमीटर तक के अधिक किसी भी आदमी को कहीं दूर न जाना पड़े। कहीं अन्यत्र दूसरे स्थानों पर न जाना पड़े। इस दिशा में यह भी हमारी उपलब्धि है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं माइनारिटीज के सम्बन्ध में इसका भी जिक्र महामहिम राज्यपाल ने किया है, अपने अभिभाषण में। कोई भी मुल्क जिसमें माइनारिटीज को इज्जत नहीं मिलती, कभी बड़ा नहीं हो सकता है। अगर माइनारिटीज को उनका हक हासिल नहीं है तो यह देश के लिए बहुत खराब बात है। इसके लए भी पूरी व्यवस्था की गई है। माइनारिटी की कोचिंग की व्यवस्था की गई है। अक्सर माइनारिटीज के लोग कहते हैं कि आज इंडियन सर्विसेज में उनको वाजिब स्थान नहीं मिल पाता है। तो उनकी कोचिंग की व्यवस्था की गयी है और भी कई इंस्टीट्यूशन्स उनके लिए स्थापित किये गये हैं जिनके माध्यम से माइनारिटीज के लोग अपना हक हासिल कर सकते हैं। कम्पटीशन में लोगों को पूरी तरह से कम्पीट कर सकते हैं। यही नहीं उनको वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

जहां तक हिन्दी का सवाल है, महामहिम राज्यपाल ने उसका भी जिक्र अपने अभिभाषण में किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी हिन्दी में सारे कार्य कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। टेक्निकल एजूकेशन और साइन्स की शिक्षा भी हिन्दी में दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार उर्दू के भी विकास का कार्य किया जा रहा है। हिन्दी और उर्दू दोनों भारतवर्ष की जुबान हैं। यहां कि तमिल, उड़िया या महाराष्ट्री हर जुबान को इज्जत मिलेगी। किसी भी जुबान के साथ भेदभाव नहीं किया जायगा। यह मुल्क तभी खूबसूरत हो सकेगा जब हर भाषा की तरक्की हो। हर भाषा मिल कर बोलने से हमारी भाषा और समृद्ध होती है। इसको समृद्ध करने पर गौर महामहिम राज्यपाल ने किया है। यह खुशी की बात है कि हिन्दी और उर्दू के विकास के लिए पूरे प्रयास किये जा रहे हैं।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में एक जन-कल्याण की योजना चलाई जा रही है। हमें चाहिए कि एक दिमाग होकर पूरे देश की तरक्की के बारे में सोचें तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं तो यह भी निवेदन करूंगा, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कि सारे झगड़े कुछ सालों के लिए भुलाकर, हम विकास की गति को तेज करें, उसको दिशा प्रदान करें। तो, आप देखेंगे कि 4-5 साल के अन्दर ही हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं, जिस स्थान पर रूस, अमेरिका या दूसरे देश पहुंचे हुए हैं। हम भी वह विज्ञान के जरिये से और दूसरे जरिये से कर सकते हैं।

भारतवर्ष में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। कभी इतनी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इतनी तेजी से परिवर्तन होगा। भारतवर्ष को एक आधुनिक राष्ट्र बनाना है। अगर, यह आधुनिक राष्ट्र नहीं बनता है, तो इसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। इसे आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए हर क्षेत्र में हर दिशा में पहल करने की जरूरत है। हमने विज्ञान के माध्यम से खेती में प्रगति की है, विज्ञान के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में तरक्की की है। विज्ञान के माध्यम से ही हम अंटार्कटिका में पहुंच सके हैं। विज्ञान के माध्यम से हमने उपग्रह छोड़े हुए हैं। आर्यभट्ट जैसी चीजें सामने आ सकी हैं।

श्रद्धेया इन्दिरा जी कहा करती थीं कि साइंटिफिक टेम्पर लाने की आवश्यकता है। रोज के कार्यों में इसे लाने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। कभी इन बातों को उठाते हैं, जो हास्यास्पद हैं। आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए विज्ञान की तरक्की की जरूरत है। विज्ञान की तरक्की के लिए पं० जवाहर लाल नेहरू के जमाने से जो किया गया, इंदिरा जी ने उस पर बहुत जोर दिया। जिससे सारे देश की प्रगति हुई है। इस तरक्की से हमारा एक टेम्पर बनता है, एक कल्चर बनता है, एक भावना बनती है और

उसके माध्यम से हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं और ले जाना चाहते हैं ।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिस गंभीरता से प्रदेश की समस्याओं को इस अभिभाषण में रखा है और उसे गौर से अध्ययन करते हुए जो यह धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, इसको हम पारित करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय जयदीप सिंह जी, आप 10 मिनट में अपनी बात कहेंगे ।

श्री जयदीप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय लाल प्रताप जी ने जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, हम जानते हैं कि संविधान के निर्माताओं ने जब भारतवर्ष का संविधान बनाया था, तो उसमें कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लेख किया था । उसके प्रियम्बल में ही यह कल्पना की गयी थी कि प्रत्येक नागरिक के लिए हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करायेंगे । हम उसके लिए विचारों की अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता और इस बात की समता का मौका देंगे और दूसरे के बराबर बैठने का उसे अधिकार देंगे समाज में बराबर चलने का उसे अधिकार देंगे । इन सिद्धान्तों की प्राप्ति के लिए मान्यवर, हमारे भारतवर्ष का संविधान बना और यह विधान सभा, लोक सभा बनी और जिसके अन्तर्गत हम चुनकर आते हैं और उस कार्य को पूरा करने के लिए, जो हमारे साधन हैं, जो हम कल्पना करते हैं, उस साध्य की प्राप्ति के लिए यह जो अभिभाषण है, उस कल्पना का नक्शा है ।

हमारी सरकार जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, हम कैसे इन सिद्धांतों की प्राप्ति करेंगे, उसकी कल्पना के बिना, इस खाके को बनाना असंभव है । यथार्थ के रंग चढ़ाये बिना हमारी सरकार इसकी प्राप्ति कर सकेगी या नहीं, इस चीज की कसौटी सिर्फ एक हो सकती है कि हम इस कल्पना को, इस खाके को यथार्थ के रंग भरकर इन उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं या नहीं और वह है इस दल की सरकार की पिछली उपलब्धियां ।

मान्यवर, हमारी पिछली जो उपलब्धियां रही हैं, हमने पिछले 20 वर्ष का अध्ययन किया, तो मान्यवर, जो आंकड़े हैं, उस हिसाब से विकास की दर 2.7 थी । बड़ा खेद है कि विकास की दर इतनी कम थी । फिर इस समय जब यह अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है और जब से इस दल की सरकार ने कार्य करना शुरू किया है विकास की दर बढ़ कर 6 प्रतिशत हो गई है । मान्यवर, आश्चर्य होता है कि पिछले 20 वर्षों में विकास की दर केवल 2.7 प्रतिशत थी । लेकिन 1980 से जब यह सरकार सत्ता में आयी तो विकास की दर बढ़ कर 6 प्रतिशत हो गई । यह सब कैसे हुआ । जब इस पर हम विचार करते हैं तो एक गांव की कहावत याद आती है कि--"जब विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती :" हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा । 1965-66 में अभूतपूर्व सूखा पड़ा और प्रदेश में एक और भयानक विपत्ति आयी जिस कारण विकास की दर कम हो गई । उस सूखे के बाद 1967 में एक सरकार आयी जो बहुत ही अक्षम थी और प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं थी, जिससे विकास की दर कम हो गई । फिर 1977 में जो सरकार बनी उसके पास अपनी कोई प्लानिंग नहीं थी । उसके पास प्लान था अर्थात् लुढ़कता प्लान और फिर 1979 में भयानक सूखा पड़ा । अर्थात् 60 और 70 के दोनों दशकों में सूखे और निकम्मी सरकार की

मुझे खुशी है कि जो काम दो दशकों में नहीं हो पाया उसे हमारी सरकार ने केवल 5 साल में कर दिखाया, इस बात की मुझे खुशी है ।

मान्यवर, सप्तम पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट से मैंने कुछ आंकड़े लिये हैं, उन्हें मैं आपकी अनुमति से इस सदन में रखना चाहता हूं ।

मान्यवर, यदि हम प्रदेश की प्रति व्यक्ति की आय को देखें । 1977 से 1980 तक उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी वह भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति आय की 70 प्रतिशत थी । परन्तु 1980 से 1983 तक, 1985 तक के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, यह 73.8 प्रतिशत हो गई । सिंचित क्षेत्र 1970-71, 1978-79 और 1982-83 को आप देखेंगे तो पहले 8 वर्षों में जितनी उपलब्धि नहीं हो पायी उतनी हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में कर दिखाया । 1970-71 में बोये गये क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्र 36.04 प्रतिशत, 1978-79 में 43.25 प्रतिशत और 1982-83 में 49.06 प्रतिशत हो गया । भूमि की उपयोगिता 1970-71 में 134 प्रतिशत थी, 1978-79 में 139 प्रतिशत हो पाई और 1982-83 में 143 प्रतिशत हो गई ।

गेहूं की उत्पादकता को आप देख लें । 1970-71 में यह 13 कुंतल प्रति हेक्टेयर थी, 1978-79 में यह 15.50 हो गई और इस सरकार ने केवल 4 साल में इसे बढ़ाकर 18.31 कर दिया ।

गन्ने की उत्पादकता को आप देख लीजिए । 1970-71 में यह 406.42 कुंतल प्रति हेक्टेयर था । 1978-79 में, तत्कालीन सरकार ने यह बहाना बनाया था कि गन्ने का उत्पादन आवश्यकता से बहुत अधिक हो गया था, जबकि उस समय यह 381.46 कुंतल प्रति हेक्टेयर थी, जो कि घट गयी थी । 1982-83 में 456.56 कुंतल प्रति हेक्टेयर हो गयी थी । इतना अभूतपूर्व गन्ने का उत्पादन होने के बावजूद भी हमारी सरकार ने उसका पूरा इन्तजाम किया ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप लोग बैठ जायं ।

श्री जयदीप सिंह—

मान्यवर, विद्युत उत्पादन के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । विद्युतीकृत गांवों की संख्या 1970-71 में 20719 थी, 1078-79 में यह 36 हजार 298 हो गई और 1982-83 में यह बढ़कर 53 हजार 367 हो गई ।

प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 70-71 में 62 कि0 वा0 था, 78-79 में बढ़ कर 89 कि0 वा0 हो गया और 82-83 में 107 कि0 वा0 हो गया ।

विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता को पिछले 5 में बढ़ोत्तरी 33 प्रतिशत हुई है । तीन हजार कुछ मेगावाट थी जो चार हजार से ऊपर जा चुकी है ।

कृषि के क्षेत्र में, कुल विद्युत उत्पादन का उपयोग आप देखें कि हमारी सरकार किसानों की हितैषी है या नहीं, 70-71 में 16.6 प्रतिशत और आज वह बढ़ कर 82-83 में 83 प्रतिशत हो चुकी है । और भी बहुत से आंकड़े हैं । सारा समय उसी में निकल जायेगा, बहुत से माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं । हम देखते हैं कि हमारी सरकार ने अभूतपूर्व प्रगति की है ।

गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात करें, जो लक्ष्य था योजना में, उससे अधिक ही हमने प्राप्त किया है । केवल चार क्षेत्रों में उर्वरक, सिंचाई, विद्युत, दलहन-तिलहन में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके । आई0 आर0 डी0 में, जो गरीबी पर सीधे प्रहार करने की

योजना थी, 31.31 लाख परिवारों का लक्ष्य था उठाने का जिसके विपरीत 43.3 लाख, लगभग डेढ़ करोड़ के आस-पास की जनसंख्या को पिछले 5 वर्षों में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य प्राप्त किया है।

श्रमिकों के हित में, ताला बन्दी को सरकार की अनुमति के बिना, बन्द कर दिया और श्रमिकों को मैनेजमेंट में सरकार ने सहभागी भी बनाया। चाहे हम नियोजन को देखें या कमान्ड एरिया की बात करें, इसी लखनऊ में अखिल भारतीय सेमिनार हुआ था जिसमें भारत सरकार के सिंचाई मन्त्री भी मौजूद थे, और देश की सारी सरकारों के भी नुमाइन्दे मौजूद थे, जिसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश का कमान्ड एरिया का कार्य सारे भारत में सर्वोत्तम है और इस बारे में जो प्रगति उत्तर प्रदेश ने की है और किसी ने नहीं की है।

बहुत से सदस्य विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखना चाहेंगे। लेकिन मान्यवर, संशोधनों के रूप को जब हम देखते हैं तो पंचतन्त्र की एक कहानी याद आ जाती है--चार अन्धों और एक हाथी की। जब कोई उसकी टांग छूता है तो कुछ कहता है और दूसरा उसकी पूंछ छूकर कुछ और वैसे ही हाथी के रूप की व्याख्या करता है। जो अभिभाषण है। वह इस पूरे उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की रक्षा के लिए है और संशोधन लाने वाले उन अन्धों की याद दिलाते हैं...

(हंसी)

यदि संशोधन नीति से लाये गये होते तो मैं उनका और भी स्वागत करता। यदि विपक्षी दल इस बात का सबूत देते कि वास्तव में विपक्षी दल हैं और जो विपक्षी दल हैं, एक ही संशोधन प्रस्तुत करते तो और भी अच्छा होता। इस प्रदेश की जनता को शायद विश्वास हो जाता। लेकिन यह लोग संशोधन भी इकट्ठे होकर नहीं रख सकते हैं, अभिभाषण तो इकट्ठे होकर लिखने का प्रश्न ही नहीं है।

श्रीमन् यह सारा विकास कार्य कानून और व्यवस्था के अच्छे इन्तजाम के कारण सम्भव हो सका है। वर्ष 1980 में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति विरासत में मिली थी, उसमें संगठित गिरोहों को पता नहीं कितनी संख्या थी, जो जगह-जगह पर डकैती डालते थे। ग्राम तो क्या पूरे के पूरे जिले आतंकित थे। आज अपराधियों का कोई भी संगठित गिरोह नहीं है। जिन अखबारों का यह रोज हवाला देते हैं, कार्य-स्थगन और ध्यानाकर्षण लाने हेतु उन अखबारों में भी कहीं पर उल्लेख नहीं मिलेगा कि इस प्रकार की घटना हुई हो। ऐसे अपराधियों का नियन्त्रण करने में कागजी आंकड़ों का सहारा नहीं लिया गया है बल्कि हमें श्रद्धांजलि देनी होगी उन पुलिस कर्मियों को, 150 से ऊपर है उनकी संख्या जिन्होंने इस अभियान में अपने प्राणों की आहुति दी है। अपना खून देकर उन्होंने हमें शान्ति व्यवस्था दी है कि हम अपना कार्य कर सकें। यह अभिभाषण जो है, जैसा मैंने पहले कहा, यह खाका है, यह खाका ही नहीं संकल्प है कि गरीब, कमजोर, दबे हुए, पिछड़े हुए वह लोग जिनका सैकड़ों सालों से शोषण किया गया, आजादी के बाद भी कुछ लोग चाहते हैं कि उनका शोषण करें, उनको ऊपर उठाने का एक संकल्प है। इस अभिभाषण पर एक शेर कहकर समाप्त करता हूं--

कम नजरों को मैं अंदाजे
नजर देता हूं।
बेसहरे रात को मैं रंगो
सहर देता हूं।
बदगुमां मुझसे खिजां है
तो खफा हैं वीराने।
मैं आमदे फस्ले बहारां की
खबर देता हूं॥

श्रीमन्, खिजा और वीराने के यह प्रतिनिधि कितने भी संशोधन रखें, बहार

का पैगाम यह अभिभाषण अवश्य पास होगा ।

(समय 2 बजकर 16 मिनट)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में--

(1) हाल में हुए प्रदेश में लोक सभा एवं विधान सभा चुनावों में प्रदेश में अनेक स्थानों पर मतदान केन्द्रों पर जबरन कब्जा किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया ।

(2) यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वर्तमान मन्त्रिमण्डल से न तो प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन मिलेगा और न प्रदेश का समुचित विकास ही होगा ।

(3) राज्य के विकास के लिए समुचित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के बारे में किसी नियोजित योजना के क्रियान्वयन के बारे में उल्लेख नहीं किया गया । आलू समस्या, गन्ने का बकाया, पेयजल समस्या के निदान हेतु भी कोई उल्लेख नहीं है ।

(4) प्रदेश में कानून व्यवस्था के सुधार हेतु किसी ठोस योजना का उल्लेख नहीं किया गया ।

(5) प्रदेश की आर्थिक स्थिति के सुधार हेतु किसी ठोस योजना का उल्लेख नहीं किया गया ।',

मैं यह कहना चाहता था कि 16 तारीख को महामहिम राज्यपाल दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित करने के लिये आये, लेकिन उन्होंने न तो सम्बोधन किया और न मैंने सुना । मैंने तो सुना नहीं मान्यवर, और उधर के लोगों ने केवल सुन लिया हो तो मुझे मालूम नहीं । दूसरी बात यह थी कि मैं उनके आचरण के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं लेकिन जब वे यहां आये थे दोनों सदनों को सम्बोधित करने के लिए तो उन्हें नव-निर्वाचित सदस्यों को तहे दिल से बधाई देनी चाहिये थी । लेकिन उन्होंने अपने इस कर्त्तव्य का भी पालन नहीं किया । गवर्नर महोदय ब्रिटिश राज्य के नहीं थे । एक प्रजातंत्र की मान्यताओं के अन्तर्गत एक प्रजातंत्र की परम्पराओं के अन्दर यदि वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते तो उन्हें सबसे पहले नये सदस्यों को तहे दिल से बधाई देनी चाहिये थी ।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, मंत्रि मन्डल का जिस तरह से गठन हुआ और जिस मन्त्रि मन्डल के द्वारा यह अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है, इससे प्रदेश को कोई दिशा मिलने वाली नहीं है । इस मन्त्रि मण्डल में जिनको मन्त्री बनाया गया है उनके आचरण पर बराबर सन्देह रहा है और उन्हीं को इस मन्त्रि मन्डल में शामिल कर लिया गया है । जिनके ऊपर गम्भीर आरोप थे, जिनको पुराने मन्त्रि मण्डल से निकाला गया था और जो सार्वजनिक जीवन में अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, जो गैर ईमानदार लोग हैं, उन्हें इस मन्त्रि मण्डल में लिया गया है और उसी मन्त्रि मण्डल के द्वारा यह अभिभाषण तैयार किया गया है ।

मान्यवर, इस अभिभाषण में न तो कोई ठोस कार्यक्रम का उल्लेख है और न प्रदेश के स्तर को ऊपर उठाने की कोई बात है । इस मामले में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं कि उत्पादन में ज्वलन्त समस्या आलू की है । आलू की जबरदस्त समस्या है और गम्भीर समस्या है । पिछले साल भी आलू की समस्या थी । इस अभिभाषण में इस तात्कालिक समस्या के निदान के लिये जिससे कि पूरे प्रदेश का किसान पीड़ित है और बरबाद हो रहा है, कोई निदान नहीं रखा गया है । पिछले साल भी प्रदेश

का किसान आलूओं की बरबादी की चपेट में आया था। इस सम्बन्ध में सरकार को पहले से पता होना चाहिये कि प्रदेश में इस साल आलू कितना पैदा होगा, उसके रखने का क्या प्रबन्ध होगा, इस सम्बन्ध में कोई विकल्प है या नहीं ? अभी बहस के दौरान जो वैगन की समस्या बताई गई है तो इस सम्बन्ध में भी मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये मा0 मुख्य मन्त्री जी को कब पत्र लिखा गया कि कितने वैगन की जरूरत है। कितने आलुओं को कोल्ड स्टोरेज में रखा जायेगा। इन सब बातों की विस्तृत रिपोर्ट जब मुख्य मन्त्री जी अपना भाषण दें, तो इन सब तथ्यों से सदन को अवगत करायें। आपको इस सम्बन्ध में दो महीने पहले से ही जानकारी होनी चाहिये। आज किसान पूरे तरीके से बरबाद हो गया है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था।

हमारे मुख्य मन्त्री जी को किसानों की चिन्ता कतई नहीं है, ये किसान विरोधी हैं। अभी चर्चा के दौरान बिजली का उल्लेख किया गया था। आलूओं के कारण तो किसान बरबाद है ही लेकिन बिजली के कारण भी कम परेशान नहीं है। पानी के बिना लाखों टन गेहूं बरबाद हो गया है। जब अभी सदस्यों ने इस बात को उठाया तो नेता सदन को उठ करके कहना चाहिये था कि किसानों की कठिनाई को देखते हुए उन्हें बिजली दी जायेगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि ये किसान विरोधी हैं।

किसानों को उत्पादन मूल्य भी नहीं मिलता है। चन्द्रशेखर आजाद यूनीवर्सिटी कानपुर ने एक क्विन्टल उत्पादित गेहूं का मूल्य 228 रु0 निर्धारित किया जबकि इसके एवज में किसानों को 150 रु0 प्रति क्विन्टल दिया गया। इसी प्रकार से गन्ने का उत्पादन मूल्य 30 रु0 क्विन्टल निर्धारित किया गया जबकि उसे उत्पादित मूल्य 22 रु0 क्विन्टल भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें कि किसानों को बिजली का संकट है जिससे कि नहरों में पानी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ नहरों में पानी नहीं आ रहा है। हमारे माननीय सदस्य बहुत चिन्तित हैं, इधर के भी और उधर के भी। लेकिन उधर के तो बोलना नहीं चाहते हैं। इनको भय है। सदन में वे अपनी बात नहीं रख सकते हैं। आज नहरों में पानी नहीं है। आज एक माननीय सदस्य ने जब पानी के बारे में सवाल उठाया तो बजाय इसके कि वे खड़े होकर उसका जवाब देते, मुस्करा कर चले गये। आज किसान की फसल सूख रही है। लेकिन उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अपने भाषण में किसान की बात जरूर करेंगे। मुझे याद आता है वह गाना – "कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना"। बात करेंगे गरीबों की और काम करेंगे अमीरों का। अगर कोई भी सिंचाई मन्त्री होता तो उसे खड़े होकर माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहिये था कि यह स्थिति है।

जो आलू की हालत हुई है उसी तरह से अब गेहूं की हालत भी होने वाली है। माननीय सदस्य ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया। अभी तक मुझे यह मालूम हुआ कि गेहूं के लिये बोरों की खरीदारी नहीं हुई है। इन्हें अभी यह मालूम नहीं है कि कितने बोरों की इन्हें आवश्यकता होगी। जब जरूरत होगी तब खरीद करेंगे। इनको तैयार होना चाहिए था कि कितने बोरों की इन्हें आवश्यकता होगी, कितने केन्द्र खोलने पड़ेंगे। आलू के लिए 50 रुपया सपोर्ट प्राइस का एलान हुआ है। माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों से आये हैं, वह बता दें कि उनके क्षेत्र में इसके लिए कितने कार्ट लगे हैं। मुझे मालूम हुआ कि कहीं एक-आध जगह ही आलू की खरीदारी के लिए कोशिश की गई है और बाकी इस नाम पर जलपान किया गया है, हजारों रुपया खर्च किया गया है। इसी तरह से गेहूं की फसल भी आ रही है।

किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए व्यवस्था अभी से करनी चाहिये थी जो कि नहीं की गई है। इसलिये आगे यह संकट आने वाला है। इसके बारे में इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

परिवहन विभाग पूरे का पूरा ठप्प पड़ा हुआ है। पिछले वर्ष प्राइवेट बस चलाने वालों ने कहा कि हमें ठेका दे दीजिये, हम लाभ करके दिखायेंगे। यह एक ऐसा विभाग है जिसमें घाटा नहीं हो सकता है लेकिन आज यह विभाग पूरी तरह से चौपट है। यह सब मन्त्रियों की अकुशलता, आफीसर्स की अयोग्यता, बेइमानी और भ्रष्टाचार के कारण यह विभाग चौपट हो गया है। करोड़ों रुपये का घाटा आम जनता को भोगना पड़ रहा है। गल्ती और कमजोरी सरकार की है और लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्तावक महोदय ने इसे पेश करते हुये उद्योगों के बारे में चर्चा की है। हमारे माननीय नेता सदन एक विद्वान व्यक्ति हैं, अनुभवशील हैं लेकिन पत्थर लगाने का उनका बहुत शौक है। न मालूम कितने पत्थर उन्होंने लगा दिये। जगह-जगह शिलान्यास हो रहे हैं। पहले बड़े उद्योग, छोटे उद्योग और लघु उद्योगों के बारे में कहा जाता था लेकिन अब एक नया उद्योग इन्होंने चलाया है - मिनी उद्योग। मैं इसके बारे में नहीं समझता कि यह मिनी उद्योग क्या है। यह सब जनता को मूर्ख और बेवकूफ बनाने की बात है। पता नहीं मिनी उद्योग की इनकी क्या मंशा है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को इसके बारे में पता नहीं है। इससे आप जनता को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। इस उद्योग के नाम पर उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है। उद्योगपतियों का जरूर विकास हुआ है, उद्योगों का विकास नहीं हुआ है जिससे आम जनता को लाभ पहुंचना चाहिये था।

आपने पूरे उत्तर प्रदेश में इन उद्योगों के नाम पर, विकास के नाम पर छठी पंचवर्षीय योजना में 31 मार्च, 1983 तक लगभग साढ़े सत्रह हजार करोड़ रुपये कर्ज ले लिया है। अकेले उत्तर प्रदेश को ही लिया जाय तो प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे देश का रहनेवाला है उसके सर पर 500 रुपये का कर्ज चढ़ा है। लेकिन उस रुपये का सदुपयोग नहीं किया गया। मान्यवर, इनकी कोई नीति नहीं है कोई दृष्टि नहीं है किस तरह से रुपया खर्च किया जाय जिस तरह से विभिन्न नौटंकियों में इन्होंने रुपया बरबाद किया अगर वही रुपया सिंचाई के साधन जुटाने में खर्च किया गया होता तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक-एक इंच भूमि सिंचित हो गई होती वह रुपया एशियाड, या शिखर सम्मेलनों में बरबाद कर दिया गया। आज 74 हजार एकड़ जमीन बरबाद हो रही है यह कितनी शर्म की बात है।

37 साल की आजादी के बाद आज लोगों को शुद्ध जल पीने के लिये नहीं मिल रहा है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे आगरा में शुद्ध पानी लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है यह कितनी शर्म की बात है। इस तरह से विभिन्न नौटंकियां करके देश में महंगाई बढ़ा दी है जिसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से किसानों के ऊपर चोट हो रही है। 1967 में चौधरी चरण सिंह जी जब यहां के मुख्य मन्त्री थे उस समय किसान जो एक क्विंटल गेहूं बाजार में बेचने के लिए लाता था तो उससे वह तीन हजार ईंट खरीद लेता था या 13 बोरी सीमेंट खरीद लेता था या अपने छोटे परिवार के लिए मोटा कपड़ा पूरे परिवार के लिए खरीद लेता था। लेकिन आज गेहूं का भाव वहीं टिका हुआ है और चार क्विंटल गेहूं बेचने पर एक हजार ईंट खरीद पाता है और एक बोरी गेहूं बेचने पर दो बोरी सीमेंट और इसी तरह से एक क्विंटल गेहूं

बेच कर मुश्किल से 10, 12 मीटर मोटा कपड़ा खरीद पाता है। तो यह सब सरकारी कार्यकलापों के कारण हुआ है और किसान के उत्पादन के दाम वहीं पर टिके हुए हैं लेकिन उसे अपनी आवश्यकताओं की चीजें 10 गुने ज्यादा दामों पर मिल रही हैं।

यह सरकार शांति व्यवस्था की बड़ी दुहाई देती है और उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल पहले नहीं किया गया बल्कि चुनाव के समय किया गया पहले जो लोग इसमें बन्दी बनाये गये थे उनको छोड़ दिया गया और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इसमें बन्दी बनाया गया जो पहले रासुका में बन्द थे उनको छोड़ कर उनके द्वारा बूथ कैपचरिंग की गयी। जिन लोगों ने पुलिस की या सरकार की आलोचना की उनको इसमें बन्द किया गया। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जिसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बन्दी बनाया गया। 1983 में रा0 सु0 का0 का इस्तेमाल किया गया तब अपराधों की कितनी संख्या थी और 1984 में उनकी संख्या कितनी बढ़ी इसके आंकड़े मैं यहां रखना चाहता हूं।

1983 मे डकैती की संख्या 2075, लूट 4502, हत्या 5,503, दंगा 7948, नकबजनी 17,267, इस प्रकार कुल अपराध जो हुए उनकी संख्या 1,62,925 इसके बाद रा0 सु0 का0 का इस्तेमाल होने के बाद अपराधों की संख्या इस प्रकार है यानी 1984 के आंकड़े इस प्रकार है---डकैती 2,735, लूट 6,177, हत्या 6,218, दंगा 10,209, नकबजनी 19,867 इस प्रकार कुल अपराध बढ़े हैं। यानी डकैती 2,075 की जगह 2,735 लूट 4,802 की जगह 6,177, हत्या 5,503 की जगह 6,218, दंगा 7,948 की जगह 10,209 और नकबजनी 17,267 की जगह 19,867 हुई। कुल 1,62,925 की जगह 1,72,157 हस्तक्षेपीय अपराधों की संख्या है, यह शांति और व्यवस्था इनकी है।

रा0 सु0 का0 इस्तेमाल करने के बाद नकबजनी, डकैती, हत्याओं के आंकड़े अर्थात् सभी अपराध बढ़े हैं। आज यह हालत हो गई है कि पहले पुलिस रिश्वत गुंडों और चोरों से लेती थी किन्तु आज सत्ता पक्ष के आचरण के कारण पुलिस को रिश्वत गुंडों को देनी पड़ती है और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां रिश्वत गुंडों को न देनी पड़ती हो। आज पुलिस अधिकारी या डी0 एम0 या एस0 एस0 पी0 ईमानदारी से काम करना चाहता है तो नहीं कर सकता है। 6-7 महीने पुरानी बात है एक हरिजन थानेदार सही काम कर रहा था किन्तु कांग्रेस पार्टी के एम0 पी0 थानेदार से कहते हैं कि आपने जिस मुलिजम को पकड़ा है उसको छोड़ दो लेकिन उसको छोड़ने से दरोगा ने मना कर दिया तो एम0 पी0 ने कहा कि तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो उस दरोगा ने कहा कि एम0 पी0 साहब यदि आप अपराध करते तो आपको भी मैं नहीं छोड़ता और हवालात में बन्द करता। उस दरोगा ने सही काम किया था लेकिन उसके बाद एम0 पी0 ने डी0 जी0 से कहा कि उस दरोगा का ट्रान्सफर कर दो तो उन्होंने भी ट्रान्सफर से मना कर दिया उसके बाद वह एम0 पी0 साहेब दिल्ली गये और वहां से आर्डर करवाते हैं और फिर एक बजे रात में उस दरोगा से चार्ज दूसरे को दिलवाया जाता है, उस थानेदार से जो ईमानदारी से काम करना चाहता है। इसलिए आज कोई यदि अच्छा अधिकारी है तो उसको यह सत्ता पक्ष के लोग काम नहीं करने देंगे।

इस प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि आज तीन कारणों से शांति व्यवस्था भंग है जिसमें पहला कारण सत्ता पक्ष के लोग, दूसरा कारण गुंडे और तीसरा कारण कुछ पुलिस अधिकारी, सभी नहीं कुछ।

यह तीनों मिल कर शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में। इसलिए म पुनः कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग, गुंडे और कुछ पुलिस अधिकारी शांति भंग का काम करते हैं। मान्यवर, आज ही आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है उसमें आप जांच करवा लें कि मित्रसेन के साथ सत्ता पक्ष और पुलिस के लोग शामिल हैं कि नहीं। मान्यवर, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हुये शंडों को रखना अच्छा नहीं लगता लेकिन आज विधायक शंडो मांग रहे हैं जो कि सबूत है कि इस प्रदेश में शान्ति व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आधे से ज्यादा विधायकों की जरूरत है शंडों की। मेरे पास सिफारिशें आती हैं और मेरे कई साथी भयभीत हैं सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने में और मैं भी महसूस करता हूं कि हम सुरक्षित नहीं हैं।

अब मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ नहीं है इसका मुख्य कारण है भ्रष्टाचार। जो लोग ऊंचे पद पर बैठे हैं सत्ता पक्ष के लोग, सरकार में मन्त्री पद पा गये हैं उनकी बेईमानी और भ्रष्टाचार के कारण ब्यूरोक्रेसी पर उनकी पकड़ नहीं है। इसलिये इस देश में तीन समस्यायें पैदा हो गयी हैं। एक तो अपराधियों को संरक्षण दिया गया है उसके कारण राजनीतिक जीवन में आज अपराधी प्रवेश करते चले जा रहे हैं और भ्रष्टाचार की समस्या पैदा हो गयी है ऊंचे-ऊंचे पदों पर जो लोग बैठे हैं उन तक रिश्वत पहुंचाई जाती है मंत्रि मण्डल के लोगों द्वारा। दूसरी समस्या खतरनाक है राजनीतिक जीवन में क्योंकि पहले जन सेवा और त्याग अनिवार्य हुआ करता था यह दो गुण राजनीतिज्ञों के लिए आवश्यक थे, लेकिन सत्ता पक्ष में ऐसे लोग हैं, जो पिछले चुनाव में वहां पहुंचे हैं, जिनका दूर का भी रिश्ता सार्वजनिक जीवन से, त्याग से नहीं है, जनसेवा से नहीं है, उनको लोक सभा में भेजा गया है। नाचने-गाने वालों के खिलाफ में नहीं हूं, उनको जाना चाहिए लेकिन उनमें थोड़ी तो जनसेवा और त्याग की भावना हो। लेकिन पिछले लोक सभा चुनाव में सत्ता पक्ष द्वारा बिल्कुल नाचने-गाने वाले लोगों [× × ×] को वहां भेजा गया है, ऐसी लोक सभा में उनको भेजा गया है, जहां कभी आदरणीय डा० राम मनोहर लोहिया जी, भीमराव अम्बेदकर जी, श्यामा प्रसाद मुकर्जी, आचार्य कृपलानी और गोविन्द बल्लभ पन्त रहे हैं। इन [× × ×] के वहां रहते हुये देश कहां जायेगा, कहां जा रहा है, यह हम सब के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय होना चाहिए। जिनका जन सेवा और त्याग से जरा भी रिश्ता नहीं है, आज वही जनतन्त्र में हावी हो रहे हैं...

श्री जयदीप सिंह--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

बैठिये, बैठिये, आप लोग बैठिये। (व्यवधान) मनोहर लाल जी, आप बैठें, नेता विरोधी दल आप बैठें (सभी सदस्यों के बैठने पर) एक बात मैं अवश्य कहूंगा, जब कोई बोल रहा हो, उस समय व्यवस्था का प्रश्न तो उठाया जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने नेता के बोलते समय भी ऐसा करेंगे, तो उनका तो समय जायेगा ही, सदन का भी बहुमूल्य समय जायेगा। हम यहां पर बैठे हैं, पूरे का पूरा प्रयास करेंगे कि सदन ठीक से चले और व्यवस्था का प्रश्न भी सुना जाय। मैं फिर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप शान्तिपूर्वक विचार सुनें और विचारों का जवाब विचारों से ही होगा, तर्क का जवाब तर्क से ही होगा। तर्क ही महान है।

नोट--[× × ×]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जयदीप सिंह--

मैं नेता विरोधी दल का भाषण सुन रहा हूं, उन्होंने लोक सभा के बारे में एक बात कही। तो क्या लोक सभा के सदस्यों को यहां पर नौटंकी बाज कहना उस सदन का अवमान नहीं है ? सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन नहीं है ? यहां पर हम वहां के सदस्यों के बारे में कोई ऐसी बात कहें तो वह लोकतन्त्र का अपमान है, यह कहना कि लोक सभा में नौटंकीबाज बैठे हैं। लोक सभा के विशेषाधिकार का हनन है, और उसका अवमान है। इसको आप कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठें, व्यवस्था के प्रश्न का जवाब मैं दूंगा, आपको नहीं देना है।

श्री मनोहर लाल--

तो क्या चोर को चोर नहीं कहा जाएगा ?

श्री अधिष्ठाता--

यही मैं कह रहा हूं कि व्यवस्था से प्रश्न का जवाब आपको नहीं देना है (व्यवधान), व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती है, आप लोग बैठें।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

माननीय सदस्य को बता दें कि कौन सी भाषा संसदीय है और कौन सी असंसदीय है।

श्री अधिष्ठाता--

आप सब बैठें। देखिये मैं इसको इस आधार पर अस्वीकार कर रहा हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने किसी का नाम लेकर यह बात नहीं कही है। इसलिए मैं इसको व्यवस्था का प्रश्न नहीं लेता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसी तरह से टेलीविजन स्टेशन के बड़े उद्घाटन किए गए हैं। आज टेलीविजन आवश्यक है या खाना, यह देखने की चीज है। आज 31 करोड़ पूरे देश में ऐसे लोग हैं एक बयान मैंने पढ़ा था, जब वह दिल्ली में केन्द्रीय मन्त्री थे आपके कथनानुसार 30/31 करोड़ ऐसे लोग हैं जो आज या तो पूरी तरह बिना खाये या आधा पेट खा कर सोने को विवश हैं। टेलीविजन भी जो लगे हैं, क्या उनमें कभी यह कहानी सुनायी गयी है मैंने कभी नहीं सुना मुझे तो टेलीविजन देखने का शौक नहीं है लेकिन क्या तरकारी बेचने वाले को, वह कैसे अपने परिवार को खिलाता है, कैसे वह तरकारी पैदा करता है, इसको इन्होंने कभी टेलीविजन पर नहीं दिखाया। जो गरीब आदमी है वह किस तरह से अपनी गुजर-बसर करता है इसको टेलीविजन पर नहीं दिखाया गया। आज लोगों को खाने की और कपड़ा देने की जरूरत है। टेलीविजन की मंशा है कि सत्तापक्ष के लोग उसमें अपनी रंगीन तस्वीर दिखायें। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। गांव-गांव अपनी तस्वीर लोगों को दिखाने के अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। गरीब बेचारा अपने जानवरों को कैसे रखता है, कैसे खिलाता है, कहां से चारा लाता है इसको टेलीविजन पर दिखाने की कोशिश नहीं की।

आज समस्या सबसे बड़ी है, वह गरीबी की है। गरीबी को दूर करने की कोई योजना इस अभिभाषण में नहीं है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है बेकारी। बेकारी से गरीबी बढ़ती है। अगर इस प्रदेश की बेकारी मिटा दी जाय तो गरीबी को मिटाया जा सकता है। बेकारी को मिटाने की कौन सी योजना है इसका जिक्र नहीं किया गया है आज आपको चौधरी चरण सिंह, हमारे दल के जो नेता हैं उनकी जो

राय रही है उस पर चलना पड़ेगा तब जाकर यह बेकारी मिटेगी। बड़े-बड़े कारखाने लगाकर लोगों को बेकार किया जा रहा है। किस तरह से बेकारी को बढ़ाया जा रहा है इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अगर केवल कपड़ों के कारखानों पर बंदिश लगा दी जाय तो डेढ़ करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। करीब 14-15 लाख लोग कपड़ों के कारखानों में काम कर रहे हैं। 12 लोग जितना कपड़ा हाथ से बना सकते हैं उतना कपड़ा मशीन पर एक आदमी बना लेता है। तो अगर इस तरह से हाथ से कपड़ा बनाना शुरू हो जाय तो डेढ़ करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है और बेकारी मिट सकती है। लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं है, सूझ नहीं है, दृष्टि नहीं है। जो आपकी नीति है उससे गरीबों की भलाई नहीं की जा सकती।

अब मैं आपके सामने जो चुनाव में धांधलियां हुई हैं उनको रखना चाहता हूं। मेरा स्पष्ट आरोप है कि सरकार के इशारे पर यह हुआ है। मुझे जो खबर मिली है, माननीय मुख्य मंत्री पर मेरा आरोप है, अपने इशारे पर या आदेश पर, रिटर्निंग अफसरों को मिलाने की कोशिश की है। विरोधी दल के नेताओं को हराने की कोशिश की है। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इलाहबाद में जिन्होंने कत्ल किया, हत्या की, सी0 आई0 डी0 को जांच का आदेश देकर उनको जेल से बचाया गया और जब चुनाव आये तो सबसे ज्यादा बूथ कैपचरिंग, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी करने वाले वह लोग थे और वह कांग्रेस के लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर घूमे। इसी तरह से व्यापक पैमाने पर बूथ कैपचरिंग हुई है। उसका सबूत यह है कि चुनाव आयोग ने मान लिया है। मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं। यह आज का "दैनिक जागरण" अखबार है। इसमें खबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त प्रधान मंत्री से भेंट करेंगे। उन्होंने स्वीकार किया है। मैं इसको लम्बा नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इसमें कहा गया है कि "चुनाव आयोग सबसे अधिक इस बात से चिंतित है कि अधिकांश स्थानों में खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रशासन की ओर से न सिर्फ ढिलाई बरती गयी, बल्कि कुछ जगहों में प्रशासन का सांठ-गांठ भी पायी गयी।" (शेम-शेम की आवाजें) तो मेरा जो आरोप है उसको चुनाव आयोग ने माना है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर हमारे लोगों को हराया है। सच्चाई और ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर सोचें, माननीय मुख्य मंत्री जी आपने बेईमानी न करायी होती तो आज आप इधर होते और हम लोग उधर होते।

(व्यवधान)

श्री हरदेव--

बेईमानी आपकी तरफ से हुई है। बूथ कैपचरिंग आपकी तरफ से हुई है, जनता पार्टी की तरफ से हुई। गुंडागर्दी आपकी तरफ से हुई है, नहीं तो हम लोग और ज्यादा तादाद में आये होते।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, लोक सभा तथा विधान सभा के चुनावों में प्रदेश में भारी पैमाने पर धांधली, जबरदस्ती बूथ कैपचरिंग करके वोट डाले गये और अधिकारी देखते रहे। अगर आपकी सांठ-गांठ नहीं थी, तो बताइये गिरफ्तारी की गयी? कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी। मान्यवर, सहसवान में तीन दमकिया के लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, सत्तापक्ष के कोई भी लोग घायल नहीं हुए। इस तरह से धांधली चुनाव में मान्यवर, की गयी। इसी तरह से हिंसक घटना मतदान के दोनों दौर में घटी। फिर छिबरामऊ का उदाहरण देता हूं। हमारी पार्टी के लोग 651 वोट से जीत गये और उसके बाद पुलिस की सांठ-गांठ से कांग्रेस के लोगों ने अधिकारियों से मिल करके जो गिनती

हुई थी, उस कागज को फड़वा दिया और कांग्रेस के व्यक्ति को जिताया गया। इसी तरह से उन्नाव और आगरा की घटना है। मान्यवर, जब चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया था, यह आदेश दिया था कि 90 सैकड़ा जहां वोट होगा और 90 सैकड़ा वोट अगर किसी एक उम्मीदवार को मिलेगा, तो वह फर्जी मतदान माना जायगा। इसके बाद में पूछना चाहता हूं कि क्या अमेठी में 95-97 सैकड़ा वोट पड़ गये? 1 लाख 22 हजार वोट पड़ गये? मान्यवर, गुंडई और पुलिस प्रशासन के बल पर एक मंत्री चुन कर आये।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीय अधिष्ठाता जी, चुनाव कराना और चुनाव को मुकम्मल कराना चुनाव आयोग का काम है। मान्यवर, यह परम्परा भी रही है और नियम भी है कि चुनाव आयोग के बारे में वाद-विवाद नहीं किया जा सकता है। आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री अधिष्ठाता--

चुनाव आयोग के तहत होने वाले चुनाव को हम यहां पर बहस में नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर शांति-व्यवस्था की बात है, तो उसको अलग से लाया जा सकता है।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बूथ कैपचरिंग हुई है।

श्री अधिष्ठाता--

चुनाव आयोग शिकायतों पर खुद निर्णय करता है।

श्री मैनेजर सिंह--

चुनाव आयोग ने स्वयं कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बूथ कैपचरिंग हुई है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बैठें। चुनाव आयोग के चुनाव कराने की प्रक्रिया और उसके फैसले पर बहस नहीं कर सकते हैं। इसके सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कानून की कोई बात है तो उसको यहां कहा जा सकता है और उसका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से आयेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

चुनाव आयोग के निर्देशन का अनुपालन सरकार के द्वारा नहीं किया गया। अगर चुनाव आयोग बेईमानी करेगा तो उस पर भी हम कह सकते हैं। लेकिन यहां तो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन सरकार द्वारा नहीं किया गया। अलीगंज में लटूरी सिंह हमारी पार्टी के चुनाव जीत गये लेकिन उनका चुनाव नतीजा अभी तक घोषित नहीं किया जा रहा है। सरकार की उसमें सांठ-गांठ है, इसमें सरकार की गहरी साजिश है। मंत्रि-मण्डल में जो सदस्य हैं वह एटा गये हैं, सत्ता पक्ष के लीडर वहां गये थे और अधिकारियों को धमकाया था यह मेरी जानकारी है। अलीगंज में चुनाव नतीजा घोषित नहीं होने दिया जा रहा है। लखनऊ में किस तरह से एक निर्दलीय उम्मीदवार के जुलूस पर लाठी चार्ज किया गया, मारा-पीटा गया आपकी नाक के नीचे। रामपुर खास में पुलिस ने जबरदस्ती बूथ कैपचरिंग करवाई। प्रतापगढ़ में हमारी पार्टी के लक्ष्मन सिंह को जिस दिन वोट पड़ रहा था, फर्जी इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया गया।

एक सदस्य--

बूथ कैपचरिंग करा रहे थे ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

वे बूथ कैपचरिंग रोकने गये थे । इसी प्रकार से गढ़वारा और कुण्डा में हुआ वहां भी धांधलेगर्दी की गई ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं नेता विरोधी दल ने प्रतापगढ़ की बात कही है जब तक दोनों पक्षों को न सुन लें । किसी नतीजे पर न पहुंचे ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं मान्यवर, आपके पास फोटोस्टेट भेज दूंगा । यह बैलेट पेपर मेरे पास है । इसका नम्बर है 114 160 इस पर नवाब अली रिटर्निंग अफीसर के हस्ताक्षर हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह कहां से आये । इसी तरह का बरेली का एक बैलेट पेपर मेरे पास है । इस पर श्री ओम प्रकाश गुप्ता रिटर्निंग अफसर के हस्ताक्षर हैं ।

श्री रजनी कान्त--

यह बैलेट पेपर इनको मिले थे तो इसको चुनाव आयोग के पास भेज देना चाहिये था । यह सरकारी सम्पत्ति रखने के दोषी हैं । जब नेता विरोधी दल का आचरण इस प्रकार है तो विरोधी के और सदस्यों का आचरण क्या होगा । पहले आप यह बतायें की यह बैलेट पेपर आपको कहां से मिले ? मैं तो यह मानकर चलता हूं कि यह चुराये हुए हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, इसमें जांच होनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेता विरोधी दल से मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बैलेट पेपर जो इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक रखता है, को भेजकर इलेक्शन कमीशन से अपनी आपत्ति करनी चाहिए । रिटर्निंग आफिसर की दो हैसियत होती हैं एक तो रिटर्निंग अफिसर की हैसियत, दूसरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत, तो यह बहुत बारीकी का रिश्ता है । इसको समझकर आप अपनी बात रखें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, जब माननीय नेता विरोधी दल, बैलेट पेपर के बारे में अपनी बात कह रहे थे तो माननीय सदस्य, वाराणसी ने कहा कि यह बैलेट पेपर चोरी का है । मैं समझता हूं कि यह असंसदीय भाषा है । इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए । माननीय सदस्य या तो अपनी बात को वापस ले लें या सदन की कार्यवाही से इसको निकाला जाए ।

(शोर)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो बैलेट पेपर प्रस्तुत किए हैं । यह प्रापर कस्टोडियन नहीं है । मैं अनुरोध करूंगा इस बात को नोटिस में रखते हुए, इसकी प्रापर जांच कराई जाए कि यह बैलेट पेपर आए कैसे ?

(सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं)

मान्यवर, हमारे एक विरोधी दल के सदस्य ने, माननीय सदस्य, वाराणसी की बात पर आपत्ति की । इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने यह कहा कि चोरी की है उन्होंने यह नहीं कहा कि इन्होंने चोरी की है । मान्यवर, इन बैलेट पेपर को संरक्षण में लेकर जांच की जाय । माननीय सदन इसमें आवश्यक कार्यवाही कराए ।

श्री रजनी कान्त--

मान्यवर, मुझे अवसर दिया जाए, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है ।

श्री मनोहर लाल—

वह जो बैलेट पेपर यहां प्रस्तुत किए गए ह..

(शोर)

इन्होंने कहा कि चोरी के हैं, इसमें सीधा मुख्य मंत्री जी को यह करना है कि वह चोरी किस तरह करवाई गयी इसकी जांच करा लें।

(मेजें थपथपाई गयीं)

मान्यवर, यह बात साफ होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

आप सब बैठें। रजनी कान्त जी, आप अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री रजनी कान्त—

मान्यवर, मैं तीन प्रश्न रखूंगा..

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न नहीं रखेंगे।

(व्यवधान)

नियमावली में हैं मनानीय सदस्य का नाम लेकर जब कोई बात कही जायेगी तो उसको अपना स्पष्टीकरण देने का अधिकार है।

श्री रघुवीर दयाल वर्मा—

मैं आपसे इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया इनसे पहले यह पूछें कि वह कौन व्यवस्था किस नियम में चाहते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता जो यह पूछ रहे हैं उसका भी समाधान रखूंगा। मान्यवर, इसी तरह से मिर्जापुर जिले के हमारे दल के गुलाब सिंह खड़े थे, जब अंतिम चक्र रह गया गिनती का तो उनके एजेंटों को बेरहमी से मारा गया। इसी तरह से गंगेश्वरी मुरादाबाद एक ही तरह का है, जहां एजेंटों को मारा गया।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सत्य से परे है। उन्होंने कहा कि राज्य में विधान सभा की जब गणना हो रही थी और लोकदल के प्रत्याशी श्री गुलाब सिंह जीत रहे थे तो उनके एजेंटों को मारकर एक हजार वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी कर दिया गया, असत्य है, मैं वहां मौजूद था।

(व्यवधान)

जब 264 मझवा की गणना हो रही थी और 262 राजगढ़ की गणना चल रही थी तब 1 से लेकर 110 तक जरूर माननीय गुलाब सिंह जी अपने मतदान केन्द्र में आगे रहे लेकिन 110 से लेकर 217 में वह पीछे चले गये और वही माननीय नरेन्द्र देव 1112 मतों से विजयी हुए।

श्रीमन्, अब ये नेता, विरोधी दल जिनकी इस सदन में मान्यता है, वह इन अप्रमाणिक बातों को सदन में कहेंगे तो फिर इस सदन की मर्यादाओं की रक्षा करना आपका दायित्व है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि इसकी जांच के लिये तीन ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों और जिनमें से एक का चुनाव माननीय नेता सदन करें, दूसरे का चुनाव मैं नेता विरोधी दल के नाते करूंगा और तीसरे का चुनाव दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिल कर करें। इन चुनावों में बेइमानी हुई

है, यह इन तीन व्यक्तियों की जांच से साबित न हो जाय तो मैं कहता हूं कि मैं नेता विरोधी दल के पद से इस्तीफा दे दूंगा अन्यथा माननीय मुख्य मंत्री इस्तीफा दें मैं यह आरोप लगा कर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

कार्य-सूची के अन्य संशोधन उपस्थित किये हुये माने जायेंगे ।

(शेष संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 79 पर ।)

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, आज दिनांक 18 मार्च है । मतगणना 6 मार्च को हुई थी, इलेक्शन रिट दायर करने के लिए एक माह का समय रहता है । मान्यवर, जहां-जहां इनके प्रत्याशी हारे हैं, वहां-वहां नेता विरोधी दल रिट दायर कर सकते हैं ।

श्री नरेन्द्र देव--

मान्यवर, चूंकि राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र का मामला है और मैं वहां से चुनकर आया हूं, इसलिये मैं कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, नेता विरोधी दल ने बिल्कुल तथ्यहीन बातें प्रस्तुत की हैं । मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये हाई कोर्ट में राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र का मामला जरूर ले जायें । मैं यहां पर वायदा करता हूं कि हाईकोर्ट में फेस करने के लिये मैं तैयार हूं और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि इनके प्रत्याशी मतगणना पंडाल के अन्दर अन्तिम समय तक उपस्थित न रहे हों तो किसी भी समय में सदन से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया । मान्यवर, मेरे पूर्व माननीय नेता विरोधी दल, जिन्होंने पहले दिन अपने मुखारबिन्दु से तमाम बातें कहीं, लेकिन आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से हटकर वह फिर से चुनावी मुद्दों में चले गये । मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूं कि यदि बूथ कैपचरिंग हुई है और आपको वोट नहीं डालने दिये गये हैं ऐसी बात नहीं है । यदि ऐसी बात है तो आज आपके इतने अधिक सदस्य यहां पर कैसे सुशोभित हो गये हैं ? सरकार सब जगह है, केवल एक जगह नहीं है । मान्यवर, हमारे कुछ आदर्श हैं, कुछ सिद्धांत हैं । हम सन् 1977 का चुनाव नहीं भूल सकते । उस समय मेरठ में एक चुनाव अधिकारी से कहा गया कि चुपचाप बैठो, कुछ बोलोगे तो ठीक नहीं होगा । बराबर उंगलियों पर निशान लगते रहे, जब चुनाव अधिकारी ने रोकने का प्रयास किया तो उसको इतना मारा गया कि वह बेहोश हो गया और उसकी आवाज बन्द हो गयी । यह कहीं और की बात नहीं है, इनके जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनका मैं सम्मान करती हूं, जिनका नाम चौधरी चरण सिंह है, यह उनके क्षेत्र की बात है और किसी की बात नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, यहां सदन में एक परम्परा रही है कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिये । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं एक-एक शब्द को बड़ी गम्भीरता से सुन रहा था । माननीया सदस्या ने यह कहा है कि "क्षेत्र चौधरी साहब का है, मैं उनका सम्मान करती हूं" क्षेत्र के हवाले से वह बात कही है, उन पर कोई टिप्पणी नहीं की है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, यह बात इसलिये कही है कि बलरामपुर हास्पिटल इस बात

का गवाह है कि उनकी पत्नी उनको ले गयी और पूरे एक वर्ष तक वे वहां पर पड़े रहे। तमाम लोग उन्हें देखने गये। महज इसलिए कि उन्होंने चुनाव में न्यायपूर्ण तरीके से काम करने का प्रयास किया था, जिसके फलस्वरूप उनके साथ यह सलूक हुआ। आज जब यहां पर नेता विरोधी दल खड़े हुए, तो उनको सारा अंधेरा इधर नजर आ रहा है और अपनी तरफ देखते हैं तो प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। यह कोई न्यायपूर्वक बात नहीं है, जिसको माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है।

मैं फिर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहती हूं सम्मानित सदन का। जो महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण दिया है और सम्मानित सदन के सामने प्रस्तुत है, निश्चित रूप से मान्यवर, वह सत्यता से भरा हुआ है। देश की प्रगति की ओर, प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाने वाला है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। मान्यवर, मैं चुनाव के परिणामों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहती हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद मान्यवर, देश के इतिहास ने एक करवट ली और सबके सामने एक प्रश्न चिन्ह था देश के प्रजातांत्रिक ढांचे का और देश की एकता कैसे चलेगी। उसी बीच में जब हमने प्रधान मन्त्री के पद के लिये श्री राजीव गांधी को चुना, उन्हें प्रधान मंत्री बनाया, तो मान्यवर उस पक्ष के बठे हुए लोगों ने देश के स्तर से एक आवाज उठायी, उन्होंने यह कहा था कि यह न्याय नहीं है, यह देश की जनता की आवाज नहीं है। मान्यवर, हमारे दल ने उस चुनौती को स्वीकार किया चुनाव के माध्यम से। जनता का विश्वास लेकर देश से लेकर प्रदेश तक एक मजबूत दल की सरकार बनाकर, हमने काम करने का निश्चय किया है और यह जनादेश हमको मिला है इस प्रदेश की जनता का मिला है।

मान्यवर, आज जो प्रदेश में बनी हुई हमारी सरकार है, वह इस बात के लिये भी कृत संकल्प है कि इस प्रदेश का उत्थान कर, इस प्रदेश की जनता का और भी विश्वास मजबूत करेंगे। हो सकता है हमारे विरोधी दल को उससे मायूसी हो, कुछ बुरा भी लगे। लेकिन, विश्वास रखें कि जो आज विश्वास लेकर सरकार बनी है, आगे आने वाले चुनावों में इस दल में बैठकर हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे भी मजबूत विश्वास लेंगे हम अपने कामों के द्वारा अपनी नीतियों के द्वारा अपने आदर्शों के द्वारा और हम इसे प्राप्त करेंगे।

मान्यवर, मैं कुछ चीजों की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। माननीय सदस्य, श्री लाल प्रताप सिंह जी ने जो इस अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है और जो उन्होंने कृषि की तरफ ध्यान दिलाया है, निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में देश ने प्रगति की है, प्रदेश ने तरक्की की है। अब किसी को यह न दिखे, तो बात दूसरी है। एक जमाना था जब सूखा पड़ने पर वर्षा न होने पर अनाज के लिए हम दूसरे लोगों की तरफ देखते थे लेकिन आज कृषि के मामले में हमने काफी अच्छी प्रगति कर ली है। मैं आज की सरकार को इस चीज के लिए बधाई देना चाहती हूं कि अनाज के मामले में हम किसी के मोहताज नहीं हैं। जरूरत पड़े तो हम दे भी सकते हैं। लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री सरदार सिंह--

आप कितना ही कहें तिवारी जी आपको तो मन्त्री बनाने से रहे।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मन्त्री के लिए आप कहते होंगे। हम तो आदर्शों व उसूलों पर चलते हैं और अपने दल के सच्चे सिपाही हैं। हम दल-बदल वाले नहीं हैं। खैर,

थोड़ा सा विनोद हो गया, कोई बुरी चीज नहीं है ।

अभी हमारे माननीय नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि गेहूं तो तैयार है किन्तु बोरों का इन्तजाम नहीं किया गया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने नेता विरोधी दल जी से कहना चाहती हूं कि वह इस बात की फिक्र न करें । हमने जब फसल उगाई है तो उसे हम बैग के लिए छोड़ नहीं देंगे । किसानों का शोषण न हो, क्रय केन्द्र अपनी जगह पर खुलें और काम चलता रहे, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं ।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि उपज बढ़ी और उसे हमने बिचौलियों के हाथों से बचाने का भी प्रयास किया । गेहूं का मूल्य निर्धारित किया सरकार के माध्यम से ताकि किसान का शोषण न हो जाये । किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य हमारी सरकार ने दिलाया । किसानों का गेहूं क्रय केन्द्रों के माध्यम से खरीदा जाय इसके लिए हमने युद्ध स्तर पर कार्यवाही की । यही नहीं मान्यवर, फसल की बीमा का जहां तक सवाल है । जिसे उधर की बैठने वालों की सरकार ने भी सोचा था, किन्तु कर नहीं सकी, उसे हमारी सरकार ने करने का निश्चय किया है इसके लिए आपको इस सरकार को बधाई देनी चाहिए । अच्छी चीज तो आप देख नहीं सकते हैं इसलिए आप बधाई क्या देंगे ।

मान्यवर, सिंचाई क्षेत्र के बारे में एक बात कहना चाहती हूं कि इस क्षेत्र में हमारी सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है । जिसका परिणाम है कि जगह-जगह पर खेत लहलहाते हुए दिखाई दे रहे हैं और खेती बढ़ती जा रही है ।

गन्ने के बारे में एक बात और कहना चाहती हूं । 1977 में गन्ना किसानों ने बोया और जब वह पैदा हुआ तो किसानों को उसका मूल्य नहीं मिल पाया और न ही उनका गन्ना मिलों तक पहुंच पाया । जब तत्कालिक नेता से जनता के लोग मिले तो उनसे कहा कि साहब एक चीज का उद्घाटन कर दीजिए । इस पर मन्त्री जी ने कहा कि किस चीज का उद्घाटन ? तब लोगों ने कहा कि गन्ने में माचिस लगा दीजिए । कम से कम मजदूरी तो नहीं देनी पड़ेगी । लेकिन उसके बाद जब हमने गन्ना बोया तो गन्ने का उत्पादन बढ़ा और उसे सारे गन्ने को हमने मिलों तक पहुंचाया और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी दिलाया । यह क्रांतिकारी कदम हमारी सरकार ने उठाया है ।

मान्यवर, नगर विस्तार योजना के बारे में थोड़ा और सुन लें । (लाल बत्ती होने पर) लाल बत्ती जल गयी नहीं तो कुछ और कहना चाहती थी ।

श्री राम सरन--

जनवरी, 1980 में कौन इस देश का प्रधान मन्त्री था और कौन मुख्य मन्त्री था इस प्रदेश में और गन्ने का मूल्य क्या था, जरा यह भी बता दें ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

नगर विकास के अन्तर्गत जो आवास का अभाव था, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के, हमारे यहां जो समस्या थी आवास की, उसको समाप्त करने के लिए काफी क्रान्तिकारी कदम उठाया है और उसके लिए यह सरकार धन्यवाद की पात्र है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी की 1980 में जिन ग्रामीण अंचलों को नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत लिया गया है और लेने के बाद उसका कोई जिक्र इस अभिभाषण में नहीं आया है, अतएव उनका भी निर्णय होना चाहिए तथा उसमें भी काम होना चाहिए, यह मेरा सुझाव है । प्राइमरी शिक्षा के माध्यम से...

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

आधा मिनट और मान्यवर । जो भवन अभी नहीं बन पाये हैं, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगी विशेष रूप से शिक्षा मन्त्री जी का, कि जो धन उपलब्ध होता है उसका प्रयोग किया जाय । मैं फिर इस सम्मानित दल के नेता को इस चीज के लिए धन्यवाद देती हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से हट कर मुझे कुछ बात कहने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के ऊपर में यह संशोधन रखने के लिए खड़ा हुआ हूं कि खेद है...

श्री अधिष्ठाता--

वह पेश किये हुए मान चुके हैं । उनके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, वह इसलिए कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है वह सरकार द्वारा प्रस्तुत ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें वर्तमान में जो स्थिति है उसका सही चित्रण हो, आगामी दिनों में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है, क्या कार्य करना चाहती है, किस ढंग की नीति को चलायेगी, इसका स्पष्ट ब्यौरा हो लेकिन मुझे खेद है कि इस अभिभाषण में जो सरकार का एक दस्तावेज है, सदइच्छा की बात भले ही हो लेकिन सकारात्मकता कुछ भी नहीं है और जो बातें रखी गयी हैं वह भी बहुत भ्रामक हैं और उनसे प्रदेश की स्थिति का सही चित्रण नहीं होता है । मान्यवर, एक बार गौतम बुद्ध ने अपने परम शिष्य आनन्द से पूछा था कि तुम्हें मेरी किस बात ने ज्यादा प्रभावित किया तो उन्होंने कहा था कि पहले तो मैं आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ और दूसरे जिस ढंग से आप बात रखते हैं उससे प्रभावित हुआ और तीसरे जो बात आप बोलते हैं उसमें जो सार होता है उससे प्रभावित हुआ । तो पहले व्यक्तित्व की बात ले ली जाय । जब हम काबीना की सूरत की ओर नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे काबीने से यह महसूस होता है जैसे अवध की जागीरदारी पूरे उत्तर प्रदेश में थोप दी गयी हो ।

अभिभाषण में कहा गया है कि 6 प्रतिशत विकास दर हमारी है । यह बड़ी भ्रामक स्थिति है । जिन 6 प्रतिशत की बात कही गयी है उसमें उन लोगों का प्रतिशत ज्यादा होगा और है, जो प्रदेश के पूरे उद्योग को और पूरे-पूरे संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं । सवाल इस बात का है कि हमारे प्रदेश में जो 5 करोड़ 35 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हैं, उनकी विकास दर क्या है, इस 6 प्रतिशत की विकास दर का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जिनके पास भर पेट रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, उनकी स्थिति को बढ़ाने के लिये आपने क्या किया है ? उनमें से कितने हैं जो गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गये हैं ?

(इस समय 3 बजकर 31 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

शिक्षा के मामले में जिस ढंग से सोचा गया है कि हिन्दी को बढ़ावा देंगे पब्लिक स्कूलों के जरिये से, उनको अनुदान देकर हिन्दी भाषा को बढ़ावा देना चाहते हैं । पब्लिक स्कूल और कान्वेन्ट स्कूल और पंचतारा संस्कृति, जो पिछले 37 वर्षों से आपने चलायी है और जो पिछले 2-3 वर्षों से काफी आगे बढ़ी है, इसी के कारण पूरा का पूरा देश और प्रदेश आकंठ भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है । पटवारी, पुलिस, पेशकार

की रिश्वत को तो रिश्वत अब लोग मानते ही नहीं हैं। प्रश्न यह है कि जिन नीतियों के कारण यह स्थिति है, उनको सुधारने का इनका इरादा है या नहीं ? भ्रष्टाचार बढ़ता है सरकार की नीतियों के कारण, भ्रष्टाचार बढ़ता है सरकार के बड़े लोगों का जैसा आचरण है उसके कारण। नीतियां क्या हैं ? पिछले 37 वर्षों से कांग्रेसियों के शासन में व्यापारियों, नौकरशाह और सरकार की जो सांठगांठ है उसकी वजह से भ्रष्टाचार है। कोई दफ्तर या कार्यालय इससे बचा हुआ नहीं है। इनको यह नीतियां जब तक नहीं बदलेंगे और जब तक ये अपनी संस्कृति, अपनी जुबान को प्रदेश में नहीं लायेंगे तब तक भ्रष्टाचार को दूर करना सम्भव नहीं है। ये लोगों को टेलीविजन दिखायेंगे उनको रोटी मिले या नहीं।

प्राइमरी स्कूलों में बैठने के लिये टाट नहीं है, पढ़ाने के लिये अध्यापक नहीं हैं। हर कोई जानता है कि प्राइमरी स्कूलों में जहां चार-चार अध्यापक होते हैं वहां केवल एक स्कूल आता है। जहां एक से अधिक हैं वहां हर एक की ड्यूटी लगी हुई है कि एक-एक दिन करके आ जायेंगे। लोकसभा के चुनाव के मौकों पर टेलीविजन की बाढ़ आ गयी, रोज एक नये केन्द्र का उद्घाटन हुआ। कहते हैं कि टेलीविजन के जरिये से बच्चों की पढ़ाई करेंगे। कितनी शोचनीय बात है। यह तो गरीबी का मजाक उड़ाना है। जिन प्राइमरी पाठशालाओं में स्कूल की छत नहीं है, टाट नहीं है बैठने के लिये, ब्लैक बोर्ड नहीं हैं, अध्यापक नहीं है वहां पर टेलीविजन के जरिये से पढ़ाई करायेंगे। इनके दिमाग में देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये कोई नीति है ही नहीं, उसका परिणाम है कि भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की तदाद बढ़ती चली जा रही है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों, बड़े-बड़े सेठ और साहूकारों के हाथों में प्रदेश की दौलत संचित होती चली जा रही है।

श्रीमन्, ये खेत की बात करते हैं। खेती का ये क्या उपकार करेंगे ? आप देखें कि यह गौर करने की बात है कि जिस समय 1 रु0 35 पैसे का डीजल मिलता था, 12 रु0 प्रति हार्स पावर पर बिजली मिलती थी, 13 रु0 से 18 रु0 तक सीमेन्ट की बोरी मिलती थी, जिस समय मोटा कपड़ा सस्ते में उपलब्ध था, उस समय से और आज के दौर की आप तुलना कीजिये कि आज से कहीं ज्यादा सुखी तब का किसान था।

यह ठीक है कि गन्ने की पैदावार बढ़ी है, गेहूं की पैदावार बढ़ी है लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि कपास की कीमत में कमी हुई है और फिर भी कपड़ा मंहगा मिल रहा है। गेहूं की पैदावार बढ़ी है परन्तु उसकी कीमत घटती चली जा रही है। काश्तकार को कोई फायदा नहीं हो रहा है यहां तक कि उसकी मेहनत का मेहनताना भी नहीं मिल पा रहा है। किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली चीजों का और मिल द्वारा निर्मित की जाने वाली चीजों में यदि पैरिटी रहेगी तो उसका फायदा किसानों को मिल जायेगा।

(व्यवधान)

श्रीमन्, इस प्रकार से आप देखें कि इनकी तरक्की को नापने का ढंग ठीक नहीं है। आप तरक्की इस ढंग से नापते हैं कि हमने पुलिस की तदाद बढ़ा दी है, अस्पतालों की तदाद बढ़ा दी है। अस्पतालों की तदाद बढ़ी है या घटी है यह बात तरक्की को नापने से ताल्लुक नहीं रखती है। हमारे प्रदेश में बीमारियां कम हुई हैं या नहीं, यहां के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं, तरक्की के नापने का यह पैमाना होना चाहिये। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी बैठे हुए हैं, अस्पताल बनाये जा रहे हैं, उनका उच्चीकरण हो रहा है लेकिन उच्चीकरण हो जाता है और सालों-साल तक भवन खाली पड़ा

रहता है लेकिन वहां अस्पताल के नाम पर कुछ नहीं है । मेरे ग्राम गजरौला में अस्पताल बना खड़ा है लेकिन वहां कुछ नहीं है । पुलिस के सिपाही और थानेदार वहां रहते हैं । तो मैं यह कह रहा था कि तरक्की के नापने का यह तरीका नहीं है । तरक्की को नापना है तो यह देखना होगा कि क्या वास्तविक प्रगति हो रही है ? आपके प्रदेश में लगातार तीन सालों से मलेरिया लोगों को लील रहा है जिससे कि जनता की शक्ति क्षीण हो रही है । पिछले साल दिसम्बर तक यहां मलेरिया का प्रकोप रहा और इस वर्ष फिर होने वाला है । इस समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग से कोई प्रयास नहीं किया गया ।

(व्यवधान)

तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि स्वास्थ्य के मामले में आप कम से कम इन बातों को देखें कि बीमारी की रोक-थाम हुई या नहीं । आज मुरादाबाद जिले की यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा तपेदिक के मरीज होते हैं । इस रोग से मरने वालों की तादाद सबसे अधिक मुरादाबाद जिले में है । कैसे लोगों को इससे छुटकारा दिलाया जाय, यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है । महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमने पुलिस की तादाद बढ़ा दी है जबकि चारों तरफ आप देखें कि अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती चली जा रही है । तो श्रीमन्, ये बुनियादी प्रश्न हैं जिनको हम हल करना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग लें । हमारी बात आपको अच्छी लगे तो आप उनको लें। यह जो राज्यपाल का अभिभाषण है, यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और उत्तर प्रदेश में तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि सन् 67 में कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने यह महसूस किया था कि अभिभाषण कार्यक्रम ठीक नहीं है और वे लोग उधर से इधर आये थे । इसलिए आप अपने विवेक से काम लें और हमारा सहयोग भी लें । अगर आपको लगे कि हमारी नीति विषयक बातें ठीक हैं तो उनको अपना लें । आप अपनी आत्मा की, मन की आवाज को सुनें और इस धन्यवाद के प्रस्ताव को पारित न होने दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन, माननीय कौशिक जी ने कहा कि सन् 67 में हमारी नीतियों की वजह से कुछ लोग इधर से उधर गये थे । तो वे बता दें कि वे नीतियां क्या थीं ?

श्री कौशिक रमा शंकर--

अध्यक्ष महोदय, आप भी उस समय इस सदन के माननीय सदस्य थे और आप जानते हैं कि यह जो अभिभाषण है, जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया कि यह वर्तमान प्रदेश की जो स्थिति है उसका सही चित्रण और साथ ही आने वाले दिनों में वह क्या करना चाहते हैं उसकी रूप-रेखा है । उस समय की रूप-रेखा को अभिभाषण में लिखित कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने नहीं माना और तब वे लोग इधर चले आये । अभी भी आपका विवेक जग जाये और आपको लगे कि ये बातें ठीक हैं तो आप भी वैसा ही करें ।

मान्यवर, पर्यावरण की बात कही जाती है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय कौशिक जी, आप अपना भाषण जारी रखें, इधर-उधर की बातों पर न जायं ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, मैं पर्यावरण की बात कह रहा था । सामाजिक वानिकी में इक्विलिप्टस के पेड़ लगाये जा रहे हैं । तमाम विशेषज्ञों ने जो कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं उनमें से अधिकांश की यह राय है कि यह इक्विलिप्टस का पौधा ऐसा है जो जमीन को खराब कर देता है, आस पास

की नमी को खत्म कर देता है और आस-पास की पैदावार को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आपको तो पेड़ लगा हुआ दिखाना है। पेड़ खड़ा हो जाय। इस हेतु नौकरशाह और ठेकेदार इस ढंग से काम करते हैं कि लोगों को यह लगे कि काम फौरन हो रहा है। इस यूकेलिप्टस के पेड़ को लगने में ज्यादा देर नहीं लगती है लेकिन इससे क्या नुकसान हो रहा है इसको नहीं देखा जाता है।

नदियों के पानी के प्रदूषण की जहां तक बात है, हमारे प्रदेश में कई नदियां हैं, इत्तफाक से हमारे प्रदेश में पवित्र नदियां हैं, संगम है, गंगा है, जमुना है, त्रिवेणी इलाहाबाद में है, उनके प्रदूषण को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता है। हमारे यहां गजरौला में एक पेम कैमिकल फैक्टरी है उसका पानी भी नदी में जाता है जिससे नदी की सारी मछलियां मर जाती हैं। जो भी आदमी उस पानी में घुसता है उसे खुजली हो जाती है। जानवर भी उस पानी को पी नहीं सकता है। सरकार इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देती है। सरकार को इस ओर सचेत होना चाहिये ताकि लोगों का जनजीवन जो कि असुरक्षित है, वह ठीक हो सके।

जहां तक सुरक्षा का मामला है, इस प्रदेश की दयनीय स्थिति है। हमारे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। देहातों में और बुरी हालत है। अगर आप देखें तो सही मानों में, कांग्रेस पार्टी के ही सदस्यों को आप पूछें तो आपको मालूम होगा कि देहातों में लोगों की जो जिन्दगी है, वे किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी क्या हालत है। कोई भी व्यक्ति जो ढंग से रहना चाहता है वह गांव छोड़ कर चला जा रहा है और अपनी खेती बाड़ी बाहर से कराता है। इसी लिए आज जो छोटे-मोटे कस्बे हैं उनमें दबाव ज्यादा पड़ रहा है और वहां आने के बाद खेती की बात सोचते हैं। तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिये और सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला है और मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इसके लिए एक बुनियादी प्रश्न है गरीबी दूर करने का जिसका ढिंढोरा यह सरकार पीटती है कि हम गैर-बराबरी को खत्म करेंगे और बराबरी लायेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं अगर बराबरी लानी है तो शुरू कीजिये प्राइमरी पाठशालाओं से पब्लिक स्कूलों को बन्द कीजिये। हर एक बच्चा चाहे वह मालदार का है या गरीब का है या मंत्री का बेटा है या एम0 एल0 ए0 का बेटा है, चाहे थानेदार का बेटा है, या सिपाही का बेटा है सब को 5वीं कक्षा तक एक साथ बैठाइये इससे बराबरी आयेगी। यह जो पब्लिक स्कूलों को सहायता दे रहे हैं उससे बराबरी नहीं ला सकेंगे। इतनी बात कह कर मैं चाहूंगा कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने रखा है उसमें जितनी बातें मैंने कही हैं उनको जोड़ दिया जाय।

श्री रजनी कान्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का अभिभाषण लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुकूल है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है क्या माननीय सदस्य लिखित भाषण पढ़ सकते हैं ?

श्री रजनी कान्त--

राज्य के सर्वांगीण विकास की झलक इसमें मिलती है.....

श्री यदुनाथ सिंह--

भाषण पढ़ रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर,

श्री अध्यक्ष--

आपने मेरा रुझान उधर किया है। आप बैठें मैं देखूंगा।

श्री रजनी कान्त--

माननीय राज्यपाल महोदय ने सर्वांगीण प्रगति की तस्वीर जो खींची है उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और उसकी कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

लिखित भाषण पढ़ा नहीं जा सकता है।

श्री रजनी कान्त--

मैं प्वाइंट्स तो देख सकता हूं कि नहीं?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

देखिये दोनों तरफ से कुछ माननीय सदस्य नये आये हैं, उनकी मदद करें।

श्री रजनी कान्त--

हिन्दी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं के विकास के लिए कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप में आवश्यक सुधार होना चाहिये और उसके लिए एक निदेशालय की स्थापना होनी चाहिये जिससे संस्कृत, उर्दू और हिन्दी का समुचित विकास हो सके। उत्तर प्रदेश हिन्दी का हृदय है। यह एक विडम्बना है कि भारत के संविधान की कोई अधिकृत पुस्तक हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

(व्यवधान)

इस पर तत्काल विचार होना चाहिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

पढ़ नहीं सकते हैं।

श्री रजनी कान्त--

मान्यवर, गंगा प्राधिकरण के तत्वावधान में जो नव निर्माण का कार्य हो रहा है उसमें मुझे केवल इतना कहना है कि उन प्राचीन धार्मिक नगरियों के स्वरूप और आत्मा की पहचान को न बदला जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, सदन की परम्परा रही है कि जो प्रथम बार निर्वाचित होकर आता है, जब वह बोलता है तो उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

श्री रजनी कान्त--

मान्यवर, काशी के घाटों का जीर्णोद्धार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि बनारस की एक अपनी "ओल्ड मैथड आफ आर्किटेक्ट" है उसको विशेष ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्माण करायें ताकि जो प्राचीन स्वरूप है, घाटों के बनारसीपन का, इसमें कोई फर्क न आने पावे और काशी की प्राचीन लोगों की आत्मा और स्वरूप बरकरार रहे।

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की वेधशालाओं में मान मंदिर वेधशाला दूसरा स्थान रखती है लेकिन भारत के पर्यटन के मानचित्र में यह शामिल नहीं है। इसलिए अनुरोध करूंगा कि मान मंदिर वेधशाला को मानचित्र में स्थान दिया जाये।

मान्यवर, बिक्री कर के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि व्यापारी जो बिना किसी पारिश्रमिक के सरकार के लिए राजस्व

एकत्र करते हैं यदि वे निर्धारित समय पर सेल्सटैक्स दे देता है तो उसको इंसेंटिव रिबेट सेल्सटैक्स में, प्रोत्साहन के रूप में देना चाहिए ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि रेशमी धागा जो हस्त शिल्प कला की प्रक्रिया में एक बेसिक इकाई है, उस पर लगा हुआ सेल्सटैक्स तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए जैसे कर्नाटक में है और उसी तरह बनारस में इस सिल्क धागे में जो सेल्सटैक्स लगा है उसको तुरन्त समाप्त किया जाये क्योंकि यह हस्त शिल्प कला में आता है ।

मान्यवर, सेल्सटैक्स की जो विभिन्न दरें हैं उनको हमारे प्रदेश में इन्टरस्टेट समानीकरण होना चाहिए ।

मान्यवर, काशी के ध्वस्त हो रहे प्राचीन शाहीनाला जो काशी की सीवर व्यवस्था का आधार स्तम्भ है उसके पुनः उद्धार, मरम्मत के लिए हर संभव प्रयत्न किए जायं ।

मान्यवर, अब मैं कवाल टाउन्स में शहरों में जो रोडवेज की बड़ी बसें चलती हैं वह ट्राफिक की समस्या पैदा करती हैं, इसलिए उनके स्थान पर मिनी बसें सरकार या प्राइवेट आपरेटर्स द्वारा चलाने की व्यवस्था की जाये ।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इंडियन मेडिकल काउन्सिल की तरह पहले प्रांविशियल मेडिकल काउन्सिल हुआ करती थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसी तरह मेडिकल काउन्सिल की सरकार पुनः जीवित करे ।

इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपने मुख्य मंत्री जी के शासनकाल में जो उपलब्धियां हुई हैं उनकी मुक्त कंठ से प्रसंशा करता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे पेश करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह उपस्थित किये हुए माने जा चुके हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, धन्यवाद प्रस्ताव और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आर्थिक, सामाजिक, दिशा निर्देशन में और बुनियादी परिवर्तन की आधारशिला उत्तर प्रदेश में रखी जाय, उस परिवर्तन आधारशिला को रखने में यह जो अभिभाषण प्रस्तुत हुआ है उसमें कोई दिशा निर्देशन नहीं है ।

मान्यवर, मूल्य वृद्धि, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस सम्बन्ध में क्या बुनियादी, मौलिक परिवर्तन किया जाय जिससे मूल्य वृद्धि पर प्रतिबन्ध लगे और महंगाई पर अंकुश लगे और आम आदमी की जिसके नमक की कीमत बढ़ गयी है, जिसके चूल्हे की लकड़ी की कीमत बढ़ गयी है उस पर कोई अंकुश लगाने का क्या प्राविधान किया गया है, यह मैं जानना चाहता हूं । मैं मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में पिछले वर्ष हमारे अपने फिरोजाबाद क्षेत्र में मलेरिया, खूनी पेचिश से एक दिन में 30 व्यक्तियों की मृत्यु हुई लेकिन वहां डाक्टर आज तक उपलब्ध नहीं हो सका । आपने मलेरिया और खूनी पेचिश, जो बराबर बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था की है इस सम्बन्ध में मैं उनसे थोड़ी जानकारी करना चाहता हूं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कपास का मूल्य गिर रहा है । अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर में उसके दाम घटे हैं ।

जबकि सूती कपड़े का थोक मूल्य बढ़ा है। 1979 में मारकीन की कीमत 1.88 रुपये थी। गरीब आदमी इस मारकीन का इस्तेमाल करता है। उस मारकीन की कीमत आज बाजार में साढ़े 5 रुपये से साढ़े 6 रुपये है और यह मारकीन सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से बेची जाती है। तो इस मूल्य वृद्धि का क्या कारण हो सकता है। इस पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाय इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश इसमें नहीं है। मान्यवर, इसी प्रकार में निवेदन करना चाहता हूं कि मूल्य वृद्धि को किस प्रकार रोका जायगा इस सम्बन्ध में इस अभिभाषण में कोई बात नहीं कही गयी है। किसानों के सम्बन्ध में सत्तापक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने भी बातें उठायी हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि नीति के बारे में आज तक हमारे हिन्दुस्तान का सबसेबड़ा दुर्भाग्य यह रहा है कि हिन्दुस्तान का किसान आज घाटे की अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है। कल कारखानों में काम करने वाले व्यापारी और बड़े लोग मुनाफे की अर्थव्यवस्था से गुजर रहे हैं। हमारे मुल्क में दो आर्थिक नीतियां चल रही हैं। किसानों के लिए घाटे की अर्थव्यवस्था और कल कारखाने वालों के लिए मुनाफे की अर्थ व्यवस्था। गरीबी, महंगाई और भुखमरी इन दोहरी नीतियों के कारण हैं। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं कृषि विभाग के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि एक किलो गेहूं पैदा करने के लिए किसान को 2.35 रुपये खर्च करने पड़ते हैं लेकिन यह सरकार उसकी कीमत 1 रुपये 52 पैसे प्रति किलो रखती है। इस तरह से किसान को एक किलो गेहूं पर 1 रुपये 17 पैसे का घाटा उठाना पड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसान की अर्थ-व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन लाने के लिए, किसान की हालत सुधारने के लिए इस अभिभाषण में कोई बात नहीं कही गयी है। किसान से एक रुपये 52 पैसे पर लेकर यह सरकार उस गेहूं को एक रुपये 94 पैसे पर बेच कर मुनाफा कमाती है।

हिन्दुस्तान और प्रदेश के जो लोग जिनके पास जमीन नहीं है और जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं जिनके लिए सरकार ने वायदा किया है कि उनको सस्ता गल्ला दिया जायगा तो उनको जो गल्ला सरकार देती है उस पर मुनाफा कमाती है। आर्थिक क्षेत्र में अभी तक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हुआ। जैसा कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि खरीद और बिक्री में 2 पैसे से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन यह सरकार 1 रुपये 52 पैसे पर गेहूं खरीदती है और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को वही गेहूं सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से 1 रुपये 94 पैसे में बेचती है। जब हिन्दुस्तान से बाहर से सरकार गेहूं खरीदती है और उत्तर प्रदेश में जब वह बिकता है तो दो रुपया पचपन पैसा एक किलो पर खर्च करने के बाद इस प्रदेश की सरकार घाटे पर बेचने का काम 1.94 रुपये में करती है और वहीं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर से गेहूं घटिया किस्म का घाटा उठाने के बाद और बाहर के गेहूं को तेज मूल्य से खरीदकर हम अपने किसानों का सत्यानाश कर रहे हैं और उनको गड्ढे में दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए इस सरकार पर मेरा किसान विरोधी होने और किसान को उत्पीड़ित करने वाली सरकार होने का गम्भीर आरोप है।

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अपनी अन्तरात्मा पर हाथ रखकर सोचें, जिसमें दो प्रकार की नीतियां चलेंगी, वह देश कैसे उन्नति कर सकता है और वहां का बहुसंख्यक किसान कैसे उन्नति कर सकता है। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर किसानों की प्रगति के बारे में जो चर्चा की गई है, उस पर आप जो दोहरी

मूल्य नीति का विश्लेषण किया गया है उसको ध्यान में रखकर विचार करें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि किसानों का सबसे ज्यादा शोषण करने का यदि किसी ने काम किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है।

अभी बड़ा हल्ला मचाया गया कि 35 हजार गांवों को जल से ओतप्रोत कर दिया गया है, किन्तु मेरे क्षेत्र में ही 5 गांव ऐसे हैं, जहां पर लोगों को पीने का जरा भी पानी नहीं मिलता है। यह गांव हैं मोहम्मदपुर, बिहारीपुर, नगला शेख, नगला गड्ढा, नगला दया और ठारनाथू और इन गांवों के ग्रामवासियों को पीने का बिल्कुल पानी नहीं मिलता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर जिला अधिकारी, आगरा ने उत्तर प्रदेश सरकार को, रिपोर्ट भेजी कि इन गांवों को टैंकर से पानी भेजने की व्यवस्था की जाए, लेकिन केवल एक दिन टैंकर गया और फिर दुबारा वह टैंकर वहां कभी नहीं गया। कल परसों वहां बिजली काट दी गई और इस कटौती के बारे में उनसे कहा गया कि आप लोगों ने चूंकि जनता पार्टी को वोट दिया है, इसलिए तुमको पानी नहीं दिया जाएगा। हमारे क्षेत्र के उन गांवों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस योजना को यहां पर सरकार में बैठे उन लोगों ने अमान्य कर दिया। वहां के लोगों को दो साल से पानी से वंचित रखा जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि फिरोजाबाद में 2 लाख 10 हजार की आबादी है, हाल के सेंसस के अनुसार इतनी ही फिरोजाबाद की आबादी है, वहां पर एक भी आदमी को नल का पानी उपलब्ध, नहीं हो रहा है।

जनता शासनकाल में 42 लाख रुपया सरकार ने स्वीकृत किया था और उससे वहां पर 10 कुएं बनवा कर मार्च, 1980 का पानी देने का उसने आश्वासन दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन कुओं को बाद में नहीं बनवाया और वहां के सभी निवासियों को इस हुकूमत ने पानी के अभाव में संकट में डाल दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल के अभाव में वहां के लोग नालियों में पड़े पाइप को काट कर नालियों में घड़ा, बाल्टी रखकर उनका प्रदूषित जल पी रहे हैं, वे लोग मजबूर होकर मल और टट्टी मिला जल आज पी रहे हैं। फिर भी सरकार के लोग कहते हैं कि पानी के मामले में हमने समस्या का निराकरण किया है। इस तरह के बयान पर उनको शर्म आनी चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूंगा, आप हंसिये मत, जनता में जब आप जायेंगे तो आपको मालूम होगा। फिरोजाबाद के 2 लाख 10 हजार आदमियों को कोई पानी उपलब्ध नहीं है, जिला अधिकारी, आगरा, नगरपालिका और जल संस्थान के अधिकारियों ने इसकी गम्भीरता पर कोई ध्यान नहीं दिया है, वहां पर इतना जल प्रदूषण हुआ है कि मलेरिया फैला है, आंख और आंत की बीमारियां धड़ल्ले से हो रही हैं और छूत की बीमारियां भी फैल रही हैं।

बिजली के सम्बन्ध में बहुत व्याख्या की गयी है कि हमने इस मामले में बुनियादी परिवर्तन की आधारशिला रखी है, लेकिन जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनसे विदित है कि आज भी किसान बिजली के लिए तरस रहा है और खेतों में सूखा पड़ रहा है। हमारे यहां के डेढ़ लाख मजदूर, बिजली के अभाव में विभिन्न कारखाने बन्द हो जाने के कारण परेशान हैं और वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। वहां के करीब सौ कारखाने इस कारण से बन्द हैं, चूड़ी कारखानों में काम करने वाले गरीब मजदूर भूखों मर रहे हैं। वहां बिजली के दर्शन होते नहीं हैं।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के सम्बन्ध में बुनियादी परिवर्तन की आधार शिला बनाने के बारे में इनके प्रधान मंत्री ने कहा कि

शिक्षा में मौलिक परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन कान्वेन्ट, मांटेसरी, शिशु मन्दिर, किन्डर गार्डेन, पब्लिक स्कूल और बेसिक शिक्षा आदि के रहते यह सम्भव नहीं है। डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब तक देश और प्रदेश में 80 सैकड़ा लोग बेसिक शिक्षा पाते रहेंगे और 10 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत कान्वेंट और शिशु मन्दिर, मान्टेसरी स्कूल आदि में शिक्षा पाते रहेंगे, तब तक देश में मौलिक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए मान्यवर, समान शिक्षा नीति, समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम और समान विद्यालय की नीति लागू की जाय। इसलिए मैंने जो आपके सामने पेश किया है, इसमें जोड़ दिया जाय।

मैं आगे आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कानून और व्यवस्था के मामले में, कानून के सामने बराबर, इक्विलिटी बिफोर ला, कानून का राज्य कायम करने में यह शासन अक्षम रहा है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता करता हूं कि जो मैंने प्रस्ताव किया है और जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसे संशोधनों के साथ जोड़ दिया जाय।

(श्री समरपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मूल चन्द—

मान्यवर, मैं कई बार खड़ा हुआ, परन्तु मुझे बोलने का अवसर अभी तक नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री समरपाल सिंह—

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सम्मानित विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं। मान्यवर, इक्युलिप्टस के सिलसिले में सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में शंकाएं निर्मूल हैं। मान्यवर, वैज्ञानिकों ने निर्विवाद रूप में यह बता दिया है कि यह भ्रामक प्रचार है कि इक्युलिप्टस जमीन को खराब करता है। इक्युलिप्टस साल भर में एक दफा सब पत्ता गिरा देता है, जिससे जमीन की उर्वरक शक्ति और बढ़ जाती है। यह सही है कि वह जल्दी बढ़ने वाला पौधा है और उसकी छाया पूरे खेत तक पहुंचती है, इसलिए इक्युलिप्टस का प्रयोग खेती के लिए नहीं होना चाहिए। सामाजिक बानिकी लगाया जाय। यह तो अनाधिकार चेष्टा है, जो इक्युलिप्टस को खेती की जमीन में लगाते हैं। मुझे भय है कि अगर यही रफ्तार किसानों की रही और स्वार्थ सिद्धि के लिए रही कि जल्दी पैसा मिल जाय और मालदार बनने के लिए इक्युलिप्टस लगाते रहे, तो सरकार को बाध्य होकर इस पर रोक लगाना पड़ेगा। इक्युलिप्टस के लिए जो प्रचार किया जा रहा है, वह शायद इसी उद्देश्य से किया जा रहा है कि खेती की जमीन पर इक्युलिप्टस लगाना कम हो।

मान्यवर, मैंने अद्योपान्त महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा है। उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा प्रदेश है, जिसमें एक लाख 12 हजार गांव, 700 छोटे-बड़े नगर, साढ़े 6 हजार से ज्यादा ब्लाक हैं। इतने बड़े प्रदेश की बहुत बड़ी समस्यायें हो सकती हैं। मान्यवर, इस रिपोर्ट में गागर में सागर भर दिया गया है। प्रदेश की हर छोटी-बड़ी चीज का इसमें विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस खूबसूरती से इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, वह सराहनीय है, वह प्रशंसा के योग्य है। यह सही है कि उत्तर प्रदेश ने ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हम लोग दस साल पहले विदेशी अनाज पर निर्भर थे, लेकिन आज जनसंख्या के बढ़ने के बावजूद भी हम अपने परिवार को दोनों

वक्त खिलाने में समर्थ ही नहीं हैं, बल्कि दूसरे देशों को भी अनाज भेजते हैं। बल्कि हम बाहर निर्यात कर रहे हैं और हमारे देश का बीज पश्चिमी देशों अरब और पूर्वी देशों में बड़ी तादाद में जा रहा है, इससे हमको विदेशी मुद्रा मिल रही है। इसमें जहां तक उत्पादन का सवाल है, हमारे किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता हूं। हमारे किसानों ने जो आधुनिक प्रणाली थी उसको अपनाया, लेकिन आधुनिक साधनों का जो महत्व है, उसे हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। जहां हमारे वैज्ञानिकों ने नये पौधे दिये जिनसे अधिक उत्पादन हो सकता है वहीं हमारे किसानों ने परिश्रम करके आशातीत सफलता इसमें प्राप्त की। लेकिन अभी भी बहुत स्कोप हिन्दुस्तान में है और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जहां आशातीत सफलता कृषि उत्पादन में आयी है, खाद, पानी, बिजली कीट नाशक दवाईयां और अच्छे बीज हमारी सरकार ने जो उपलब्ध करायें हैं उसी का परिणाम है कि आज हम स्वावलम्बी ही नहीं बल्कि बाहर भी अनाज भेजने की क्षमता रखते हैं।

हमारे साल का वह पीरियड अप्रैल, मई, जून का जो महीना नष्ट हो जाता था हमारी नई तकनीक ने नये बीज ने, हमारी उस अवधि को जब सूरज सबसे ज्यादा उर्जा देता है। सूर्य की ऊर्जा से ही खेतो में उत्पादन होता है उसका उपयोग जायद में करने लगे हैं। जहां 80-81 में 4 लाख 76 हजार हैक्टेयर में यह फसल होती थी 82-83 में 5 लाख 92 हजार हो गयी और 83-84 में जहां तक मेरी जानकारी है यह 7 लाख हेक्टेयर हो गयी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि दाल के उत्पादन में हुई है। उड़द, मूंग, अरहर हमारी खरीफ की दालें मानी जाती हैं। लेकिन उनका उत्पादन हम खरीफ में नहीं कर पाते थे। इसमें हमारे वैज्ञानिकों और किसानों ने सहयोग दिया। वह दिन दूर नहीं जब हम दालों के उत्पादन में स्वावलम्बी हो जायेंगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं आप सभी जानते हैं कि हमारी जन-संख्या 25-26 लाख प्रति वर्ष बढ़ रही है। अगर इसी अनुपात में उत्पादन न बढ़ायें तो हम कुछ दिनों में उसी स्थिति में पहुंच जायेंगे, जहां 10 साल पहले थे। हमारे पास 11 लाख हेक्टेयर के करीब ऊसर जमीन पड़ी है और इतनी ही जमीन हमारे पास कृषि योग्य बेकार पड़ी है। इसलिये जो कृषि योग्य ऊसर जमीन है उसको सुधारा जाय। सुधार हो रहा है। पाइराट और जिसमें ऐसे केमिकल हैं जो ऊसर सुधार में प्रभावी साबित हुये हैं। लेकिन यह सुधार इतना महंगा है कि उसको सरकार कर सकती है। एक-दो किसान या एक दो गांव के वश का वह नहीं है। उसको तो सामाजिक स्तर पर चलाया जा सकता है।

आज हमारे प्रदेश के शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि गांवों में उनकी आवश्यकतानुसार बिजली उनको नहीं मिल रही है। हमारे पास जितनी बिजली है वह नाकाफी है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी जो उत्पादन क्षमता है उसका बिजली उत्पादन में पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

हमारा इतना भाग्यशाली प्रदेश, जिसमें हर नदी पहाड़ से आती है, तो हमारे यहां बिजली जल से उत्पादित होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी मौजूदा स्थिति है उसमें तापीय बिजली का ज्यादा उत्पादन होता है, बजाए जल विद्युत के इसमें मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा। सरकार ने चार बड़े कारखाने यूरिया के उत्तर प्रदेश में लगना स्वीकार किया है और उसमें कोड दिया है। यूरिया प्राकृतिक गैस

से बनती है। तापीय विद्युत उत्पादन में कोयले की भी जरूरत पड़ती है लेकिन कोयला बहुत खराब किस्म का आ रहा है। मुझे जाती अनुभव है। मैं ऐसी संस्था से सम्बन्धित हूं जो फर्टिलाइजर बनाती है। उस संस्था ने केप्टिव पावर प्लांट लगाये हैं, जिसमें गैस को ईंधन की भांति प्रयोग करके बिजली बनायी जाती है। प्रदेश की सरकार भी तापीय पावर प्लांटों में कोयले के स्थान पर गैस का प्रयोग कर सकती है। समय कम है, मैं और भी बात कहना चाहता था। फिर किसी अवसर पर अब कहूंगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी लाल बत्ती का आदर करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मूलचन्द—

महामहिम के अभिभाषण के तत्वाधान में 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में, शिडयुल कास्ट के सम्बन्ध में, शिडयुल ट्राइब्स के सम्बन्ध में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान्ट, आई0 आर0 डी0, स्कीम एन0 आर0 पी0 स्कीम यह तमाम स्कीमें गरीबों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की गरीबी दूर करने के लिए चलाई गई, लेकिन जो लोन वितरण की प्रणाली है, उसमें जिन लोगों को लोन मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं दिया गया, इसका वितरण सही तरीके से नहीं किया गया। श्रीमन्, मैं भुक्त-भोगी हूं मैं सुनकर नहीं कह रहा हूं, मैं भुक्त-भोगी होने की वजह से कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने गरीबी हटाने के नाम पर लोन योजनायें चला रखी हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे गरीबों के नाम पर धन्धा खोलकर बैठे हैं। मान्यवर, गरीबों के नाम जो लोन मंजूर हुआ, उसमें यह हुआ कि रजिस्टर्ड दुकान जो हैं उन्हीं से सामान खरीदा जाए। रजिस्टर्ड दुकान वाले वह हैं, जिनकी एक पैसे की बिक्री नहीं होती थी उनकी 50 हजार रु0 रोज की बिक्री हो रही है। कोई भी सामान ओरिजनल नहीं मिलता है चाहे वह सामान ट्राली का रहा हो, चाहे रिक्शे या इक्के का रहा हो। मुसहर जाति के लोगों ने रिक्शे लिए, ट्राली ली, उनके रिक्शा और ट्राली चल नहीं रहे हैं, वह चल नहीं रहे हैं। रद्दी सामान के कारण शीघ्र ही टूट पड़े हैं। इसका फायदा कौन उठा रहा है वह दुकानदार और वह सरकारी अधिकारी की साजिश से दुकान खोलकर बैठे हैं, रजिस्टर्ड कराए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो सरकार का धन खर्च हो रहा है, सरकार का खजाना खाली हो रहा है, उसका क्या मतलब है। क्या सरकार यह जांच कर रही है कि जिस उद्योग के लिए सरकार रुपया देती है वह उद्योग चल रहा है, या नहीं ? और नहीं तो क्यों ? इसकी कोई जांच नहीं होती जो कि होनी चाहिये उसमें अधिकारी, कर्मचारी और शायद हाईकमाड तक के लोग कमीशन खा रहे हैं। धन्धा चल रहा है।

मैं बनारस जिले के भदोही क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, माफ कीजिए, यह शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत जो ऋण दिया गया है हमारे माननीय मन्त्री जी भी बैठे हुए हैं क्या बता सकते हैं किसको ऋण दिया गया है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं दिया गया है। 37 वर्ष आजादी के बाद आज भी आवास आवंटन घर बनाने के लिए गरीबों को दिया गया है लेकिन जहां देना चाहिये वहां नहीं दिया गया है। एक गरीब का घर दूसरे गरीब के नाम एलाट किया गया है। अगर वह एक दरख्वास्त देता है तो 198 का पार्टी बना कर नोटिस दी जाती है मुकदमा अतिरिक्त जिलाधीश के यहां विचाराधीन हो जाता है और आबंटी को जब उसकी नोटिस आती है तो गरीब आदमी किसी नेता को, किसी प्रधान को ढूंढ़ता है कि हमारे साथ चलिये पैरवी कर दीजिए तो वह साथ

लेकर जाता है और 10 रु0 खर्च लेगा, 10 रु0 वह अपना नुकसान करेगा, 10 रुपया वकील साहब का देगा और 2 रु0 पेशकार साहब को देगा और टाइप वगैरह लेकर खर्च कम से कम 50 रु0 आयेगा और होगा यह कि मुकदमा चल रहा है। और 8 साल तक चलेगा और जवाबदेही बहस होगी तो 100 रु0 गरीब खर्च करता है। तो कैसे 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी दूर होगी। एक विस्वे आवास आवंटन के लिए गरीब आदमी 8 साल लड़ता रहे तो कैसे गरीबी दूर होगी।

मैं कहता हूं कि अगर आपको उस गरीब को राहत देनी है तो लेखपाल को क्यों नहीं पार्टी बनाते हैं अगर गलत पट्टा है तो उनका निरस्त करें और दूसरी जगह आबंटन देवें।

आवंटन के बहुत से मुकदमें ज्ञानपुर न्यायालय में विचाराधीन हैं। मेरा यह निवेदन है कि मन्त्री महोदय आगे से इस प्रकार के मुकदमें में कोई आवंटी को पार्टी न बनावें और अपने लेखपाल कानूनगो को पार्टी बनायें। अगर सही आवंटन है तो ठीक है नहीं तो उसको निरस्त कर दीजिए। अभी मैंने सुना कि बस्ती में अधिकांश हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण होगया है। यह झूठी बात है इस झूठ से गरीबी कैसे दूर होगी। मेरा कहना है कि गरीबों के नाम पर लूट मची हुई है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि सरकार को अवगत करायें कि गरीबों के नाम पर लूट न हो। उत्तर प्रदेश में 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

(व्यवधान)

गरीबी की रेखा के ऊपर जो लोग हैं वह सामान्य लोग हैं 2 प्रतिशत पूंजीपति हैं। वह अमीरी 2 परसेन्ट नहीं मिटा रहे हैं और गरीबी मिटाने में लगे हैं। गरीब अपने आप मिट रहा है। क्योंकि 2 प्रतिशत अमीरी मिटायेंगे तो आप लोग भी मिट जायेंगे और गरीबी भी मिट जायेगी।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। आज दोपहर को 12' 30 बजे माननीय सदस्य श्री यदुनाथ सिंह ने एक बात कही थी जब मैं यहां पर नहीं था। उन्होंने कहा कि कोई एक द्विवेदी दरोगा मेरा रिश्तेदार है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में मेरा कोई भी रिश्तेदार न तो दरोगा है, न कांस्टेबिल है, न डी0 आई0 जी0 है और न आई0 जी0 है।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा था कि यह दरोगा इनका रिश्तेदार था, उस दरोगा ने लोकपति त्रिपाठी जिन्दाबाद कह कर हमला किया था।

श्री प्रदीप माथुर--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। हमारी सरकार को जनता ने मौका दिया काम करने का और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। हमारे प्रदेश की जनता जो श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है। उनकी कार्य प्रणाली और उनके कार्य करने काम ढंग अभी तक बहुत प्रशंसनीय रहा है। साल का काम महीने में महीने का का काम हफ्ते में और हफ्ते का काम दिनों में करने का जो तरीका है, यदि इसी आधार पर प्रदेश चलेगा तो बहुत जल्दी विकास होगा। हमें अपने मुख्य मन्त्री श्री नारायन दत्त तिवारी पर पूर्ण विश्वास है। हमें विश्वास है कि वे जनता के दिल को जीत लेंगे और उन्होंने जीत लिया है। मैं आप लोगों को यह बताना

चाहता हूं कि हमारा प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बताया गया है कि हमारा उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो गया है। हम लोगों ने 5 वर्षों में जो आत्म-निर्भरता का लक्ष्य रखा था वह चार वर्षों में ही प्राप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश ने औद्योगिक विकास में बहुत प्रगति की है हमारी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत मथुरा रिफाइनरी, एच0 ए0 एल0, पैट्रो कैमिकल काम्प्लैक्स तथा उर्वरक कारखाने यह दर्शाते हैं कि हमारा प्रदेश अच्छी प्रगति कर रहा है। हमारी 7वी योजना में औद्योगिक उत्पादन में दस प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। हमारी सरकार ने प्रयत्न किया है कि अधिक से अधिक लघु एवं कुटीर उद्योग लगाये जायं। इससे हमारा प्रदेश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा जिससे अधिकाधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और बेरोजगारी समस्या कम होगी। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार हथकरघा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी तत्पर है। इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए एक विशेष कमेटी गठित कर दी गयी है। हमारी केन्द्र सरकार द्वारा लघु उद्योग एस0 एस0 आई0 यूनिट्स की सीमा को बढ़ा कर 20 लाख से बढ़ा कर 35 लाख कर दिया गया है। एस0 एस0 आई0 एन्सिलरी यूनिट्स को 25 लाख से बढ़ा कर 45 लाख करना उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति का परिणाम है। इससे हम सोच सकते हैं कि हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। औद्योगिक विकास की स्थिति में श्रमिकों और मालिकों के बीच मधुर सम्बन्धों को बनाये रखने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। उद्योगों को सुचारु रूप के चलने के लिए विद्युत आदि के उत्पादन के लिये बराबर जोर दिया जा रहा है और हमारी औद्योगिक क्षमता बराबर बढ़ती चली जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारी पूज्यनीय व माननीय स्वर्गीय प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी द्वारा चलाये गये 20 सुत्रीय कार्यक्रम की प्रगति से हम सब अवगत हैं सभी बिन्दुओं पर गत वर्ष काफी अच्छा काम हुआ है।

मैं जब आपके माध्यम से सदन का ध्यान भारतीय संस्कृति की ओर खींचना चाहता हूं भारतीय संस्कृति और इतिहास में गंगा नदी का विशेष स्थान है, परन्तु मल एवं गंदगी की निकास की व्यवस्था की कमी होने के कारण इस नदी में अत्याधिक प्रदूषण हुआ है। केन्द्र सरकार व हमारे प्रधान मन्त्री जी की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गयी है तथा इसमें उत्तर प्रदेश के 6 जिले लिये गये हैं। गंगा प्राधिकरण के अन्तर्गत गंगा नदी की ट्रिब्युटरी को भी शामिल किया गया है। यह भी हमारे देश और प्रदेश की प्रगति का एक उदाहरण है।

मान्यवर, मैं अब आपका ध्यान योगीराज भगवान श्रीकृष्ण की पवित्र जन्मस्थली मथुरा नगरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस पावन नगरी में विश्व के कोने कोनें से प्रति वर्ष लाखों तीर्थ यात्री पवित्र यमुना नदी के आचमन एवं यहां के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों को देखने आते हैं। मैं अपनी सरकार का ध्यान यहां की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रथम यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु तुरन्त कार्यवाही तथा इसमें समुचित जल छोड़े जाने की व्यवस्था की जाय इस हेतु मथुरा जिले की गंगा प्राणिकरण के अन्तर्गत तुरन्त ले लिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त वृन्दावन से मांट जाने हेतु एक पुल के निर्माण की आवश्यकता है जिससे कि लगभग 40 कि0 मी0 रास्ता कम हो जायगा तथा जिससे इस क्षेत्र की बहुत प्रगति होगी। इसके अतिरिक्त, मैं इस पवित्र धार्मिक नगरी को देश के टूरिस्ट मैप में लाने का भी सरकार से अनुरोध करता हूं, जिससे कि इसकी देश एवं विदेश में गरिमा बढ़ सके और भगवान

कृष्ण की जन्मस्थली का दर्शन कर लोग कृतार्थ हो सकें ।

इसके अतिरिक्त, मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि मथुरा एवं वृन्दावन नगर पालिकाओं का ज्यादा से ज्यादा अनुदान दिया जाय । मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि अभी इमीडियेटली ही अगर लगभग एक करोड़ रुपया मथुरा म्युनिसिपैलिटी को दे दिया जायेगा तो उससे मथुरा के जीर्णोद्धार और विकास में सहायता मिल सकेगी । उसके अतिरिक्त मथुरा में औद्योगिक विकास हेतु प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है इस संदर्भ में मथुरा के इंडस्ट्रियल एरिया की समस्याओं का समाधान बहुत आवश्यक है तथा मथुरा के परम्परागत साड़ी उद्योग जिसमें कि लगभग 20 हजार लोगों की रोजगार प्राप्त है, को प्रोत्साहन एवं उसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

अन्त में, मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार श्री नारायण दत्त जी के नेतृत्व में प्रदेश की निरन्तर दिन दूनी रात चौगुनी गति से उन्नति करेगी तथा हमारे प्रधान मन्त्री जी द्वारा दिये गये संदेश कि सालों का कार्य महीने में, महीनों का कार्य हफ्तों में तथा हफ्तों कार्य दिनों में किया जाय, का अनुसरण करते प्रदेश को विकास की एक नयी दिशा देगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं विपक्ष में बैठने वाले साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि वे प्रदेश की प्रगति में हम लोगों को पूरा-पूरा सहयोग देंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का एक बार पुनः समर्थन करता हूं ।

(समय 4 बजकर 34 मिनट)

श्री गोपाल दास यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है । मान्यवर, आज जो प्रदेश के अन्दर मेन मुद्दा है, वह है बिक्री कर का मुद्दा । भारत के प्रधान मन्त्री ने चुनाव के दौरान इस बात पर बार बार जोर दिया था कि हम बिक्री कर को समाप्त कर देंगे । लेकिन, अभी तक उस पर किसी प्रकार की कोई अमल दिखायी नहीं देता । मान्यवर, आज व्यवसाय के क्षेत्र में बिक्री कर एक बहुत बड़ा नासूर बन गया है । मैं इसके बारे में मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूं कि आप दवा के क्षेत्र में ही देख लें । एक ही दवा अगर भिन्न-भिन्न दुकानों से ली जाय तो उसके भिन्न-भिन्न भाव देने पड़ते हैं । आप यह देखें कि एक ही दवा जिसका दाम एक है, जब खरीदने वाला उसे खरीदता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि इसका भिन्न-भिन्न मूल्य क्यों है ? यदि बिक्री कर को समाप्त कर दिया जाय और इसके स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन कर लगा दिया जाय तो मेरा दावा है कि पूरे हिन्दुस्तान में एक ही दवा का एक ही मूल्य होगा । लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि बिक्री कर के नाम पर लाखों रुपयों का घोटाला दवाओं में किया जा रहा है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस बिक्री कर जैसे नासूर को समाप्त कर दें ।

इसके साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ स्वास्थ्य मन्त्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में गरीबों को दवा नहीं मिल पा रही है । आज जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, करोड़ों रुपयों की दवा बाहर के प्रदेशों से मंगायी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज लोगों के दिमाग में एक बात है

कि हमारे प्रदेश में जो दवाइयां बनायी जाती हैं, निम्न स्तर की हैं वे ठीक नहीं हैं। इसका एक कारण यह है कि महाराष्ट्र में 110 ड्रग इन्सपेक्टर हैं जबकि प्रदेश में केवल 16 ड्रग इन्सपेक्टर थे। पिछली बार यहां पर 14 ड्रग इन्सपेक्टर और बढ़ा दिये गये। जहां जहां पर आपके आफिसेस थे, उन्हें भी आपने खींच लिया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज जो करोड़ों रुपये की दवा बाहर से मंगवाते हैं अगर इस प्रदेश में ड्रग इन्सपेक्टर की संख्या बढ़ा दी जाय और जो स्वास्थ्य निदेशालय है, इसे अलग कर दिया जाय तो इससे समस्या का काफी निदान हो सकता है। एक बार इसे अलग भी कर दिया था किन्तु दुर्भाग्य है कि वह आज भी साथ-साथ चल रहा है।

मान्यवर, मेडिकल कालेज के अन्दर ग्लूकोज की बोतलें बन सकती हैं। वहां पर बड़े-बड़े फारमाकोलाजिस्ट हैं। वहां पर इसके बनने की अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। ग्लूकोज 5 परसेन्ट होता है, 10 परसेन्ट होता है जिसकी लागत कीमत 1 रुपये होती है। वहां पर पूरा प्लान्ट लगा हुआ है। मगर आज जो स्वास्थ्य के डाइरेक्टर हैं और प्रदेश के जो सी0 एम0 ओ0 हैं, वे दवाइयों के नाम पर भारी कमीशन ले रहे हैं। दवाइयां भी जो वह खरीदते हैं वह कफ सिरप की खरीदते हैं। इन दवाइयों को डिसपेन्सरी में बनाया जा सकता है जहां पर इसकी कीमत भी बहुत कम होगी, लेकिन आज जिसकी कीमत 1 रुपया है, उसे 10-10 रुपये में बेचा जा रहा है, जिससे करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है। यदि इन दवाइयों को अस्पतालों में बनाया जाय तो करोड़ों रुपये की बचत प्रति महीने हो सकती है।

मैं यहां पर जन-प्रतिनिधि चुनकर आया हूं। क्या व्यापार करना अपराध है, क्या धन्धा करना अपराध है। लेकिन दलाली करना अच्छी चीज नहीं है। यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं केवल सुझाव दे रहा हूं। अगर यह कर लिया जाय तो जो लाखों रुपये का दुरुपयोग होता है वह बच सकता है। मैं कहना चाहूंगा कि स्वरूप रानी अस्पताल है जिसके बारे में मोहतरमा इंदिरा गांधी, जो हमारी पूज्यनीय प्रधान मंत्री थीं आज उनके अस्पताल में, एक हेड क्लर्क की पोस्ट खाली थी उसके स्वर्गवास हो जाने के बाद, मैंने सर्किट हाउस में मंत्री जी से अनुरोध किया था कि उस पर नियुक्ति कर ली जाय लेकिन किन कारणों से नहीं हो पायी इसका यह प्रमाण है कि पैसा लेकर नियुक्ति नहीं करायी है और इससे मैंने मंत्री जी को अवगत भी करा दिया था। आपको ड्रग इन्स्पेक्टर्स बढ़ाने चाहिये, जो लघु उद्योग हैं इस क्षेत्र में उनको प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे बाहर से दवायें जो आती हैं वह सब हमारे प्रदेश में बनने लगें।

इलाहाबाद के अन्दर जो बिजली की समस्या है, केवल किसानों की बात ही नहीं कहना चाहता, प्रदेश के अन्दर बोर्ड की परीक्षायें चल रही हैं लेकिन सुबह 5 बजे बिजली काट दी जाती है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इम्तिहान देना चाहते हैं, उन्हें डिस्टर्बेन्स होता है, ध्यान अलग-अलग बंट जाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि इम्तिहान के दिनों में बिजली न काटी जाय।

शिक्षा की बात आती है, आज जो एल0 टी0 कालेजेज है, जो हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री थे इलाहाबाद के, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी संस्था के मालिक हैं, बी0 एड0 नहीं होने दिया क्योंकि बी0 एड0 होने के बाद उनके अध्यापकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती लेकिन वह केवल सी0 टी0 ग्रेड में वहां कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से वह हमारे समाज के अन्दर ईमानदारी से, मेहनत से काम कर रहे हैं उस तरह से उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। जहां तक एल0 टी0 कालेज का सवाल है, बी0 एड0 कर दिया जाय ताकि उनके अध्यापकों का रहन-सहन कुछ ऊंचा हो

सके। अधिक मैं नहीं कहना चाहूंगा, आरोप लगाना मेरा काम नहीं है, मैं केवल उन्हीं बातों को आपके सम्मुख रख रहा हूं जिससे प्रदेश का हित हो सके।

श्री श्याम लाल—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी विरोध पक्ष की ओर से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो समीक्षा रखी गई, वह तथ्य और सत्यांश से परे है। अच्छा होता यदि वह उसके स्वरूप को संवारते और एक रचनात्मक स्वरूप के रूप में रखते कि अमुक पहलू या अमुक विन्दु पर हमारा यह सुझाव है। हरिजनों की समस्या पर हमारे एक सदस्य ने कहा कि उनको कब्जा नहीं मिलता। मैं भी सुरक्षित सीट से विधायक हूं, जो हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजस्व की उपलब्धियों की बात कही थी, कि हमारा एस0 डी0 एम0 काम्पीटेंट है। अगर कोई व्यक्ति कब्जा नहीं देता तो उस पर वह दण्डात्मक कार्यवाही करेगा। हमारा परगनाधिकारी सक्षम है जिसमें एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है। जहां तक आज जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम देखते हैं लोकतांत्रिक मान्यताओं का ह्रास हो रहा है। उसमें एक ही मुद्दा है कि आदमी बाहर या सदन के पटल पर कहता है, लेकिन करता नहीं है। वाणी है, अमल नहीं करता है। इसमें हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी सारे संसार की अगुवाई कर रहे हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है।

आपने हरिजनों के विषय में कहा, हम इसको अपनी पार्टी में रखेंगे, अपनी सरकार के सामने रखेंगे। अगर आप आजादी के बाद से हिस्ट्री आफ लेजिस्लेशन देखें, तो जमींदारी-विनाश अधिनियम आया था, उसकी धारा 198 में एक नयी उपधारा जोड़ी गयी थी। उस समय हाउस की यह मंशा थी कि जमींदारों से निकली हुई जमीन को हरिजनों में बांट दिया जाय। उसमें एक क्लाज रखा गया कि पट्टे आवंटित किये जायेंगे भूमिहीन कृषक मजदूर को। आप उसमें "हरिजन" शब्द नहीं जुड़वा सकते थे? अगर आप अनवरत अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट नहीं हैं तो आप जनहित नहीं कर सकते। यहां केवल कह देने से जनहित नहीं हो जायगा। जब आपने देखा कि हाउस की मंशा थी कि हरिजनों को जमीन जानी चाहिए और जमीन चली गयी दूसरी जगह, तो कम से कम आप प्रस्ताव रखें कि अमुक प्रकार से इस वर्ग का फायदा हो सकता है। जितने भी ठोस प्रस्ताव आये हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आये हैं, आपकी तरफ से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया है। अगर आया हो तो सदन के पटल पर इसका जवाब मुझको दे दें।

मैं बुन्देलखण्ड से कोंच रिजर्व कान्स्टीटुएन्सी से चुना गया हूं। बुन्देलखण्ड और विशेष रूप से कोंच विकास की दृष्टि से बहुत पीछे है। जब मैं अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का सदस्य था तो मैंने प्रस्ताव रखा था कि बुन्देलखण्ड पत्थरों में बहुत रिच (धनी) है। वहां पर इतनी खानें हैं, जितनी और कहीं नहीं हैं। अगर पहूज नदी पर, नदी गांव में पुल बांध दिया जाय तो हम ग्वालियर और दिल्ली के बहुत ही नजदीक जायेंगे। बुन्देलखण्ड में कोंच क्षेत्र बहुत ही उपेक्षित रहा है, उस तरफ दृष्टि ही नहीं गयी। इसलिए वह अविकसित रह गया। आजादी की किरण वहां पर पहुंच ही नहीं सकी है। मेरा सुझाव है कि आप वहां का एक सर्वेक्षण करायें। जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, उनके सदस्य वहां पर जायं और देखें तथा सरकार भी इसमें सक्रिय योगदान दे। इण्डस्ट्री की बात है कि बुन्देलखण्ड में इण्डस्ट्री होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है। बुन्देलखण्ड की इण्डस्ट्री सफल नहीं हो सकती है, जब तक वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के साधनों का विकास न कर दिया जाय। मान लीजिये एक आदमी की कानपुर में इण्डस्ट्री है और मैं कोंच में इण्डस्ट्री लगाता हूं। निश्चित है कि कानपुर के मुकाबले में प्रोडक्शन की

कीमत में कोई में फर्क आयेगा। ऐसी हालत में अगर एक नये पैसे का भी फर्क आ गया तो हमारी इण्डस्ट्री बैठ जायगी। इसके लिए मेरा सुझाव है कि दक्षिणी द्वार हमारे लिए खोल दिया जाय क्योंकि दक्षिणी भारत में हमारा आइटम सस्ता पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक है कि ट्रांसपोर्टेशन के साधन हमको सुलभ कराये जायं। पहुज नदी पर नदी गांव में पुल बांधा जावे। हम तो यह कहते हैं कि सिंचाई और बिजली की व्यवस्था में सुधार होना चाहिये, माननीय नेता विरोधी दल को तो बड़ी विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति होना चाहिये क्योंकि नेता विरोधी दल सदन का एक जागरूक सिपाही होता है। किसानों के लिय आप कहते थे कि खेती की बात टेलीविजन पर दिखायी जानी चाहिये क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा ही नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया।

श्री रामनाथ मुन्शी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ ही रहा था, उसमें सर्व प्रथम मुझे मिला जिन्होंने अपनी संमवेदना उस महामहिम प्रतिभा के प्रति, उस दुर्गा के प्रति, उस चंडी के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित किया है वह हैं हिन्दुस्तान की स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संसार जानता है कि हिन्दुस्तान ने एक ऐसी देवी को जन्म दिया जिसने सारे संसार को बता दिया कि महिलाएं संसार में पुरुषों से कहीं ज्यादा ऊंची हैं। मुझे एक बात याद आती है उनकी याद में कि नारी कितनी महान होती है, इसे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री जी ने अपने कृतित्व से, अपने आचरण से, अपने कर्म से, अपने तेज से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से वह सिद्ध कर दिया कि नारी क्या है। प्रेम, त्याग, साहस, वास्तविक बलिदान की प्रतिभा, शक्ति रूपा नारी भारत का गौरव है। आप यह जान लें कि मैं उस स्वर्गीय प्रधान मन्त्री की याद आपको दिलाता हूं जिसका जिक्र इस अभिभाषण में आया है और पिछले शनिवार को इस माननीय सदन में उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान को प्रगति के रूप में जिस तेजी से उस देवी ने आगे बढ़ाया, जिसके प्रकाश में हिन्दुस्तान की 70 करोड़ जनता यह महसूस कर रही है हर क्षेत्र में चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, वह हर क्षेत्र में विकास का प्रकाश दे गयीं। उस महिला ने 1971 में यह दिखा दिया था कि हिन्दुस्तान की जनता बहादुर है, उसमें आत्मबल है, साहस है, उसे अपने स्वत्व का निर्माण करना आता है। जिस समय हिन्दुस्तान के पड़ोस में सारी सेनाएं धराशायी हो रही थीं उस समय हमारी सेनाओं ने दुश्मन को धराशयी किया था। उस समय 12 दिसम्बर, 1971 को उन्होंने जो कहा था वह मुझे याद है। दुनिया वालों ने सुना कि हिन्दुस्तान का अपना इतिहास है, अपना गौरव है। हिन्दुस्तान की जनता अपने स्वत्व को पहचानती है।

जिस समय संसद के पौर द्वार से इन्दिरा जी ने प्रवेश किया था महान नेता जनता पार्टी के जो आज बी0 जे0 पी0 में हैं, उन्होंने कहा कि इन्दिरा जी, तुम नारी नहीं, चंडी हो। मैं यह इसलिये कहा रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उनके लिये श्रद्धांजलि के दो शब्द कहे गये हैं। आप मुझे क्षमा करेंगे। उस महान नेता के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के बाद अब मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आ रहा हूं। मैं विरोधी

दल के नेता, पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बात कल से सुन रहा हूं। सारी बातें मुझे याद हैं। मैं बाहर से आया हूं। नया आया हूं मुझे संसदीय परम्परा का अल्पज्ञान है। मैंने देखा कि यह सदन कितना महान है। यहां पर 12 करोड़ लोगों की भावनायें जन प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की जाती हैं। जिस प्रकार की घड़ी की 12 घन्टे की सुइयां चलती हैं उसी प्रकार 12 करोड़ जनता के जन-जीवन के हित और अहित का यहां पर विचार किया जाता है। मैं यहां पर उस समय मौजूद था जब हमको संसदीय परम्पराओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उस समय यह कहा गया कि एक प्रश्न पर 10 हजार रुपया व्यय होता है। मैंने पेपर में पढ़ा था कि लोक सभा में एक मिनट पर 75 हजार रुपये व्यय किया जाता है। मैं मान लेता हूं कि विधान सभा में वह 25 हजार रुपया प्रति मिनट व्यय होता है। यह मैं इसलिये कहता हूं कि इस सदन में जब हम बैठते हैं 12 करोड़ जनता के भाग्य की तस्वीर बनाने के लिये बैठते हैं तो क्षण-क्षण मिनट-मिनट और पल-पल हमारे कर्तव्यों और आचरण से ऐसी झलक मिलनी चाहिए जिससे जनता की गाढ़ी कमाई जो हमारे ऊपर खर्च हो रही है उसका दुरुपयोग न हो।

हमें यहां पर तर्क-वितर्क से उस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिये यह अभिभाषण जो है यह पूरे प्रदेश की ऐसी तस्वीर है जो पिछले 50 वर्षों से लेकर आज तक यदि इतिहास को देखा जाय तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे जिले से आया हूं जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा पूर्वांचल का एक किनारा जहां कि प्रदेश के विकास का प्रकाश पहुंचते-पहुंचते धूमिल हो जाता है और यह है गाजीपुर का इलाका। 50 वर्ष पहले की बात है जब वहां पर कुछ भी नहीं था वहां आज अच्छा, उत्तम और जीवन का स्तर ऊंचा हो गया है। मैं यह भी कहे बिना नहीं रह सकता हूं। मुझे याद है कि स्वर्गीय गहमरी जी वहां से संसद सदस्य चुनकर गये थे। संसद में कहा था गाजीपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां के गरीब लोग आज भी गोबर से अनाज निकालते हैं और तब अन्न खाते हैं। तब पटेल आयोग की स्थापना हुई। यह वही गाजीपुर जिला है जहां बिजली की रोशनी आज फैल रही है, जगह-जगह अस्पताल खोले गये हैं, जगह-जगह सड़कें बना दी गयी हैं। मुझे याद है एक स्कूल था तहसील में, जहां मैं पढ़ता था और आज वहां मेरे पोते पढ़ रहे हैं, एक हजार स्कूल वहां हो गये हैं। यह अभिभाषण उसका प्रतीक है। कृषि की बात कही गयी...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

आप गहमरी का नाम जानते हैं?

श्री रामनाथ मुन्शी--

जानता हूं और बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं है और न संदेह कीजिये। मैं माननीय सदन का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने लिखा है कि मैं उस जिले का रहने वाला हूं जहां सन् 1952 में बरेली से माल गाड़ियां चोटों से भरकर जाया करती थीं। आज हमारे यहां गेहूं और धान के अम्बार लगे हुये हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज मुझे 4 सूचनाय प्राप्त हुई हैं जिनमें से श्री यदुनाथ सिंह जी की सूचना जो चुनार (मिर्जापुर) के पीपे के पुल का पथकर समाप्त करने के सम्बन्ध में है, को स्वीकार किया है, बाकी सूचनाओं को अस्वीकार किया है ।

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 19-3-1984 को 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ : भाल चन्द्र शुक्ल,

18 मार्च, 1985 सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ 57 पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में धन्यवाद के प्रस्ताव में प्राप्त संशोधनों के प्रस्ताव

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
2	कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री रघुवीर दयाल वर्मा, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी श्री कमल किशन पांडेय, श्री रमा शंकर कौशिक श्री श्रीप्रकाश तथा रणजीत	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :— 1—प्रदेश में लोक सभा तथा विधान सभा निर्वाचनों में की गई धांधली, बूथों पर जबरन कब्जा तथा अपराधियों और अराजक तत्वों का खुला उपयोग, 2—पूर्ण मद्य निषेध लागू करना, 3—समाज में लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों के अनवरत होने वाले अवमूल्यन को रोकने के सम्बन्ध में, 4—कृषि जन्य और कल कारखानों द्वारा पैदा की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में संतुलन बनाये जाने के संबंध में, 5—शिक्षा में हो रही निरन्तर गिरावट को रोकने और संपूर्ण प्रदेश में समान शिक्षा नीति लागू करने के बारे में, 6—पर्वतीय तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास के संबंध में, 7—प्रदेश में विद्युत् आपूर्ति के घोर संकट के कारण प्रभावित रबी की फसल को सुधारने के संबंध में, 8—आलू पैदा करने वाले किसानों के लिए समुचित मूल्य के प्राविधान का उल्लेख।
3	श्री राजेन्द्र गुप्त	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित घोषणायें नहीं की— 1—यह कि विधान सभा के विगत चुनाव में सत्तारूढ़ दल द्वारा हिंसा भड़काने तथा बल प्रयोग द्वारा

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		मतदाताओं को प्रभावित करने की घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी,
		2—कि जिस प्रकार जिला परिषद् से सेवा निवृत्त शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है उसी प्रकार जिला परिषद् के अन्य कर्मचारी जो कभी भी रिटायर हुए हों, पेंशन के हकदार होंगे ।
		3—कि सभी औद्योगिक संस्थानों में उनसे संबंधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की संशोधित दरें कठोरता से लागू की जायेंगी,
		4—कि पुलिस आयोग की सिफारिशों को विशेष रूप से पुलिस कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों के बारे में शीघ्रता से लागू किया जायेगा,
		5—कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए हिल पुलिस की विशेष व्यवस्था करके उनमें सेवा निवृत्त फौजियों की भर्ती को प्राथमिकता दी जायेगी,
		6—कि मा0 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ायी जायेगी तथा सभी पेंडिंग मुकदमों को शीघ्र निपटाया जायेगा,
		7—कि बिक्री कर की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क टर्नओवर टैक्स लगाकर आय की जायेगी । व्यापार करने के लिए दिये जाने वाले लाइसेंसों को समाप्त कर पंजीकरण की व्यवस्था द्वारा व्यापार को विकेन्द्रित करके पुनः गठित किया जायेगा,
		8—कि हाई स्कूल कक्षाओं तक शिक्षा निःशुल्क होगी,
		9—कि नौकरियों में डिग्रियों से अलग किया जायेगा,
		10—कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् को विकेन्द्रित करके पुनः गठित किया जायेगा,
		11—कि सभी तदर्थ नियुक्त अध्यापक स्थाई किए जायेंगे,

क्रम सं०	प्रस्तावक के नाम	संशोधन का रूप
		12—कि रोजगार गारंटी योजनायें आरम्भ की जायेंगी जो शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के युवाओं के लिए बनेंगी तथा बेरोजगारों को भत्ता दिया जायेगा,
		13—कि कृषि उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिया जायेगा तथा कृषि के उपयोग में आने वाले यंत्रों, खादों, कीटनाशक दवाओं, बीज, पानी का मूल्य घटाया जायेगा, कृषिजन्य पदार्थों तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में अनुरूपता लाई जायेगी,
		14—कि गन्ना का लाभकारी मूल्य दिया जायेगा और बकाया पर सूद दिये जाने के वर्तमान नियम को कड़ाई से लागू कराया जायेगा,
		15—कि फसल बीमा सम्पूर्ण प्रदेश में चलेगी तथा काश्तकार को जोत बही दी जायेगी,
		16—कि गोवंश को प्रदेश के बाहर जाने को कड़ाई से रोका जायेगा,
		17—कि जितनी बिजली उतना दाम का सिद्धान्त लागू होगा तथा बिजली की दर कम होगी और बिजली के वर्तमान संकट जिसके कारण मुख्य रूप से कृषि कार्य की भीषण तात्कालिक क्षति हो रही है को दूर कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जायेगा,
		18—कि मनोरंजन कर की दरें कम होंगी ।
		19—कि बसों के किराया में कमी की जायेगी,
		20—कि एक वर्ष में 1,000 की आबादी वाले सभी गांवों की आबादी को मुख्य सड़क से पक्की सड़क बना कर जोड़ दिया जायेगा ।
		21—कि शहर की मलिन बस्तियों को आवास बस्तियों में बदल दिया जायेगा और उन्हें सभी सुविधाएं दी जायेंगी,
		22—कि नागर तथा ग्रामीण क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के चुनाव तत्काल कराये जायेंगे तथा नियमों में ऐसा संशोधन किया जायेगा कि उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उनका अनिवार्य रूप से चुनाव करा लिए जायेंगे,

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		23—कि स्थानीय निकायों के चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कराये जाने की सिफारिश की जायेगी,
		24—कि कोर्ट फीस समाप्त कर दी जायेगी,
		25—कि परमाणु ऊर्जा की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा,
		26—कि महंगाई भत्ते की सभी किस्तों को जो अब तक देय हो उनका तुरन्त भुगतान राज्य कर्मचारियों में किया जायेगा और व्यवस्था की जायेगी कि सभी कर्मचारियों को रहने के लिए मकान दिया जा सके,
		27—कि सीतापुर जिले में सीपेज से उत्पन्न समस्या का हल युद्ध स्तर पर करने तथा जब तक प्रभावित जोतें कृषि योग्य नहीं हो जाती तब तक के लिए किसानों को पूर्ण क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जायेगा,
		28—कि सीतापुर जिले के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देकर नगर में कोई भारी उद्योग स्थापित कराया जायेगा, रहीमाबाद पम्प कैनाल के कमांड को खारिज करके राजकीय नलकूप लगवाये जायेंगे नलकूप निगम द्वारा सिंचाई विकास को हस्तांतरित जो नलकूप अभी तक चालू नहीं हो पाये हैं उन्हे तत्काल चालू कराने, नगर में स्पोर्टस स्टेडियम स्थापित कराने, सीतापुर नगर में एल0 एल0 बी0 तथा बी0 काम0 कक्षायें तथा पालीटेकनिक कक्षाओं को चालू कराने नगर में सीवरेज की व्यवस्था करने, पुराना सीतापुर में लड़कियों की पढ़ाई के लिए इंटर कक्षाओं तक की व्यवस्था करने, पुराना सीतापुर में 30 बेड वाला एक अस्पताल खोलने तथा पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाने तथा परसेडी तथा एलिया ब्लाकों को भी यूनीसेफ श्रेणी का ब्लाक बनाने गर्हपुर तथा फर्कापुर घाट बनवाने तथा नगर की बाढ़ नियंत्रण योजना का काम शीघ्र प्रारम्भ किया जायगा।
4	श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री मित्रसेन, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री राम सजीवन, श्री इकबाल अहमद तथा श्री अफजाल अहमद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने निम्नलिखित मुद्दों पर कुछ नहीं कहा...
		1—जनतांत्रिक व्यवस्था को स्वस्थ्य व सुदृढ़ करने के लिए चुनाव प्रणाली में सुधार के सम्बन्ध में,
		2—जिला परिषदों के गठन तथा स्थानीय निकायों के प्रतीक्षित चुनाव कराने के संबंध में निश्चित व समयबद्ध घोषणा के सम्बन्ध में,

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3--आलू के समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की समुचित व्यवस्था करके उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाकर उनकी लूट को बचाने के सम्बन्ध में,
		4--कृषि उत्पादों तथा मिल उत्पादित नित्य दिन प्रयोग की वस्तुओं के मूल्य में सन्तुलन स्थापित करने के संबंध में,
		5--चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ने की कीमत के बकाया के जल्द भुगतान की निश्चित योजना के संबंध में,
		6--प्रदेश में बिगड़ती हुई शान्ति और व्यवस्था को ठीक करने के लिए कारगर उपायों के सम्बन्ध में,
		7--बेरोजगारी को दूर करने तथा शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में,
		8--निरन्तर बढ़ते हुए उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी उपायों के सम्बन्ध में,
		9--निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई, जन वितरण प्रणाली की असफलता तथा आवश्यक वस्तुओं के अभाव को रोकने के संबंध में,
		10--नमक व मिट्टी के तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि तथा चोर बाजारी को रोकने के संबंध में,
		11--शारदा सहायक फीडर चैनल (इन्दिरा नहर) में सीपेज की समस्या के स्थायी निराकरण के संबंध में,
		12--समान काम के लिए समान वेतन दिये जाने के संबंध में,
		13--सरकारी व अर्ध सरकारी नौकरियों के किसी भी वर्ग में हरिजनों के आरक्षित कोटे के न पूरा होने के कारणों और पूरा करने के उपायों के सम्बन्ध में,
		14--आरक्षित पदों पर पदोन्नति संबंधी शासन के आदेशों के अनुपालन न किये जाने तथा उसका पालन सुनिश्चित करने के संबंध में,
		15--दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने तथा शिक्षा नीति में मौलिक परिवर्तन करने के संबंध में,

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16—खेत मजदूरों को शासन द्वारा निश्चित मजदूरी दिलाने के लिए स्थाई मशीनरी बनाने के संबंध में,
		17—बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के संबंध में,
		18—सीलिंग के प्राविधानों को कड़ाई से लागू करने के संबंध में,
		19—सीलिंग से प्राप्त तथा अन्य जमीनों को समयबद्ध व्यवस्था के अनुसार खेत मजदूरों तथा भूमिहीनों में बांट कर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में,
		20—साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स बनाने के सम्बन्ध में,
		21—ग्रामीण अंचलों में हरिजनों व निर्बल वर्गों पर निरन्तर बढ़ते हुए अत्याचार को रोकने के लिए निश्चित उपायों के सम्बन्ध में,
		22—हथकरघा व पावर करघों में प्रयोग किये जाने वाले सूत के दामों में बेतहाशा वृद्धि को रोकने तथा प्रदेश के लाखों बुनकरों की दशा को सुधारने के संबंध में,
		23—प्रदेश के अत्यन्त पिछड़े जिलों को विकसित करने हेतु समयबद्ध योजना के संबंध में,
		24—बाढ़ और सूखे की समस्या के स्थायी निदान के संबंध में जिससे प्रदेश में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की क्षति तथा लाखों कृषक परिवार प्रभावित होते हैं,
		25—उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने के संबंध में।
5	श्री सरदार सिंह, श्री कुशल पाल सिंह, श्री मुस्तमन्द अली खां तथा श्री लक्ष्मी नारायण	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया है :
		1—प्रदेश में किसानों को उनके उत्पादन का प्रोत्साहन मूल्य दिलाने तथा आलू व गेहूं का समर्थन मूल्य क्रमशः 60 रु0 व 200 रु0 प्रति कुन्तल निश्चित करने या केन्द्र से सिफारिश करने के संबंध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2--सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी तथा चुस्त बनाकर सस्ती दर पर उपभोक्ता वस्तुएं सुदूर ग्रामीण अंचल तक सुलभ कराने के संबंध में,
		3--31 अक्तूबर व नवम्बर, 1984 के प्रथम सप्ताह में प्रदेश में हुए दंगों से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में,
		4--किसानों के लिए खाद, बीज, बिजली, पानी तथा कीटनाशक औषधियों के दाम कम करने के संबंध में,
		5--प्रदेश में किसानों के साथ वसूली में हो रही प्रताड़ना संबंधी कार्यवाही को रोकने के संबंध में,
		6--जिला परिषदों एवं अन्य स्थानीय निकायों तथा सहकारी संस्थाओं के चुनाव अविलम्ब कराये जाने के संबंध में,
		7--एक निर्धारित अवधि तक सरकार द्वारा काम न देने पाने के उपरान्त बेरोजगार रहे व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में,
		8--मथुरा जनपद की खारी पानी की समस्या को समाप्त कर पीने व सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था करने के संबंध में,
		9--मथुरा जनपद के तीर्थ स्थानों व धार्मिक कुन्डों के जीर्णोद्धार के संबंध में,
		10--शेरगढ़, वृन्दावन व फरह में यमुना नदी पर पुल निर्मित कराने के संबंध में,
		11--तहसील मांट में एक शुगर मिल की स्थापना अविलम्ब करने के संबंध में,
		12--भक्त प्रवर महाकवि रसखान की समाधि को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के संबंध में,
		13--मथुरा जनपद में कोटवन, ओल, बिसावर, बरौली, बाजना, नसीरी, पचावर में पुलिस स्टेशन स्थापित करने व तहसील मांट में कोतवाली स्थापित करने के संबंध में,

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14--पवित्र कुन्ड पोतरा, क्षीरसागर, मानसी गंगा तथा यमुना नदी में जल प्रदूषण को रोकने के संबंध में, 15--मथुरा जनपद के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु जनपद में पेट्रोकेमिकल व फर्टिलाइजर व रिफाइनरी से संबंधित अन्य कारखाने खोलने के संबंध में, 16--जनपद में हाई कोर्ट स्थापित करने की सिफारिश करने के संबंध में, 17--जनपद के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु ग्रामीण अंचलों में पक्की सड़कों का जाल बिछाने व बिजली पानी पहुंचाने के संबंध में, 18--धार्मिक स्थलों की सफाई, पेयजल व्यवस्था व कानून व्यवस्था भी सुचारु करने के संबंध में, 19--प्राथमिक विद्यालयों की जीर्ण इमारतों के पुनः निर्माण तथा शिक्षा के सुधार के संबंध में, 20--माँट ब्रांच गंगा नहर मथुरा की सिंचन क्षमता दूनी करने के संबंध में, 21--मथुरा जनपद में जल निकास की समुचित व्यवस्था के संबंध में ।
6	श्री किशन लाल दिलेर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-- किन्तु खेद है कि श्री राजपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित घोषणायें नहीं की हैं-- 1--अलीगढ़ जनपद के तहसील कोल की निम्नलिखित सड़कों का निर्माण-- (अ) हरदुआगंज से जलाली मार्ग..... ब्लाक-भनीपुर। (ब) मडराक स्टेशन से एनैठी..... ब्लाक-धनीपुर। (स) एनैठी से साधु आश्रम..... ब्लाक-धनीपुर (द) अलीगढ़ छावनी से सहबाजपुर..... ब्लाक-धनीपुर।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(ग) अकबरपुर बड़ागांव से इगलास रोड..... (वाया कैथवारी) ब्लाक-लोधा ।
		(र) लोधा से बाढ़ौन रोड.....ब्लाक-लोधा ।
		2--ग्राम रहसपुर-बहरामपुर को सड़क से जोड़ना,
		3--ग्राम गुरू सिखरन के निकट लहरोई नाले के पुल का निर्माण,
		4--ग्राम रानेपर नाले के पुल का निर्माण ।
7	श्री किरनपाल सिंह	"प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :—
		1--किसानों की रबी की फसल को सूखने से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली व पानी की व्यवस्था किये जाने के संबंध में,
		2--गरीब जनता को सस्ता न्याय उपलब्ध कराने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना किये जाने की सिफारिश करने के संबंध में,
		3--प्रदेश के अन्दर बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई योजना प्रस्तावित करने के संबंध में,
		4--कमरतोड़ महंगाई को कम करन के लिए उपाय निकालने के संबंध में,
		5--बढ़ते हुए अपराधों का कम करने के लिए तथा मानव चरित्र को ऊंचा रखने के लिए पूर्ण शराब बन्दी की घोषणा करने के संबंध में,
		6--दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने के संबंध में,
		7--सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के संबंध में,
		8--जनपद बुलन्दशहर में अगौता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पिछले 8 वर्षों से प्रस्तावित शुगर मिल की स्थापना के संबंध में,
		9--कस्बा बी0 बी0 नगर, जनपद बुलन्दशहर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज को डिग्री कालेज किये जाने के संबंध में ।"

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
8	श्री रामसागर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय । "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :— 1—कृषि एवं गांव के विकास को प्राथमिकता दी जाय । 2—गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा महंगाई का पूर्णतः उन्मूलन किया जाय । 3—जनपद बाराबंकी के अधूरे मार्ग और उन पर पड़ने वाले सभी पुल-पुलिया बनाये जाय । 4—प्रदेश में इण्टरमीडिएट तक निःशुल्क शिक्षा तथा रामसनेही घाट तहसील मुख्यालय पर एक डिग्री कालेज की स्थापना । 5—आगामी गेहूं मड़ाई के लिए कृषकों को पर्याप्त विद्युत कनेक्शन एवं 24 घन्टे बिजली दी जायगी । 6—देवीगंज से बाराबंकी, हैदरगढ़ से बाराबंकी हैदरगढ़ से भिठरिया मार्गों पर पर्याप्त बसों की व्यवस्था कर दी जायेगी ।"
9	श्री भोपाल सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इन बातों का कोई उल्लेख नहीं किया :— 1—कि समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति तुरन्त लागू की जायेगी । 2—कि पी0 सी0 एस0 संवर्ग में हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों के पर्याप्त और कम से कम अनुपाती प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जायगा । 3—कि सबको समान और मुफ्त शिक्षा प्राइमरी से इण्टरमीडिएट तक दी जायेगी । 4—कि पब्लिक स्कूल प्रणाली समाप्त कर दी जायेगी । 5—कि समाज के गरीब और निर्बल वर्ग के लोगों को मात्र 2 रूपए रोज पर आवास दिए जायेंगे ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6—कि प्रदेश में किसानों को उनके उत्पादन का लागत भर मूल्य देना सुनिश्चित किया जायेगा और बाजार में कोई वस्तु उसके ड्योढ़े मूल्य से ज्यादा नहीं बेची जायेगी ।
		7—कि छोटे पत्रों के विकास के लिए एक पत्र वित्त निगम की स्थापना की जायेगी और पत्रकारों को सम्पूर्ण सेवा सुरक्षा दी जायेगी ।
		8—कि गांव की महिलाओं के लिए हर गांव में सुलभ शौचालय बनाये जायेंगे ।
		9—कि शिक्षा को रोजगार-परक बनाया जायेगा और हर शिक्षित व्यक्ति को रोजगार दिया जायेगा ।
		10—कि उद्योगों में कुटीर व लघु उद्योगों को 5 वर्ष करों से छूट दी जायेगी और उनकी स्थापना व प्रोत्साहन के लिए लघु उद्योग विकास निगम बनाया जायेगा ।
		11—कि किसानों को खाद, कीटनाशक, बिजली तथा पानी रियायती दर पर दी जायेगी और कृषि उपकरणों पर कोई कर देय नहीं होगा ।
		12—कि पश्चिमी जिले मेरठ में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ को एक निर्धारित अवधि में स्थापना करने की सिफारिश कर दी जायेगी ।
		13—कि जिला मेरठ के हिण्डन-कृष्णी दोआबा क्षेत्र चौगामा में जहां कि भूजल स्तर 80 फुट से भी अधिक गहरा हो जाने के कारण मरूस्थल बन रहा है गंगा नहर से पानी लेकर नहर निकाली जायेगी ।
		14—कि जिला मेरठ के हिण्डन-कृष्णी दोआबा क्षेत्र चौगामा में जहां कि भूजल स्तर 80 फुट से भी अधिक गहरा हो गया है पेय जल की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु प्रत्येक ग्राम में टैप-वाटर उपलब्ध कराया जायगा ।"
10	श्री राम आसरे	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल नें अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का जिक्र नहीं किया :— 1—हाल के सामान्य निर्वाचन में पद के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं की बेजोड़ मिसालें प्रस्तुत की गयी हैं ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2--प्रदेश को विकास की समुचित दिशा देने में शासन अक्षम साबित हुआ है ।
		3--हरिजनों, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय देने में शासन विफल रहा है ।
		4--जनपद हरदोई के पिछड़ेपन को दूर करने तथा मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा नदी के कटान को रोकने के कोई उपाय नहीं किए गए हैं ।
		5--मल्लावां क्षेत्र में विगत कई वर्षों से प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल की स्थापना में टाल-मटोल की जा रही है ।
		6--जनपद हरदोई के गन्ना कृषकों का कई वर्षों का पुराना भुगतान नहीं किया गया है ।
		7--मल्लावां क्षेत्र में उच्च शिक्षा की व्यवस्था को नकारा गया है ।
		8--मल्लावां क्षेत्र के बुनकरों की दयनीय स्थिति पर शासन द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।
		9--सूती मिल सण्डीला को भ्रष्ट अधिकारियों से मुक्त नहीं किया गया है ।
		10--प्रताप नगर-माधोगंज मार्ग के जीर्णोद्धार एवं गंगा घाट तक उनके विस्तार की कोई रूपरेखा नहीं बनायी गयी ।
		11--प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के नाम पर लूट-खसोट कायम है ।
		12--स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से हरिजनों को समुचित लाभ नहीं पहुचाया जा सका है ।
		13--जनपद हरदोई के विलग्राम रजबहा को, राजनीतिक विरोध के कारण पानी से वंचित रखा गया है ।
		14--जनपद हरदोई की कुरसठ, मल्लावां एवं माधोगंज टाउन एरियाओं के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष अनुदान नहीं दिये गये हैं ।
		15--बेरोजगार शिक्षित एवं अशिक्षित युवकों को रोजगार देने के ठोस कदम नहीं उठाये हैं ।"

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
11	श्री रणजीत	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न बातें नहीं कही हैं :— 1—पूर्वी जिलों के विकास करने की योजना । 2—देवरिया जिले को अभावग्रस्त जनपद घोषित करना । 3—बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने का आश्वासन । 4—कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य की घोषणा । 5—महंगाई और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात । 6—कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की योजना । 7—छोटी गण्डक के किनारे पर बसे ग्राम बलुअही व शाहजहांपुर (विकास क्षेत्र) देशही देवरिया जो हमेशा नदी के धार में चले जाते हैं । 8—ग्राम महुआडीह से हैतिमपुर करीब 15 किमी0 मार्ग को पिच रोड कराने की बात । 9—विकास क्षेत्र गौरीबाजार व बैतालपुर ब्लाक के औद्योगीकरण करने की बात । 10—देशही विकास योजना में लघु उद्योग के स्थापना की बात । 11—गौरी बाजार निर्वाचन क्षेत्र म बड़े गांव को जोड़ने का काम ।"
12	श्री बदन सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है : 1—शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने हेतु शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जायगा । 2—राजस्थान का रेगिस्तान उत्तर प्रदेश सीमा की ओर निरन्तर बढ़ता हुआ चला आ रहा है, इसको रोकने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किसी योजना,

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3—गंगा के प्रदूषण की भांति ही प्रदेश में यमुना नदी में भी भारी प्रदूषण से आगरा स्थित संसार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत ताजमहल के ऊपर इस प्रदूषण का कुप्रभाव बराबर पड़ने के संबंध में,
		4—प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले आगरा, मथुरा, अलीगढ़ आदि में खारी जल का बाहुल्य है और वहां के नागरिकों को पेयजल प्राप्त होने के लिए तथा इस खारी जल के निवारणार्थ योजना आरम्भ करने के सम्बन्ध में,
		5—जिला आगरा की तहसील किरावली में स्थित खारी नदी के ऊपर चंकोरा के घाट पर पुल निर्माण के बारे में,
		6—जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में कृषि सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाने तथा बंधी बनवाने के बारे में,
		7—प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगार एक करोड़ 80 लाख नवयुवकों को काम देने के लिए कोई योजना के सम्बन्ध में"
13	श्री हरिशचन्द्र (हरीश जी)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायें :—
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न घोषणायें नहीं की :—
		1—कि गेहूं और अन्य फसलों की सिंचाई के सभी नलकूपों और सिंचाई के अन्य साधनों को तत्काल सक्रिय कर दिया जायेगा,
		2—कि बांध, सड़क और अन्य सरकारी निर्माण हेतु अध्याप्त की गई सभी जमीनों के मुआवजों का शीघ्र भुगतान किया जायेगा,
		3—कि प्रदेश की सम्पूर्ण आबादी को एक वर्ष के अन्दर पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा,
		4—कि प्रदेश की सम्पूर्ण आबादी में एक वर्ष के अन्दर बिजली का बिस्तार कर दिया जायेगा,
		5—कि बस्ती जिला के बांसी तहसील में स्थित चंवरताल के पानी की निकासी के लिए फजिल्हतवा नाला की खोदाई करके ताल का पानी बूढ़ी राप्ती नदी में गिराया जायेगा,

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6--कि बांसी तहसील में स्थित कौवाताल में गिरने वाले नाले का मुंह बन्द करके पुराने नाले की खोदाई करके सम्पूर्ण पानी को राप्ती नदी में गिराया जायेगा,
		7--कि उ0 प्र0 में जहां नदियों में कटाव हो रहा है वहां वर्षा शुरू होने के पूर्व पक्के ठोकर लगाये जायेंगे,
		8--कि बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत चलने वाले सभी विद्यालयों के भवनों का वस्तुस्थिति के अनुसार निर्माण तथा मरम्मत करवाया जायेगा,
		9--कि किसानों को गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान इसी वर्ष में ब्याज सहित किया जायेगा,
		10--कि बांसी स्थित सरकारी चिकित्सालय को अपग्रेड करके 100 शय्याओं का कर दिया जायेगा,
		11--कि प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर राजकीय कन्या पाठशालाएं खोली जायेंगी,
		12--कि बांध तथा सड़कों के निर्माण के कारण जिन क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है उन क्षेत्रों से जल निकासी का प्रबन्ध किया जायेगा,
		13--कि बस्ती जिले को दो जिलों में विभाजित किया जायेगा,
		14--कि बस्ती जिले के उत्तराखण्ड की गरीबी को देखते हुए लोगों को रोजी देने हेतु बांसी तहसील में कारखाने खोले जायेंगे,
		15--कि पुलिस आयोग की सिफारिशों का विशेष रूप से पुलिस कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में शीघ्र लागू किया जाएगा,
		16--कि शीघ्र रोजगार गारण्टी योजना लागू की जाएगी,
		17--कि सभी प्रकार की फसलों और पशुओं के लिए बीमा योजना लागू किया जाएगा,
		18--कि बाढ़ से रोक-थाम के लिए नदियों के उद्गम स्थल पर डैम बनाये जायेंगे

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		19--कि मछली पालन मछली निकालन, नौका संचालन, जल परिवहन, बालू निकालने के कार्यों में निषाद वर्ग एवं उनकी सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी,
		20--कि कृषि के प्रयोग में आने वाले यंत्रों, खादों, कीटनाशक दवाओं, बीज, पानी का मूल्य घटाया जाएगा,
		11--कि हरिजन एवं दुर्बल वर्ग के नाम आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाया जाएगा,
		22--कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण जिन ग्रामों के चारों ओर पानी का जमाव हो जाता है उन ग्रामों के चारों ओर मिट्टी का कटाव कराया जाएगा तथा उनके निकास के लिए प्रबन्ध किया जायेगा,
14	श्री देवेन्द्रकुमार सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के सम्बंध में शासन की नीति की स्पष्ट घोषणा नहीं की जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिये बनों को सुरक्षित रखना व वनों का लगाना इसके महत्व को जनता को बताने के लिए देश और विदेश के वैज्ञानिकों ने 5 जून, 1984 को पर्यावरण दिवस भी मनाया था जिनमें वह दिखाया गया है कि एक हेक्टेयर वन प्रति औसतन 3 मीट्रिक टन अशुद्ध वायु जिसे कार्बन डाइआक्साइड कहते हैं, ग्रहण कर सूर्य के प्रकाश में 2 मैट्रिक टन आक्सीजन, जिसे प्राण वायु कहते हैं तथा खाद्य पदार्थ, कार्बोहाईडेट व स्टार्च प्रदान करते हैं।

परिस्थिति का सन्तुलन एवं राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल के एक तिहाई भू-भाग वनों से आच्छादित होना चाहिये परन्तु उ0प्र0 में 17.4 प्रतिशत वन हैं। प्राकृतिक निधियों जैसे वायु, जल, मृदावन, पेट्रोलियम, कोयला, खनिज पदार्थों का अन्धाधुन्ध, अविवेक पूर्ण अव-शोषण व उपयोग सम्पूर्ण जीव जगत के लिए विनाशकारी कदम है। हमारे समस्त जल स्रोत जैसे नदियां, तालाब, झील, कुएं सभी प्रदूषित होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप जलचर प्राणियों एवं वनस्पतियों की मृत्यु होती जा रही है। पेड़ पौधों के अनियंत्रित एवं भारी पैमाने पर कटान के कारण शुद्ध वायु का उत्पादन कम हो गया है परिणाम-स्वरूप वातावरण में अशुद्ध वायु की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हो रही है। कोयला, डीजल, पेट्रोल के जलने, जीव जंतुओं को स्वतन्त्र किया कूड़ा करकट, मृत जीवों के सड़ने से

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		कार्बन डाईआक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड, सल्फर डाई आक्साईड आदि विषैली एवं हानिकारक गैस उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित कर देती है । इन सब बातों को रोकने के लिए शासन ने अब तक कितने क्षेत्रफल में पेड़ लगाये हैं और वह किस प्रतिशत तक सफल है यह आंकड़े जानना आवश्यक है । साथ ही वनों का हर वर्ष नाजायज कटान होता जा रहा है जिसको कोई रोकथाम नहीं है । पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए यह आवश्यक है कि उक्त पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय, इसका सही चित्रांकन आवश्यक होगा और तदनुसार वैसी ही कार्यवाही शासन को प्रदूषण को रोकने हेतु करनी पड़ेगी । विभागीय या शासन स्तर पर होती जा रही ढिलाई पर बुद्धिजीवियों की कोई समिति के गठन एवं उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में, अब तक जो भूमि में जंगल लगाये गये हैं करोड़ों रुपयों का व्यय किया गया है किन्तु वह सफलता के नाम पर केवल 5 प्रतिशत है ।
15	श्री औसान सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में घोषणाएं नहीं कीं :— 1--क्षेत्र विधुना जनपद इटावा में हजारों एकड़ रकबा जल-प्लावन से बंजर हो गया है । विगत 5 वर्षों के अन्दर कृषि योग्य भूमि में हाथी चारा (जंगली घास) पैदा हो गया है और सिंचाई विभाग की उदासीनता, अक्षमता एवं अव्यवस्था के कारण माइनरों व राजबहों ने नाले का रूप ले लिया है । बांध मऊ-शंकरपुर कसहरी, सिरयावा, कैथावां, हरदू, पृथ्वीपुर, नुनारी, धुपकरी, उपरोला, मीरपुर, भग्गापुरवा, पुरा किचहईया, गोपालपुर, जीवा सरसनी, दीपपुर अटठेसी आदि हजारों ग्राम भुजमरी के कगार पर पहुंच गये हैं, के सम्बन्ध में पानी निकासी एवं सिंचाई विभाग की दशा सुधारी जायगी । 2--क्षेत्र विधुना (जनपद इटावा) की हजारों एकड़ भूमि जो विगत 38 वर्षों से प्यासी है, में अशोकपुरी माइनर, बरहा माइनर, डगरुआपुर माइनर, ताजपुर माइनर, कचनपुरवा माइनर व ट्यूबवैल बनवाने एवं विद्युतीकरण किया जायगा ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3--क्षेत्र विधूना जनपद इटावा में कई उपयोगी मार्ग, जैसे दिवियापुर-इंदरपुर, विधूना-सहारा, विधूना-दिनवा-मऊ, याकूबपुर सहाय, सहार जलालपुर याकूबपुर, केला मउहूं, कंथावा-महू, अछलदा-अटसू, अछल्दा-महेवा, अछलदा-मोहम्मदाबाद, अछलदा-बाहरपुर मार्ग अधूरे पड़े हैं, इन्हें पक्का कराया जायगा ।
16	श्री सत्य प्रकाश विकल	प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये : "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई घोषणाएं नहीं कीं :-- 1--प्रदेश में विद्युत के गम्भीर संकट के कारण विद्युत कटौती की गई है इससे जनजीवन त्रस्त है व उद्योग व्यापार चौपट हो रहे हैं। कटौती के अलावा भी बिजली नियमित रूप से नहीं मिलती है । सरकार इस दिशा में पूर्ण प्रयास करेगी कि इस संकट को हल करके विद्युत आपूर्ति की निरन्तरता बनी रहे । 2--पिछले कई वर्षों से आगरा के नागरिक दूषित, गंदा एवं कीड़ेयुक्त जल पीने के लिए बाध्य हैं। आगरा का जल संस्थान किन्हीं कारणों से नगर को जनता को पूरी मात्रा में और शुद्ध जल दे पाने में पूर्णतया असफल है । सरकार आगरा की पेयजल समस्या को हल करने के लिए जो कुछ भी किया जाना आवश्यक होगा, उसके लिए सभी प्रकार के कदम उठायेगी । 3--स्थानीय निकायों के चुनाव अनेक वर्षों से न हो पाने के कारण सड़क, सफाई, बिजली, पानी की कमी, आदि की जो गंभीर स्थिति प्रदेश में है, उसे दूर करने के लिए स्थानीय निकायों व महापालिकाओं के चुनाव तीन माह में करा दिये जायेंगे ताकि निर्वाचित जन-प्रतिनिधि इस दिशा में कार्य कर सकें । 4--प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति के कारण जनजीवन में आतंक, असुरक्षा एवं भय का जो वातावरण है उसमें सुधार लाने व पुलिस प्रशासन को चुस्त एवं दुरुस्त बनाने के लिए प्रभावी एवं आवश्यक कदम उठाये जायेंगे ।"

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
17	श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री मयंकर सिंह, श्री किशन लाल बिलेर तथा श्री सूर्य प्रताप शाही	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1--हाल में ही सम्पन्न हुए विधान सभा चुनावों में सम्पूर्ण प्रदेश में भारी पैमाने पर की गई बांधली, गुन्डागर्दी तथा इस हेतु असामाजिक तत्वों को दिये गये खुले प्रश्रय तथा चुनाव के दौरान हुई हिंसक घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी जनों को दंडित करने की कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है । 2--सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में आई हुई अपराधों की भयंकर बाढ़ को रोकने, दिल दहला देने वाले नर संहारों, सामूहिक बलात्कारों, सरेआम बाजारों में होने वाली लूटपाट, राहजनी और वीभत्स डकैती-कान्डों से प्रदेश की जनता को छुटकारा दिलाने तथा व्याप्त अराजकता की स्थिति से प्रदेश को उबारने हेतु कोई तात्कालिक प्रभावी कदम उठाने की घोषणा नहीं की है । 3--सम्पूर्ण प्रदेश की जर्जर विद्युत व्यवस्था को सुधारने, विद्युत उत्पादन बढ़ाने, किसानों की सूखती फसलों की सिंचाई हेतु सस्ते रेट पर बिजली और पानी सुलभ कराने, विद्युत विभाग में भारी पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, अव्यवस्था को दूर करने, प्रदेश के वर्तमान "विद्युत बोर्ड" को समाप्त करने, विद्युत विभाग द्वारा जारी फर्जी बिलों की अदायगी रोकने तथा मिनिमम चार्ज के नाम पर की जाने वाले उपभोक्ताओं की लूट को समाप्त करने हेतु "जितनी बिजली उतना दाम" का आम नियम लागू करने की घोषणा नहीं की है । 4--प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 'रोजगार गारन्टी योजना' लागू करने तथा उन्हें बेरोजगारी-भत्ता देने की घोषणा नहीं की है । 5--प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के सत्र नियमित कराने, समय से परीक्षायें सम्पन्न कराकर परीक्षाफल घोषित कराने, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघों के नियमित चुनाव कराने तथा उ0 प्र0 बोर्ड आफ हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट द्वारा 1984 में सम्पन्न परीक्षाओं के अब तक अघोषित परीक्षाफलों को तत्काल घोषित कराने एवं ऐसे लगभग एक लाख

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कराने वाले दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर दंडित कराने की घोषणा नहीं की है । 6—प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जारी विकास कार्यों एवं ऋण वितरण योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण होने वाली जन-धन की लूट को समाप्त करने के लिए उठाये जाने वाले उपायों की घोषणा नहीं की है । 7—विभिन्न प्रकार के करों के बोझ से जनता को राहत पहुंचाने के लिए कर ढांचे का सरलीकरण करने, बिक्री कर, चुंगी एवं अनिवार्य जल-कर समाप्त करने तथा प्रदेश के व्यापार की प्रगति हेतु लाइसेन्सों और इंसपेक्टरों के राज को कम कर "लाइसेंसी का राज हटाओ, दिन दूना व्यापार बढ़ाओ" की भावना साकार करने की कोई घोषणा नहीं की है ।"
18	श्री सूर्यप्रताप शाही	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में जनहित के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कोई संकेत नहीं है :— 1—बाढ़ की विभीषिका और विनाशलीला का स्थायी हल ढूंढने के सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में बाढ़ के पानी को संजोकर उसका उपयोग विद्युत उत्पादन और सिंचाई कार्य में लाने की घोषणा की जाय, जिससे करोड़ों रुपये के वार्षिक जन-धन के क्षति को रोका जा सके । 2—चुनाव आयोग से मतदाताओं को फोटो सहित परिचय पत्र देने की सिफारिश किया जाना । 3—देवरिया जिले के पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए भारी उद्योग की स्थापना, 4—आलू का वर्तमान खरीद मूल्य 100 रुपये प्रति कुन्टल किये जाने के सम्बन्ध में, 5—आलू तथा खाद्यान्न के उचित भण्डारण की योजना जिसके लिए पर्याप्त वेयरहाउसेस और शीतगृहों का निर्माण किया जाना जनहित में आवश्यक है । 6—जिला परिषद एवं स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा ।"

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
19	श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-- 1--पूर्वी जिलों के सम्पूर्ण विकास की योजना। 2--पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अन्य जनपदों से अतिरिक्त धन की व्यवस्था। 3--इन्टरमीडिएट तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। 4--शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देना। 5--सभी शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार की गारन्टी देना। 6--गरीब, धनी, अधिकारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर एवं व्यापारी सभी वर्ग के लोगों के बच्चों को एक समान शिक्षा की व्यवस्था। 7--बलिया जनपद के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के लकड़ा, अवरा, बहेरा तथा अन्य सैकड़ों छोटी-छोटी ड्रेनों की खुदाई करने एवं उन पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में। 8--बलिया जनपद में घाघरा एवं गंगा के कटाव को रोकने के सम्बन्ध में। 9--चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के 15 विधान सभा क्षेत्र खजूरी, हथौड़ा सड़क से ग्राम लेदुही तक सड़क अभी तक न बनने के सम्बन्ध में। 10--बलिया जनपद में गन्ना की खेती के विकास के लिए समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में। 11--बलिया जनपद को बाढ़ से बचाने के सम्बन्ध में। 12--बलिया जनपद में जल निकासी की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में। 13--प्रदेश में बढ़ती हुई घूसखोरी और चोरबाजारी को रोकने के सम्बन्ध में।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14--बलिया जनपद में भ्रष्ट पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों में बढ़ती हुयी रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करने के सम्बन्ध में ।
		15--प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के सम्बन्ध में ।
		16--बलिया जनपद के ग्रामों में विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में ।
		17--बलिया जनपद के किसानों को समय से नहर का पानी न मिलने के कारण उनकी फसल को पहुंचे नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में ।
		18--किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खाद का दाम कम करने के सम्बन्ध में।
		19--बलिया जनपद के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण एवं मरम्मत के सम्बन्ध में ।
		20--बांसडीह विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला के भवन के निर्माण एवं मरम्मत के संबन्ध में ।
		21--बांसडीह विधान सभा के अन्तर्गत घाघरा नदी में हो रहे कटान के स्थल पर अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुचित कार्यों की जांच के सम्बन्ध में ।
		22--बलिया जनपद के चिलकहर, रसड़ा सड़कों से चौकारी उचेज, नफोपुर मार्ग के बनने के सम्बन्ध में ।
		23--बलिया जनपद के नगरा ब्लाक के ग्राम पड़री में प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में ।
		24--पूरे प्रदेश को बाढ़ से बचाने के लिए मास्टर प्लान के सम्बन्ध में ।
		25--गन्ना के उत्पादन लागत बढ़ने के बावजूद गन्ने के मूल्य की बढ़ोत्तरी की सिफारिश के सम्बन्ध में ।
		26--प्राइमरी स्तर के सभी बच्चों के लिए एक जैसा स्कूल हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क हो, अगले 10 सालों के लिए विश्वविद्यालयों में कला व विधि की पढ़ाई बन्द की जाय और केवल विज्ञान व प्राविधिक शिक्षा की पढ़ाई चले ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		27—सात सालों में सभी खेतों को पानी देने की योजना बने और उसका कार्यान्वयन हो ।
		28—प्रदेश की 2/3 आबादी गरीबी में आकंठ डूबी है और उसकी रोटी, कपड़ा, आवास, पढ़ाई और दवाई की उपलब्धि में गिरावट आयी है ।
		29—सरकार की कोई आय नीति न होने और सरकारी क्रय केन्द्रों के न खोले जाने के कारण आलू उत्पादकों को 20 रुपया प्रति कुन्टल दाम मिलना भी मुश्किल है जिसमें किसानों में हाहाकार है ।
		30—महंगाई और बेकारी में नित्य नई वृद्धि होने के कारण गृहस्थियां व समाज टूट रहे हैं ।
		31—अपने नागरिकों के जान-माल व आबरू बचाने का अपना प्राथमिक कर्तव्य भी कांग्रेस (आई) सरकार पूरा नहीं कर पा रही है ।
		32—गांव व शहर समान रूप से गन्दगी व गंध से भर गये हैं और प्रदेश वासियों पर मच्छर और खटमल की मार है ।"
20	श्री हर्ष वर्धन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—
		"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है—
		1—बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा ।
		2—पब्लिक स्कूलों को समाप्त कर सबके लिए समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की घोषणा ।
		3—चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान समय से नियमानुसार करने और विलम्ब की दशा में कृषक को सूद दिए जाने तथा मिलों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना ।
		4—मंगल देव विशारद समिति द्वारा इंगित फार्मों व अतिरिक्त भूमि पर प्रभावी कार्यवाही न करना तथा न्यायालयों में लंबित मामलों में सरकार द्वारा जानबूझ कर उदासीनता बरतना ।
		5—वन-टांगिया श्रमिकों को विस्थापित होने से बचाने की घोषणा एवं उन्हें समुचित वैधानिक सुविधा दिया जाना ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6--सामान्य एवं पुलिस प्रशासन में एक ही स्थान पर व्यक्ति विशेष को सत्ताधारी दल की सुविधानुसार अत्यधिक समय तक रोके रखना तथा मनमानी तरीके से स्थानान्तरण करने व रोकने का उल्लेख।"
21	श्री जनार्दन प्रसाद ओझा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया है :--
		1--पूर्वान्चल के विकास के लिए निश्चित योजनाओं की घोषणा और आर्थिक दृष्टि से इसे अन्य जिलों के समान करने के लिए अतिरिक्त धन देने की बात।
		2--शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की घोषणा।
		3--पूर्वान्चल में गन्ना किसानों को उन्नत किस्म के बीज देने के लिए रिसर्च सेन्टर की स्थापना।
		4--पूर्वी जिलों में कच्चे माल को देखते हुए वन सम्पत्ति और गन्ना पर आधारित नये उद्योगों की स्थापना।
		5--प्रदेश में हरिजनों और कमजोर वर्ग के लिए आवासीय भूमि का कब्जा न दिया जाना।
		6--प्रदेश में व्याप्त नौकरशाही और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना।
		7--छोटी गंडक योजना का कार्यान्वयन तथा गोरखपुर-देवरिया की सीमा पर वालादा घाट और विश्वनाथपुर घाट पर पुल बनाया जाना।
		8--गोरखपुर से परतावल, गोरखपुर से पिपराइच, परतावल से पकड़ी विशुनपुर होते हुए निचलौल तक मेटल्ड रोड का निर्माण करना।
		9--भिटौली-कमता तथा गोहनी-कमता की अधूरी सड़क का निर्माण।
		10--धुघली, परतावल महराजगंज में वनों पर आधारित दियासलाई, कागज या फर्नीचर उद्योग की स्थापना।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11—धुधली और पटावल ब्लाक से जाता हुआ मौन नाला का नियन्त्रण जिसके पानी के फैलाव व बरसात में दर्जनों गांव डूब जाने के सम्बन्ध में ।
		12—प्रशिक्षित बेरोजगारों को ऋण देने की बात ।
		13—रोजगार परक शिक्षा नीति की घोषणा ।
		14—जनजीवन में व्याप्त असंतोष, असुरक्षा एवं पूरे प्रदेश में व्याप्त अव्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन का पुनर्गठन ।
		15—प्रजातांत्रिक संस्थाओं का तत्काल चुनाव कराये जाने की बात ।
		16—ग्राम सभाओं (ग्राम प्रधानों) को प्रशासनिक अधिकार व क्षेत्र समितियों को अधिक गतिशील बनाया जाना ।
		17—प्रदेश में व्याप्त श्रमिक जगत में असंतोष के निवारण के लिए किसी ठोस निर्देश का न देना ।
		18—मोदी नगर (गाजियाबाद) सिसवां और धुधली (गोरखपुर) के मजदूरों के सम्बन्ध में कोई आश्वासन ।"
22	श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री लक्ष्मी नारायण	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया— 1—कि उत्तर प्रदेश में गंगा प्रदूषण के निवारण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जाएंगे और उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) परिषद् को और भी प्रभावी बनाया जाएगा । 2—कि राज्य में शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाएगा अथवा उत्पादन उन्मुख व्यवसाय करने हेतु सरकारी अनुदान दिया जाएगा । 3—कि प्रदेश में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करायी जायगी । 4—कि महंगाई को रोकने के लिए संतुलित मूल्य नीति निर्धारित की जाएगी ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5--कि उत्पादन उन्मुख शिक्षा नीति बनाए जाने की घोषणा की जाएगी ।
		6--कि नकल को रोकने के लिए खुली किताब परीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी और सम्प्रति परीक्षा प्रणाली तत्काल समाप्त की जाएगी । यह परीक्षा प्रणाली हाई स्कूल से उच्च शिक्षा तक प्रभावी होगी ।
		7--कि स्वायत्तशासी संस्थाओं के तत्काल चुनाव कराए जायेंगे ।
		8--कि प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे ।
		9--कि प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा ।
		10--कि काशी विद्यापीठ, वाराणसी में खुले नए विभागों को मान्यता दिलाने तथा नुदान दिलाने का निर्णय लिया जाएगा ।
		11--कि कृषि भूमि को शहरी सीलिंग से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।"
23	श्री कमाल यूसूफ मलिक तथा श्री माता प्रसाद पान्डेय	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में--
		1--राजभवन से चोरी के मामले में उच्चस्तरीय जांच समिति गठन करने का उल्लेख नहीं है ।
		2--सरकारी साधनों के दुरुपयोग, खुलेआम गुण्डा-गर्दी, बूथ कैपचरिंग के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है ।
		3--बस्ती जनपद इस प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, गरीबी और पिछड़ेपन का बुरी तरह से शिकार है । बस्ती जनपद के बहुमुखी विकास तथा फैक्ट्री आदि की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
		4--समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण के गठन का कोई उल्लेख नहीं है ।
		5--पूर्वी उत्तर प्रदेश का जनपद बस्ती प्रत्येक वर्ष बाढ़ से तबाह होता जा रहा है । बाढ़ से निपटने के लिए कोई स्थायी हल की घोषणा नहीं की गयी है ।

क्र0स0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6--डुमरियागंज तहसील बस्ती जनपद की सबसे बड़ी और अत्यधिक पिछड़ी तहसील है। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
		7--बढ़नी गन्ना सोसाइटी जिसमें लाखों रुपये का घोटाला गोलमाल है, शासन की जानकारी के बावजूद उसे तोड़कर नई गन्ना समिति इटवा में स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
		8--जनपद के उत्तरी अंचल में एक गन्ना मिल की अत्यन्त आवश्यकता है उसे स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
		9--डुमरियागंज की बाढ़ से निपटने के लिए किसी ठोस कार्यक्रम जैसे बाढ़ से घिरे हुए सभी गांवों को मिट्टी पाटकर ऊंचा करने तथा राप्ती नदी के दोनों किनारों पर एक साथ बन्धा बांधने का उल्लेख नहीं किया गया है।
		10--उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा सरकार के बार-बार आश्वासन देने के बाद भी दूसरी भाषा बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
		11--डुमरियागंज तहसील में शासन द्वारा इस बात के औचित्य प्रतीत होने के बावजूद भी मुन्सिफ अदालत की स्थापना की अभी तक घोषणा नहीं की गई है।
		12--1977 की जनता सरकार और 1979-80 में लोकदल सरकार द्वारा किए गये तमाम निर्माण कार्यों जो डुमरियागंज क्षेत्र में अधूरे हैं, उन्हें पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है।
		13--शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चस्तर शिक्षा क्षेत्र में तेजी से आ रही गिरावट और उसके समाधान का कोई उल्लेख नहीं है।
		14--डुमरियागंज तहसील के उत्तरी भाग में अधिकांश तबाही बाढ़ से होती है और ऐसे पूरे तहसील में कुल 500 गांव हैं। ऐसे प्रत्येक गांव को सरकार द्वारा एक नाव मुफ्त देने की कोई घोषणा नहीं की गई है।
		15--गन्ने का मूल्य वाजिब नहीं है, इसे बढ़ाने की सिफारिश का कोई उल्लेख नहीं है।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16--किसानों द्वारा पैदा किया हुआ खाद्यान्न का लागत के हिसाब से स्वयं मूल्य निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गई है ।
		17--बढ़ती हुई कमरतोड़ महंगाई, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, पुलिस जुर्म से निपटने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है ।
		18--इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों के जान-माल की सुरक्षा के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया गया है ।
24	श्री सत्य पाल सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न तथ्यों के विषय में कोई भी उल्लेख नहीं किया है--
		(1) प्रदेश में विद्युत दुर्व्यवस्था से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में जबकि गेहूं की मड़ाई एवं विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं,
		(2) प्रदेश में पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देने हेतु बी0 पी0 मन्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में,
		(3) प्रदेश में बढ़ती हुई कमरतोड़ महंगाई से आम आदमी के जीवन को खुशहाल बनाने के सम्बन्ध में ।
		(4) प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून एवं व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में,
		(5) हाल में हुए संसद एवं विधान सभाओं के चुनाव में प्रदेश में की गयी गड़बड़ी एवं बल प्रयोग के सम्बन्ध में,
		(6) प्रदेश के पुलिस कर्मियों को अनुशासित करके उनके काम के घंटों को तय करने तथा अच्छा वेतन व सुविधायें देने के सम्बन्ध में,
		(7) नौकरशाही को लोकतन्त्रिक पद्धति द्वारा काबू में लाने के सम्बन्ध में,
		(8) जिला शाहजहांपुर में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हेतु कोई उद्योग खोलने के सम्बन्ध में,

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(9) जिला शाहजहांपुर में शिक्षा का स्तर उठाने हेतु कस्बा तिलहर में लड़कियों के लिए इन्टर कालेज तथा कस्बा कटरा में लड़कियों के लिए हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में,
		(10) जिला शाहजहांपुर में बहबुल नदी पर ग्राम जैतीपुर, ग्राम बुधवाना तथा कोला घाट पर पक्के पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में जिससे जिले के सभी हिस्से बरसात में भी मुख्यालय से जुड़े रहें,
		(11) शाहजहांपुर जिला के ग्राम परौर गढ़िया रंगीन तथा जैतीपुर में राजकीय हाई स्कूल शीघ्र खोलने के सम्बन्ध में,
		(12) ग्राम जल्लापुर से खडहर तक मार्ग को शीघ्रातिशीघ्र पक्का कराने के सम्बन्ध में,
		(13) ग्राम गढ़िया रंगीन, उमौरा, बरुआ तथा शिवरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में,
		(14) ग्राम गढ़िया रंगीन महतापुर तथा बरुआ में पुलिस चौकियों को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		(15) प्रदेश के उन समस्त मुख्यालयों पर अधिकारियों को भेजने एवं न्यायालयों का कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में जहां भवनों का निर्माण हो चुका है।
25	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राजपाल ने अपने अभिभाषण में— 1—बुढ़वल व बाराबंकी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का लगभग 50 लाख रुपया शेष है, जिसके भुगतान की सरकार ने अब तक कोई व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है। 2—बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत कस्बा जैदपुर जिसकी आबादी 25000 से अधिक है, में कोई हायर सेकेन्डरी स्कूल सरकार की ओर से चालू किये जाने का उल्लेख नहीं है।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3--बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत हजारों एकड़ जमीन शारदा सहायक परियोजना की नहरों के जल रिसाव से लगभग 10 वर्षों से बेकार पड़ी हुई है। किसान भूखों मर रहे हैं, सरकार ने अब तक किसानों को क्षतिपूर्ति देने तथा जल रिसाव के नियंत्रण की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है।
		4--गेहूं का समर्थन मूल्य अब तक न घोषित होने के कारण किसानों में असंतोष फैल रहा है। आलू किसान न तो अपना आलू शीतगृहों में रखने की जगह पा रहा है और न सरकार खरीद ही रही है। परिणामतः आलू किसान को बरबादी से बचाने का उल्लेख नहीं है।
26	श्री विजय सिंह राणा तथा श्रीमती सरोज वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है--
		1--प्रदेश की सत्तासीन सरकार ने अनैतिक, अवैधानिक और अवांछनीय साधनों को सहारा देकर जिस ढंग से सत्ता प्राप्त की है उससे सभी लोकतान्त्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों को ही नहीं बल्कि शाश्वत जीवन मूल्यों के सामने एक गम्भीर प्रश्नवाचक चिह्न खड़ा हो गया है। कालेधन को चुनाव का माध्यम बनाकर गुन्डागर्दी, अतंकवाद को सहारा देकर, जो परम्परा डाली गई है, उससे देश की वर्तमान प्रजातन्त्रीय शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में एक आशंका पैदा हो गई है।
		2--प्रदेश में किसान की स्थिति अत्यधिक दयनीय होती जा रही है। विगत 5 वर्षों में किसान के खरीदने की वस्तुओं के दाम 6 गुने से लेकर 10 गुने तक बढ़े हैं और उसके बेचने वाली चीजों के दाम जहां के तहां स्थिर हैं। यदि वह बढ़े भी हैं तो नहीं के बराबर। इस स्थिति में किसान जनता की क्रय शक्ति पूर्णतः ध्वस्त हो गई है। आज कोई किसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने या अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की स्थिति में नहीं रह गया है। गेहूं, आलू, धान और गन्ना के मूल्य जिस प्रकार से गिरे हैं, उससे किसान जनता का आर्थिक ढांचा चरमराकर टूट गया है।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3—प्रदेश में नवयुवकों के बीच निरन्तर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उससे नवजवानों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। पढ़े लिखे नवयुवक पीठ से डिग्रियां बांधे सड़क पर जूते घिस रहे हैं किन्तु उन्हें कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण आर्थिक स्थिति ने नवयुवकों की स्वर्णिम जीवन बेला में विष घोल दिया है।
		4—प्रदेश में गुन्डागर्दी, चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार, आगजनी और उत्पात इस प्रकार बढ़ रहे हैं कि कानून और व्यवस्था के सामने एक गम्भीर चुनौती आकर खड़ी हो गई है। इस स्थिति के सामने समाज निरीह और असहाय होकर खड़ा है। पुलिस तथा प्रशासन जिस पर इस स्थिति से निपटने का दायित्व सौंपा गया है वह स्वयं बेबस हो रहे हैं। यही नहीं उन्होंने इस स्थिति से बचने के लिए स्वयं अनैतिक शक्तियों के साथ समझौता कर लिया है।
		5—प्रदेश में बिजली, पानी, संचार सुविधायें तथा सिंचाई व्यवस्था आदि शासन द्वारा जनता को दी जाने वाली सुविधा व्यवस्थाओं की निरन्तर दुर्गति हो रही है। कृषि और उद्योग दोनों प्रभावित हैं। किसान की खेती बिजली पानी के अभाव में खेतों में खड़ी सूख रही है और बेचारा निरीह किसान खून के आंसू रो रहा है। इस दुखी किसान जनता के लिए कहीं कोई सुविधा का उल्लेख नहीं किया है।
		6—प्रदेश में एक ओर कानून और व्यवस्था टूट रही है और दूसरी ओर न्यायालयों में न्याय प्रवंचित हो रहा है। वर्तमान न्याय व्यवस्था समाज को न्याय और व्यवस्था प्रदान करने में पूर्णतः अक्षम हो गई है फलतः कानून को तोड़ने वालों के लिए कानून का कोई डर नहीं रह गया है और निरीह जनता का यह कानून व्यवस्था शोषण कर रही है।
		7—सम्पूर्ण प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था समाप्त प्राय हो रही है बेसिक विद्यालय विद्यामुक्त होते जा रहे हैं। उनका भौतिक कलेवर टूट रहा है। न भवन है न टाट पट्टी, न श्यामपट्ट और न चाक खड़िया। इस स्थिति में विद्यालय चल रहे हैं। यही नहीं इस हालत में यह कभी खुलते हैं कभी नहीं। माध्यमिक व उच्च शिक्षा का जो स्तर गिरता जा रहा है उसे सुधारना।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
27	श्री मनोहर लाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय-- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में-- 1--प्रदेश के किसानों तथा कृषि की उन्नति के लिये किसी भी प्रकार की लाभकारी योजना की घोषणा नहीं की है । 2--बिजली की आंख मिचौली खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है । 3--उन्नाव जनपद की सड़कों के विकास के लिये किसी भी योजना की घोषणा नहीं की गयी है । 4--गांवों में अस्पताल बनवाने के लिये अलग से किसी प्रकार की योजना की व्यवस्था नहीं है । 5--मजदूरों के शोषण को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है । 6--अध्यापकों के लिये कोई लाभकारी योजना नहीं है । 7--महंगाई को रोकने व बेरोजगारी दूर करने तथा भुखमरी दूर करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है । 8--इन्टर तक के छात्र तथा छात्राओं के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गयी है । 9--उन्नाव जनपद में पेड़ों के नीचे लगने वाले स्कूलों के भवनों को बनवाने का कोई प्रबन्ध नहीं है ।
28	श्री योगेन्द्र कुमार	प्रस्ताव के अन्त में निम्न को जोड़ दिया जाय :-- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्न बातों का जिक्र नहीं हुआ :-- 1--जनपद बदायूं के पिछड़ेपन को दूर करने तथा बिसौली क्षेत्र के अन्तर्गत शिक्षा के लिये कोई (डिग्री) उच्चस्तरीय शिक्षा का प्रबन्ध, 2--बिसौली क्षेत्र में विगत कई वर्षों से प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल की स्थापना, 3--बिसौली क्षेत्र के गन्ना कृषकों का एच0 आर0 शुगर मिल्स, बरेली पर कई वर्षों पहले का बकाया अभी तक नहीं दिलाया जाना,

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4—क्षेत्र बिसौली में सम्पर्क मार्गों से गांवों को जोड़ा जाना,
		5—क्षेत्र बिसौली की टा0 ए0 सदायन के पिथौरा सदायन मार्ग पर मिट्टी का कार्य 1980 में होने के बाद सम्पर्क मार्ग को यों ही छोड़ दिया जाना,
		6—क्षेत्र बिसौली में कृषि की सिंचाई हेतु ट्यूब-वेलों की संख्या अत्यन्त कम होना तथा असिंचित क्षेत्र अधिक छोड़ दिया जाना,
		7—क्षेत्र बिसौली में ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत् आपूर्ति,
		8—पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों, हरिजनों व मजदूरों की मजदूरी निश्चित किया जाना,
		9—क्षेत्र बिसौली के कोल्ड स्टोरों को आलू भंडारण सही रखने के लिये बिजली 18 घंटे के स्थान पर 10 घंटे भी नहीं मिल पाना, कृषकों की उपज के साथ खिलवाड़ किया जाना,
		10—क्षेत्र बिसौली में प्रस्तावित सहकारी शीत गृह अभी तक नहीं बनाया जाना तथा स्थानाभाव के कारण कृषक का आलू भंडारित नहीं हो पाना,
		11—बिसौली कस्बे में प्रस्तावित 32 शैय्याओं का अस्पताल अभी तक नहीं बनाया जाना,
		12—बिसौली क्षेत्र में स्थापित कन्या इन्टर कालेज (राजकीय) के लिए भवन की व्यवस्था नहीं किया जाना, 1980 से विद्यालय चल रहा है पर अधिकारियों को भी पूरी व्यवस्था नहीं किया जाना,
		13—चल चित्र निगम द्वारा प्रस्तावित छविगृह आज तक बिसौली कस्बे में नहीं बनाया जाना,
		14—बिसौली नगर पालिका की सीमेन्ट व खड़ंजे की सड़कों को पाइप लाइन (जल आपूर्ति) डालने के लिए तोड़ा गया। दयनीय दशा में सड़कों को छोड़ दिया जाना,
		15—निकटस्थ रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) दवतारा को बिसौली-दवतारा मार्ग से आज तक नहीं जोड़ा जाना,

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16--बिसौली क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करने के लिये आज तक कोई उद्योग नहीं लगाया जाना,
		17--आलू पर आधारित कोई भी उद्योग बिसौली क्षेत्र के आलू उत्पादन का प्रदेश में स्थान होते हुए भी ध्यान में रखकर बिसौली क्षेत्र में नहीं लगाया जाना ।
29	श्री धनराज यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नवत् जोड़ दिया जाय :--
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--
		1--बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील में राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कूड़ा नदी की बाढ़ से बढ़ रही विनाशलीला को रोका जायगा जिसके कारण संगलदीप, अमरिहा रौंवा, छितरापार गांवों का अस्तित्व बचाया जा सके।
		2--बर्डपुर इलाका मात्र 14 डिवीजन (राजस्व ग्राम) में विभाजित है जबकि एक-एक डिवीजन में 22-22 गांवों से अधिक बसे हैं । इन 14 राजस्व गांवों (डिवीजनों) को छोटे-छोटे राजस्व गांवों में विभाजित किया जायेगा ।
		3--तहसील मुख्यालय नौगढ़ (वाया वृजमनगंज पिठौरी-घाट, सोहांस) की सड़क को पक्की बनाना तथा उसमें पड़ने वाले जमुवार नाला कूड़ा नदी पर एवं घोषी नदी पर पुल बनाया जायेगा ।
		4--टाउन एरिया तेतरी बाजार में बहुप्रतीक्षित वाटर सप्लाई योजना को पूरा करना एवं विनियमित क्षेत्र नौगढ़ (तेतरी बाजार) के बहुझंझटी योजना (नक्शा पास कराना आदि) का सरलीकरण और विकास कर माफ किया जायेगा ।
30	श्री हृदय नारायन दीक्षित	प्रस्ताव के अन्त में निम्न को जोड़ दिया जाय :--
		किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं किया :--
		1--उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के पुरवा, अशाहा और हिलौली विकास क्षेत्रों के हजारों एकड़ भूमि महना, बसहा और अन्य झीलों के जल भराव से डूबी हुयी है हजारों गरीब रोजी-रोटी की तलाश में शहर भाग गये हैं और भाग रहे लोगों का पुर्वा।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2—पुरवा उत्तर प्रदेश की चार बड़ी तहसीलों में से एक है बेरोजगार नवजवानों को रोजगार देने की दृष्टि से इस तहसील केन्द्र में कोई उद्योग लगाने की व्यवस्था।
		3—उन्नाव जिले के मौरावां थाना क्षेत्र में हुई वर्जनों डकैतियों को कम करके छोटे अपराधों में दर्ज किया जाना, लगातार हो रही हत्याओं को रोकने के लिये कोई निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना जिससे जनता में आतंक और असुरक्षा की भावना दूर हो सके।
		4—पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों, हरिजनों व मजदूरों में पूंजीवादी—जातिवादी प्रशासनिक मशीनरी व सरकार से जो निराशा है उसे दूर करने के लिए गरीबों हरिजनों व मजदूरों की बेहतरी के किसी कार्यक्रम की घोषणा।
		5—उत्तर प्रदेश पुलिस में महानिरीक्षकों, उप महानिरीक्षकों की फौज बढ़ाकर पुलिस पर होने वाला खर्च बढ़ाया गया है मगर 24 घंटे बंधवा मजदूर की तरह काम करने वाला पुलिस सिपाही की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
		6—उन्नाव जिले के असोहा विकास खंड में सिंचाई सुविधा हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने की आवश्यकता।
		7—उन्नाव जिले के मौरावां चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध गत चार—पांच वर्ष से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें की जा रही हैं। कथित भ्रष्ट चिकित्साधिकारी पर कोई कार्यवाही किया जाना।
		8—स्थानीय निकायों व सहकारी समितियों के चुनाव न कराकर प्रशासकों के द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से काम लिया जाना।
31	श्री मैनेजर सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में :—
		1—लोक सभा तथा विधान सभा चुनावों में की गई धांधलियों, बूथों पर जबरन कब्जा करने की घटनाओं आदि का उल्लेख नहीं किया है।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2—समाज में व्याप्त चौमुखी भ्रष्टाचार और राजनैतिक संरक्षण में इस प्रकार के भ्रष्टाचार के अनवरत बढ़ते जाने पर अंकुश लगाने के लिये कोई सुझाव नहीं दिया है। 3—प्रदेश में समान शिक्षा नीति लागू करने और शिक्षा विभाग से भ्रष्टाचार मिटाने का कोई सुझाव नहीं दिया है। 4—प्रदेश के पिछड़े इलाकों का पिछड़ापन दूर करने का कोई सुझाव नहीं दिया है।
32	श्रीमती विमला राकेश	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में समन्वित बाल विकास परियोजना (आई0 सी0 डी0 एस0) के अन्तर्गत लखनऊ जनपद के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों तथा स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं, जिन्हें विगत दो वर्षों से नियमित रूप से उनके वेतन तथा अन्य उपलब्धियों का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं नवम्बर तथा दिसम्बर, 1984 तथा जनवरी व फरवरी, 1985 के वेतन का भुगतान उन्हें अभी तक नहीं किया गया है, के अवशेष वेतन के भुगतान तथा नियमित रूप से उनके प्रतिमाह वेतन दिये जाने सम्बन्धी आदेश का उल्लेख नहीं किया है।"
33	श्री देव कुमार यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय:— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है— 1—राज्यपाल महोदय ने बुन्देलखंड के सर्वांगीण विकास हेतु बुन्देलखंड विकास आयोग गठित करने का, 2—बांदा जनपद की समुचित सिंचाई हेतु मध्य प्रदेश से केन-नहर जल विवाद के समाधान का, 3—यमुना नदी पर लखनपुर लिफ्ट सिंचाई योजना तथा वागें नदी पर भदवल लिफ्ट योजना का, 4—प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का, 5—मर्का-बावेरू कमासिन ओरन सड़कों को पक्का बनवाने का, 6—बबेरू में बालिका हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने का।"

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
34	श्री सुखपाल पाण्डेय	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया है — 1—राजभवन में चोरी गये सामानों की तहकीकात के सम्बन्ध में, 2—पिछले लोक सभा तथा विधान सभा के चुनाव में सरकारी साधनों का तथा मन्त्रियों द्वारा अपने पदों का दुरुपयोग करके विरोधी पक्ष के कई विजयी उम्मीदवारों को हराने की साजिश का । 3—घाघरा के किनारे बने बन्धे निम्नांकित गांव घाघरा की गोद में चले गये ।—ग्राम सहजोशपुरे दुक्खी, गोकुला, कुड़कियां, मटपुर शिवगढ़ पूरेकेशव दास, बन्धुआदार, कन्जा मिश्र, पकड़ी, नरसिंहपुर, खेमराजपुर मौसिया, कन्हईपुर,बानेपुर, पहिया माफी, कार्शपावर आदि गांवों के लोगों के सुरक्षा के लिए रिंग बांध बनवाने का भी उल्लेख नहीं किया गया है और न बन्धे पर पत्थर से पोच कराने, घाघरा की कटान रानीपुर मौसिया, बधुआ पार कशियापुर बानीपुर, पफेपफू से दुबौलिया बाजार तक घाघरा के बने ठोकरों को स्थायी बनाने तथा बने ठोकरों की मरम्मत के लिये कोई बृहत योजना का, 4—घाघरा के किनारे दर्जनों गांवों के किसानों को बाढ़ में गिरे मकान का तहसील द्वारा अब तक क्षति भुगतान नहीं किया गया और जो भुगतान कुछ गांवों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का, 5—प्रदेशीय स्वास्थ्य सलाहकार समिति ने झांसी में एक राजकीय चिकित्सालय छावनी में राजा जालिम सिंह की स्मृति में खोलने का निश्चय किया था परन्तु अब तक अस्पताल नहीं खोले जाने का, 6—अभिभाषण में निम्नांकित सड़कें जो अधूरी पड़ी हैं विशेश्वरगंज से सूदीपुर (2)—विशेसरगंज से बानेपुर (3) विशेसरगंज से मोड़ा(4)—विशेसरगंज से मौड़ा, विशेसरगंज से महुवा (5) महूं से मौलिया से बंजरिया (8) छावनी से अमारी(9)—मुरादीपुर से श्रृंगीनारी (10)—महूआघाट से अमारी रजवापुर कोहराय नकट—घाट तक(11)—सिकन्दरपुर से मसकनवा(12) घुघऊ—

क्रम संख्या	प्रस्तावक नाम	संशोधन का रूप
		नाला से नुगावा रायपुर तक (13)---श्रृंगीनारी मे ढाये कोईराये छावनी से रामगढ़ अजानडीह तक (14)--विक्रमजीत से टूटी मोटी तक (16)--विक्रमजीत से रजवापुर, गोपीनाथपुर सरनामगंज मनडफा, चौरी बाजार से नेवादा तक (18)---हरैया से महेवा, बासगांव सेखाड़ी हराय बसेवा तक (19)-मन्दिर से लेकर लालपुर घोखड़े व मनान (20)---मड़रिया से गौरापान्डे छपिया तक राजकीय मार्ग से महुआपार तिलकपुर तक (24) बेलमरिया से सुन सुनियां बैरवाघाट मार्ग तक राजकीय चिकित्सालय दुबौलिया बाजार विशेसरगंज बाजार सिकन्दरपुर बाजार महिला चिकित्सालय बभनान तथा हरैया आयुर्वेदिक चिकित्सालय गोशपान्डे तथा होम्योपैथिक चिकित्सालय अमारी तथा जोतीपुर के भवन के निर्माण का, 9---विक्रमजीत से दुबौलिया बाजार तक विद्युतीकरण के लिये खम्भे गड़ गये वायरिंग 1980 में किया गया परन्तु अब तक उन गांवों के विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया गया इससे करोड़ों रुपये की हुई क्षति का, 10---बस्ती जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए कोई उद्योग धन्धा शिक्षित रोजगार तथा बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने की कोई योजना का, 12---पुलिस जुल्म, भ्रष्टाचार, गुन्डागर्दी का, तहसील के लूट को रोकने का, 13---भ्रष्ट अधिकारियों की सेवा समाप्ति की योजना का, 14---बस्ती जिले की डुमरियागंज कृषि डिग्री कालेज पचवस में डिग्री कालेज खोलने का, 15---बाढ़ विभाग तथा अन्य विभाग के द्वारा एन0 आर0 पी0 तथा स्वतः बेरोजगार के गेहूं मजदूरों का वितरण न होने से लाखों के घोटाले का, 16---जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में निर्माण एवं विकास का कार्य बाढ़ नियंत्रण विद्युतीकरण सड़कों का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण शिक्षा का प्रसार, गुन्डों, बदमाशों पर नियन्त्रण करके शान्ति व्यवस्था बस्ती जिले में बनाने की व्यवस्था का, 17---घाघरा के कटान से कटी जमीन पर बकाया लगान तथा पुराना कर्जा किसानों का माफ करने का,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		18—मांझा क्षेत्र के किसान जिनका मकान घाघरा के कटान से कट के मकान जमीन नष्ट हो चुकी है उनको जमीन देकर बसाने का,
		19—बाढ़ विभाग द्वारा हरैया तहसील के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के गांवों कुशमौरघाट मखोड़ा तक ऊंचा करने की योजना का,
		20—हरैया विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्र बस्ती को जीपों को मुख्य चिकित्साधिकारी उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा चुनाव प्रचार में लगाये जाने का,
		21—विधान सभा बांसी क्षेत्र खेसरहा तथा बांसी सिंचाई विभाग तथा उद्योग विभाग के अधिकारी द्वारा सरकारी जीपों को चुनाव प्रचार में लगाने का,
		22—विक्रमजोत से दुबौलिया बाजार तक बन्धे के लिए स्थायी तथा अस्थायी भूमि जो ली गयी उसका मुआवजा स्थानीय मार्केट रेट से देने का।
85	गौरी शंकर भइया	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है—

1—प्रदेश में डिग्री कालेज तक मुफ्त शिक्षा दिये जाने के बारे में,

2—प्रदेश के समस्त शिक्षित बेरोजगारों को उनकी डिग्री को आधार मानकर रोजगार हेतु ऋण दिये जाने के बारे में,

3—उत्तर प्रदेश में 1980 के बाद कृषि पर लगाए गए सभी टैक्स माफ करने के सन्दर्भ में,

4—उत्तर प्रदेश में 1980 के बाद विद्युत् पर बढ़ाया गया टैक्स माफ करने के सम्बन्ध में,

5—उत्तर प्रदेश राजकीय परिवहन में 1980 के बाद किराये भाड़े में की गयी वृद्धि को वापस लेने के सन्दर्भ में,

6—फसल बीमा योजना पूरे प्रदेश में अविलम्ब लागू करने के सम्बन्ध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7—एक कमेटी बनाकर 1980 से 1985 तक के सरकार के भ्रष्ट मन्त्रियों के कार्य की जांच करने के सम्बन्ध में,
		8—जनपद बलिया के आर्थिक, शैक्षणिक एवं यातायात तथा संचार सम्बन्धी स्थिति में सुधार व विकास हेतु मास्टर प्लान बनाकर इस वर्ष से कार्य प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में,
		9—जनपद बलिया में फेफना के पास 200 शैय्या का हास्पिटल खोला जावेगा तथा जिला चिकित्सालय बलिया में ब्लड बैंक की स्थापना की जावेगी,
		10—गड़वार में जंगली बाबा पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी,
		11—बलिया जनपद के ग्राम सभा रतसड़ एवं कोटवा नरायणपुर को टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में,
		12—चित्त बड़ा गांव में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में,
		13—बलिया जनपद के विकास क्षेत्र सोहाव, गड़वार एवं हनुमानगंज में विश्व बैंक योजना द्वारा 200 राजकीय नलकूप लगाने के सम्बन्ध में,
		14—जनपद बलिया में विकास क्षेत्र सोहाव, गड़वार, हनुमानगंज के सभी ग्रामों को सड़क, पेयजल, विद्युत एवं स्कूल भवनों से सम्बन्धित समस्याओं को इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने के सन्दर्भ में,
		15—सागर पाली से बघेली, गंगहरा, यमनपुरा कोट होते हुए नरही तक पक्की सड़क बनाकर टौंस नदी पर गंगहरा एवं यमुनपुरा के मध्य पीपे का पुल बनाने के सम्बन्ध में,
		16—ग्राम सभा रतसड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को विकसित कर 40 शैय्या का करने के सम्बन्ध में,
		17—गन्ना विकास बलिया द्वारा गन्ना क्षेत्र सोहाव की उपेक्षा पर अधिकारियों को दंड दिया जायेगा तथा इस क्षेत्र के विकास हेतु प्रभावशाली कार्यक्रम लागू किये जाने के सन्दर्भ में,
		18—कोपाचीट में मन्डी समिति चितनड़ा गांव के क्षेत्र में विकास हेतु मास्टर प्लान बनाकर विकास का कार्य करने के संदर्भ में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		19—कोपाचट विधान सभा क्षेत्र में विकास क्षेत्र गड़वार की सभी नहरों को पक्का बनाकर तथा समस्त गूलों को इस वर्ष ठीक करने के बारे में,
		20—जनपद बलिया के सैकड़ों खराब राजकीय नलकूपों को ठीक कराने हेतु अतिरिक्त धनराशि दिए जाने के संदर्भ में,
		21—जनपद बलिया में एक बड़ा उद्योग लगाने के संदर्भ में,
		22—विकास क्षेत्र गड़वार, सोहाव में एक-एक राजकीय शीत गृह तथा राजकीय छवि गृह खोले जाने के बारे में,
		23—विकास क्षेत्र गड़वार में सिंह चवर-बहादुरपुर, जगदीशपुर-पिपरिया मार्ग को पक्का बनाकर लकड़ा नाले पर दो पुल बनवाने के सन्दर्भ में,
		24—एकबारी ग्राम सभा के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पशु चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी एवं राजकीय हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में,
		25—बलिया में आवासीय भवन शीघ्र निर्माण आवास विकास योजना के अन्तर्गत जनता को आवंटित करने के सन्दर्भ में,
		26—बलिया में बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों को बचाने लिए प्रभावशाली कदम उठाने के बारे में,
		27—बलिया नगर से 10 किलोमीटर क्षेत्र में चारों तरफ नगर बस सेवा चालू की जायेगी, इसके सम्बन्ध में,
		28—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों में को दंड दिये जाने के सम्बन्ध में।

बी० एस० यू० पी०—7 वि० सभा—6-5-85—813 प्रतियां—(पी० डी०)